पचम माला, खड 25, अक 24 शुक्रवार, 23 मार्च, 1973/2 चैत्र, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXV, No. 24, Friday, March 23, 1973/2 Chaitra. 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

सातवाँ सत्र
Seventh Session

5th Lok Sabha

खंड 25 में अंक 21 मे 30 तक हैं
Vol. XXV contains Nos. 21 to 30

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 24 शुक्रवार 23 मार्च, 1973/ 2 चैत 1895 (शक)

No. 24 Friday 23, March 1973/Chaitia 21895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्र. संख्या Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
441	चाय बोर्ड द्वारा एक तिमाही पत्रिका का प्रकाशन	Publication of Quarterly Journal by Tea Board	—1
46	खादी ग्रामोद्योग, भवन दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Khadi Gramodyog Bhavan. Delhi	—3
147	स्टेट बैंक आफ इण्डिया की ऋण परियोजना के अन्तर्गत गहन विकास के केन्द्रों के रूप में क्षेत्रों का चयन	Areas Selected as Centres of Intensive Development Under Credit Project of State Bank of India	—5
449	वन्य जीव पर्यटन के सम्वर्धन के लिये 'सैल' की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to Set up a Cell for Promation of Wild Life Tourism	—9
454	एकाधिकार गृहों पर बकाया आयकर	Arrears of Income Tex against Monopoly Houses	—10
457	मैसर्स यूनियन कार्बाइ लिमिटेड द्वारा अमरीका को झींगे का निर्यात	Export of Prawn to USA by M/S Union Carbide Limited	—12

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता.प्र. संख्या S.Q, Nos.			
442	सिगापुर में भारतीय बैंक	Indian Banks in Singapore	—14
443	डीजल सेटों का आयात	Import of Diesel Sets	—14
444	मैसर्स एशियन केबल्स द्वारा आयात लाइसेसों का दुरुपयोग	Misuse of Import Lincences by M/S Asian Cables	—15
445	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होने वाले विभिन्न वस्तुओं के आयात-निर्यात की व्यवस्था को पुनरीक्षित करने की योजना	Scheme to Revise Canalisation of Various Articles through S.T.C.	—15

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
448	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकरों की समिति का गठन	Constitution of Committee of Bankers by Reserve Bank of India	—15
450	स्टेट बैंक ग्राफ इन्डिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की सायँकालीन शाखायें खोलना	Opening of Evening Branches of State Bank of India and Natinalised Banks	—16
451	चौड़े ग्राकार के हवाई जहाजों का क्रय	Purchase of Wide-Bodied Planes	—17
452	इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा कम किरायों पर जनता रात्रि हवाई सेवाएं चलाने की योजना	Plan to operate Janta Night Air Services at Reduced Rates by Indian Airlines.	—17
453	राजस्थान के उदयपुर जिले में राष्ट्रीय-कृत बैंकों में चैकों का भुगतान	Payment of Cheques in Nationalised Banks of Udaipur District, Rajasthan	—17
455	देश में 'शुल्क मुक्त' हवाई ग्रड्डों के सम्बन्ध में प्रस्ताव	Proposal to have Duty Free Airports in the Country	—18
456	विभिन्न बीमा कम्पनियों में सेवा शर्तो के बारे में मथरानी समिति का प्रतिवेदन	Submission of Report by Mathrani Committee Re. Service Conditions in Different Insurance Companies	—18
458	विकास योजनाओं के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for Development Schemes	—18
459	चमड़े के निर्यात के कोटे का निर्धारण	Fixing of Quota for Export of Leather	—19
460	उड़ीसा में वर्ष 1973-74 में बनाए जाने वाले पर्यटक बंगले	Tourist Bungalows being provided in Orissa during 1973-74	—20
अता.प्र. संख्या U.S.Q. Nos.			
4328	भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्य कर रहे ग्रनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी	S.C. & S.T. Employees Serving in Indian Audit and Accourts Department	—20
4329	तंजानिया को ऋण देने के लिए करार	Agreement for Loun to Tanzania	—20
4330	कम्पनियों द्वारा पूंजी बढ़ाना	Raising of Capital by Companies	—22
4331	औद्योगिक वित्त निगम द्वारा चीनी, कपड़ा आलौह धातु, उर्वरक, कागज तथा धातु उत्पादक उद्योगों को दी गई सहायता	Assistance provided by I.F.C. to Sugar, Textile, Non-Ferrous Metals, Fertilizers, Paper and Metal Manufacturing Industries	—22
4332	'एशियन क्लियरिंग यूनियन'	Asian Clearing Union	—23
4333	जलपाईगुड़ी स्थित स्टेट बैंक ग्राफ इंडिया में भारतीय खाद्य निगम के खाते से धोखे से निकाली गई राशि की जाँच	Investigations into Fradulent Withdrawl from the Food Corporation of India's Account with State Bank of India, Jalpaiguri	—24

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4334	सऊदी अरब के साथ विमान सेवा सम्बन्धी संधि	Air Pact with Saudi-Arabia	—25
4335	केरल के तट से पकड़ा गया तस्करी का माल	Seizure of Smuggled Goods from Coast of Kerala	—25
4336	वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे सड़क परिवहन तथा जल परिवहन के मालिकों को ऋण	Advances of Loans by Commercial Banks to Small and Water Road Transport Operators	—25
4337	ब्रिटेन द्वारा विनियम निमंत्रण लागू करना	Introduction of Exchange Controls by U.K.	—26
4338	जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारियों तथा विकास अधिकारियों के संवर्ग में सीधी भर्ती	Direct Recruitment to the Cadre of Assistant Administrative officers and Development officers of L.I.C	—26
4339	भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्य	Members of Life Insurance Corporation of India	—27
4340	जीवन बीमा निगम की कर्मचारी एजेन्ट सम्बन्धी समिति के सदस्य	Members of Employees and Agents Relation Committee of L.I.C.	—28
4341	जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिये कार्यवाही	Steps to fill the Quata reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in L.I.C.	—28
4342	भारत के आयात निर्यात की कुल कीमत	Total Value of Imports/Exports of India	—29
4343	कम्प्यूटरों और आई.बी.एम.-129 का निर्यात करने से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earnings by the Export of Computers and IBM-128	—29
4344	दिल्ली में पकड़ी गई तस्करी की वस्तुएं	Smuggled Goods Seized in Delhi	—29
4345	कलकता में पकड़ा गया तस्करी का माल	Smuggled Goods Seized in Calcutta	—30
4346	मलेशिया से वस्तुओं का आयात	Import of Goods from Malaysia	—30
4347	इन्डोनेशिया से वस्तुओं का आयात	Import of Goods from Indonesia	—30
4348	नेपाली रुपये के अवमूल्यन का भारतीय रुपये पर प्रभाव	Impact of Devaluation of Nepalese Rupee on Indian Rupee	—30
4849	सोवियत संघ से सहायता	Assistance from U.S.S.R.	—31
4350	मलयेशिया के साथ विमान सेवा समझौता	Air Agreement with Malaysia	—31
4351	शल्य-चिकित्सा के औजारों का निर्यात	Export of Surgical Instruments	—31
4353	सरकार द्वारा मिलों से कपड़े की सीधी वसूली	Direct procurement of Cloth by Government from the Mills	—32

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4354	जीवन बीमा निगम द्वारा नगरपालिकों को दी गई सहायता की राशि	Amount of Assistance given by LIC to Municipalities	—32
4355	स्टेनलेस स्टील के कोटे. का दुरुपयोग	Misuse of Stainless Steel quata	—33
4356	शिशुओं के लिये डिब्बों में बन्द दुग्ध आहार की जमाखोरी	Hourding of Baby Tinned Milk Food	—34
4357	इराक से आयात की गई गंधक की मात्रा	Quantity of Sulphur imported from Iraq	—34
4358	इस्पात पाइपों और ट्यूबों का निर्यात मूल्य	Export Price of Steel Pipes and Tubes	- 35
4359	जनेवा के मैसर्स ट्रॉमर्सा द्वारा बम्बई और कलकत्ता में सिनेमा घरों की खरीद	Purchase of Cinema Halls in Bombay and Calcutta by M/S Tramarsa of Geneva	—35
4360	बिजली का सामान बनाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अफ्रीका यात्रा	Indian Electrical manufacturers Delegation to Africa	—36
4361	इलैक्ट्रानिक सामान का निर्यात	Export of Elect ric Goods	—37
4362	व्यापारिक प्रचार के लिये राष्ट्रीय नेताओं के फोटो और चित्रों तथा राष्ट्रीय चिन्हों का उपयोग	Use of Photographs, Partraits of National Leaders and National Emblem for Commercial Publ icity	—37
4363	केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कदाचार के आरोप पर मुकदमा चलाने की सिफारिश	Prosecutions Recommendation by C.B.I against Certain officers of the Ministry of Finance for Carrupt Practices	—38
4364	अफ्रीका तथा एशियाई देशों को आर्थिक सहायता	Financial Assistance of African and Asian Countries	—38
4365	बहरीन में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना करने के लिये सहयोग	Collabaration in setting up a Cement Factory in Bahrein	—39
4366	केरल में बाढ़ के कारण हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिये केन्द्रीय अध्ययन दल का भेजा जाना	Visit by Central Study Teem to Kerala to assess the loss Caused by Floods there	—39
4367	निगमित कम्पनियों की एक बैठक में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा	Announcement made by Finance Minister at a Meeting of Corporated Companies	—39
9368	श्री गिरि लाल जैन द्वारा आय को छिपाना	Concealment of Income by Shri Giri Lal Jain	—40
4669	दैवी विपत्तियों के लिये कोष बनाने के सम्बन्ध में राजस्थान का प्रस्ताव	Rajasthan proposals Re: creation of Funds for Natural Calamities	—
4370	पोलैंड में विकसित इलेक्ट्रोनिक यंत्र 'फिजियोग्राफर' का आयात	Import of Physiographer, an Electronic Device developed in Poland	— 41
4371	सुरक्षा उपाय के रूप में 'फिजियोग्राफर' प्रयोग करने का प्रस्ताव	Propasal to use 'ephysiographer' in Aeroplanes as a Sefety Measure	—41

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4372	राष्ट्रीय बचत दर में कमी	Decline in rate of National Savings	—42
4373	जीवन बीमा निगम के फार्मों को अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में छापना	Printing of Forms of L.I.C. in Englisa and Hindl	—42
4374	नियंत्रित और अनियंत्रित कपड़े पर मूल्य छापना	Printing of Price on Controlled and Uncontralled Cloth	—42
4375	भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की गाँठों की खरीद	Purehase of Bales of Jute by Jute Corporation of India	—43
4376	प्रत्येक राज्य में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Innustries in each State	—43
4378	दिल्ली में कुछ कृषि वस्तुओं के वायदा व्यापार पर रोक लगाने का प्रस्ताव	Proposal to Ban Forward Trading in Delhi in Same Agricultural Commodities	—43
4379	दिल्ली के वायदा व्यापार में लगे हुए बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने की योजना	Plan to employ Unemployed People engaged in Faward Trading in Delhi	—44
4380	कलकता में चक्रवात रडार लगाना	Establishment of Cyclone Radar at Calcutta	—44
4381	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं को तदर्थ पेंशन	Act-Hoc Pension to Widows of Central Government Employees	—44
4382	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सहायक एककों का विकास	Development of Ancillary Units by Public Sector Undertakings	—45
4383	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की सेवाओं में स्थिरता	Stagnation in the Services of Indian Audit and Accounts Department	—46
4384	उत्तर-प्रदेश का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण	Conducting of Techno-Economic Survey of U.P.	—46
4385	'जूट एण्ड जूट गुडस बफर स्टाफ एसोसिएशन' के कर्मचारियों को काम पर लगाना	Absorption of Employees of Jute and Jute Goods Bufer Stock Association	—46
4386	विदेशी पूंजी निवेश और सहयोग के बारे में अमरीकी व्यवसायियों द्वारा पूछताछ	Enquiry relating to Foreign Investment and Collaboration from American Businessmen	—47
4387	खनिज तथा धातु व्यापार निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बीच लौह अयस्क के मूल्यों के बारे में मतभेद	Differenee between MMTC and N.D.M.C. oner Iron Ore Prices	—47
4388	बाँसपानी से जखपुरा आदि तक की रेलवे लाइन के उपयोग सम्बन्धी लाभ-हानि के आवश्यक कागजात तैयार करने	Progress made by M.M.T.C. in the preparation of requisite papers on relative economics of utilisation of Railway Line	

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	में खनिज तथा धातु व्यापार द्वारा की गई प्रगति	from Banspani to Jakhapura etc.	—47
4389	अलाभप्रद चाय बागानों की जाँच विषयक समिति	Committee to examine Uneconomic Tea Estates	—48
4390	जापान को भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड द्वारा किया गया व्यय	Amount spent by Tea Board for promotion of Indian Tea to Japan	—49
4391	अलाभप्रद चाय बागानों को सहायता देने की शर्तों को उदार बनाना	Liberalisation of terms of Financial Assistance to Uneconomic tea Estates	—49
4392	इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 'एवरो' विमानों का रखरखाव	Maintenance of Avros by Indian Airlines	—50
4393	राष्ट्रीय ऋण संगठन की स्थापना	Setting up of National Loans Organisation	—50
4394	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों, छोटे व्यापारियों और हथकरघा बुनकरों को दिए गए ऋण	Amount of loans given by Nationalised Banks to Farmers, Small Traders and Handloom Weavers of Madhya Pradesh and Rajasthan	—51
4395	पांचवी योजना में यातायात में वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किए जाने वाले उपाय	Steps to meet Growth in Traffic by Indian Airlines in the Fifth Plan	—51
4396	विश्व बैंक से सहायता	Assistance from World Bank	—51
4397	भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग की कृत्रिम वर्षा करने की क्षमता के विकास के लिए सरकार द्वारा दिया गया धन	Amount of Money provided by Government for Development of Capabillty by Indian Meteralogical Department to create Artificial Raing	—52
4398	दिल्ली हवाई अड्डे पर विद्यमान 'रनवे' के साथ एक उपमार्ग का निर्माण	Construction of a By-pass to the existing runway at Delhi Airport	—52
4399	चलते-फिरते बैंकों का संचालन	Operation of Mobile Banks	—52
4400	देश में नये असैनिक हवाई अड्डों के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to Construct new Civil Aerodromes in the Country	—53
4401	इंडियन ओवरसीज बैंक, जालंधर से चोरों द्वारा ले जाया गया धन	Amount removed by Burglars from Indian Overseas Bank. Jullundur	—54
4402	देश में पर्यटन के संवर्धन हेतु बनाए गए पर्यटन निगम की रचना	Composition of Tourist Corporation set up to promote Tourism in the Country	—54
4403	चाय पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Tea	—55

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4404	ग्रामीणों को अपने जीवन बीमे का प्रिमियम नकद राशि के स्थान पर अनाज के रूप में देने की सुविधाएं	Facilities to villageer to pay Premium in Grain instead of Cash for their Life Insurance	—56
4405	भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीणों को सुविधायें देने का विचार	Facilities contemplated for Villagers by Life Insurance Corporation of India	—56
4406	भारत में आने वाला तस्करी का माल	Smuggling of Goods into India	—57
4407	कृषि पर लगे केन्द्रीय सरकार के करों से होने वाली आय	Revenue from Central Taxes on Agriculture	—57
4408	चाय बोर्ड के अध्यक्ष को वेतन और भत्ते	Pay and Allowances of Chairman, Tea Board	—58
4409	चाय बोर्ड की बागान वित्त योजना	Tea Boards Plantation Finance Siheme	—58
4410	पश्चिम जर्मनी से चाय ट्राली का ग्रायात	Import of Tea Tralley from West Germany	—58
4411	त्रिपुरा में चाय बागानों में सुधार के लिए कार्यवाही	Steps to improve Tea Estates in Tripura	—59
4412	पश्चिम बंगाल में उगाए जाने वाले ग्रामों का निर्यात	Export of Mangoes grown in West Bengal	—60
4413	उत्तर बंगाल में 'जूट टैक्नोलोजी सेंटर'	Jute Technology Centre in North Bengal	—60
4414	होटलों के वर्गीकरण के लिए अपनाया गया मानदंड	Criteria adopted for classification of Hotels	—60
4415	राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं में गिरावट	Deterioration of services offerd by Nationalised Banks	—61
4416	बैंक घोटालों की संख्या में वृद्धि	Increase in cases of Bank Frauds	—61
4417	मूंगफली के तेल में सट्टे को रोकने के लिए कार्यवाही	Steps to curb speculation in Ground nut Oil	—62
4418	बिहार को वित्तीय सहायता के लिए रूमानिया का प्रस्ताव	Rumania's offer for financial assistance to Bihar	—62
4419	अन्य देशों में उद्योगों की स्थापना के लिए टाटा, बिड़ला ग्रौर साहूजैन उद्योग समूह को दिया गया ऋण	Loans granted to Tatas, Birlas and Sahu Jain Groups for setting up industries in other countries	—63
4420	दिल्ली-मुजफ्फरपुर विमान सेवा को पूर्णिया ग्रौर भागलपुर तक बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to extend Delhi-Muzaffarpur Air Service to Purnea and Bhagalpur	—63
4421	भारत में 1971-72 में विमान दुर्घटनाग्रों से ग्रस्त होने वाली ग्रन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा कम्पनियाँ	Air Accidents in India Inualving International Airlines during 1971-72	—63

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4422	कृत्रिम रेशे से बने वस्त्रों के लिये विकास परिषद का पुनर्गठन	Recon titution of Development Council for Man-made Textiles	—64
4423	निजी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम के पूंजी निवेश में वृद्धि	Increase in L.I.C.'s Investment in Private Sector	—65
4424	जीवन बीमा की प्रीमियम दरों को कम करना	Reduction in Premium Rates of Life Insurance	—66
4425	लैटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार सम्बन्ध	Trade Relations with Latin American Countries	—66
4426	खेल-कूद के सामान का ऊंचा मूल्य होने के कारण इनके निर्यात की समस्या	Problem in Export of Sports Goods due to their High Prices	—
4427	हालैंड से ऋण	Loan from Holland	—67
4428	भुवनेश्वर के लिए दिल्ली से सीधी वायुयान सेवा	Direct Air Service to Bhubneswar from Delhi	—68
4429	रायपुर और भुवनेश्वर के बीच विमान सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to Air Link Raipur with Bhubaneswar	—68
4430	स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाएं खोलना	Opening of Branches of State Bank of India	—68
4431	बड़े औद्योगिक गृहों की ओर करों की बकाया राशियां	Arrears of Taxes against Large Industrial Houses	—69
4432	1972-73 में फिल्मों का निर्यात तथा आयात	Export and Import of Films during 1972-73	—70
4433	गाजीपुर में यूनियन बैंक के शाखा कार्यालयों में सशस्त्र प्रहरियों का प्रबन्ध	Arrangements for Armed Guards in the Branch offices of Union Bank in Ghazipur	—70
4434	गाजीपुर में अफीम के कारखाने के मजदूरों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum from Workers of Opium Factory, Ghazipur	—70
4435	लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क को समाप्त करना	Abolition of Export Duty on Mineral Ore	—71
4436	इंडियन एयरलाइन्स की पटना-मुजफ्फरपुर विमान सेवा को रक्सौल तक बढ़ाने का अनुरोध	Request for Extension of Patna-Muzaffarpur Service of Indian Airlines to Raxaul	—71
4437	दिल्ली से राजकोट तक इंडियन एयर-लाइन्स की विमान सेवा को पुनः आरम्भ करना	Resumption of Indian Airlines Service from Delhi to Rajkot	—71
4438	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा लघु उद्योगों के लिए मध्य प्रदेश को दी जाने वाली राशि	Amount to be given by Industrial Development Bank of India to Madhya Pradesh for Small Scale Industries	—72

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4439	मध्य प्रदेश में सड़क पर्यटन के विकास की योजना	Scheme for Development of Road Tourism in Madhya Pradesh	—72
4440	मध्य प्रदेश में जल सप्लाई योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता	Assistance from World Bank for Water Supply Schemes in Madhya Pradesh	—73
4441	मध्य प्रदेश में नए हवाई अड्डों की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up new Airport in Madhya Pradesh	—73
4442	बंगला देश यूरोप को होजरी अध्ययन दल	Hosiery Study Team to Bangladesh and Europe	—73
4443	पाँचवीं योजना में पश्चिम बंगाल में पर्यटन का विकास करने की योजना	Schemes for Development of Tourism in West Bengal during Fifth Plan	—73
4444	यूनाइटिड एशियन बैंक	United Asian Bank	—74
4445	फरवरी, 1973 में कलकत्ता समुद्री सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा एक बैंक लाकर की तलाशी	Search of a Bank Locker by officials of Calcutta fea Customs in February, 1973	—74
44-6	सरकार द्वारा आयात तथा निर्यात व्यापार को अपने अधिकार में लेना	Taking-over of Import/Export Trade	—75
4447	भारतीय रिजर्व बैंक में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति	Progress made in regard to use of Hindi along with English in Reserve Bank of India	—75
4448	विदेशी निजी कम्पनियों द्वारा राजस्थान में पूंजी निवेश	Private Foreign Investment in Rajasthan	—76
4450	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की दिल्ली और नई दिल्ली शाखाओं में अनियमिततायें	Irregularities Committed in Delhi and New Delhi Branches of State Bank of Bikaner and Jaipur	—76
4451	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में कर्मचारियों की शिकायतों के निराकरण सम्बन्धी नियम	Rules for seeking redress against grievances by Employees in State Bank of Bikaner and Jaipur	—77
4452	इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे एवरो वायुयान	Auro Planes in use in Indian Airlines	—77
4453	अन्य देशों के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with other Countries	—77
4454	बिहार के लिए आवंटित राशि का प्रयोग न किया जाना	Non-utilisation of Funds allocated to Bihar	—78
4455	गत एक वर्ष के दौरान अभ्रक के निर्यात के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम को विदेशों से मिले आर्डर	Orders placed by Various Countries with M.M.T.C for Export of Mica during the last one year	—78

ता.प्र, संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4456	राष्ट्रीयकृत बैंकों की राज्यवार शाखाएं	State-wise Branches of Nationalised Banks	—79
4457	पुस्तकों के आयात को नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव	Proposal to take over import Trade of Books	—80
4458	राजनैतिक साहित्य के आयात को राज्य व्यापार निगम के नियंत्रण में लाने का प्रस्ताव	Proposal to bring Import of Political Literature under the Control of S.T.C	—80
4460	सोने के मूल्य में वृद्धि	Rise in Prices of Gold	—81
4461	पर्यटन के विस्तार के लिए पूर्वी क्षेत्र के प्रतिनिधियों की बैठक	Meeting of Representatives of Eastern Region for Expansion of Tourism	—81
4462	इंजीनियरी सामान के निर्यात में कमी	Decline in Export of Engineering Goods	--82
4463	चाँदी के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Silver	—83
4464	कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Mills	—83
4465	कपड़ा निर्यात निगम की स्थापना को स्थगित करने का अनुरोध	Request to defer formation of Textile Export Corporation	—83
4466	चुने हुए इंजीनियरी सामान के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए बोनस योजना	Bonus Scheme to encourge Export of selected Engineering Goods	—84
4467	रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों द्वारा समयोपरि भत्ता लेना	Drawing of Over-time Allowance by Employees of Reserve Bank, State Bank and other Nationalised Banks	—84
4468	शुष्क पत्तनों की स्थापना	Setting up of Dry Ports	—85
4469	चाय बागानों को अपने नियंत्रण में लेना	Taking-over of Tea Plantations	----85
4470	भागलपुर [विहार] के लिए इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव	Proposal to put Bhagalpur(Bihar) on Air Route of Indian Airlines	—85
4471	मुक्त विदेशी मुद्रा वाले क्षेत्रों के बुने हुए ऊनी स्वेटरों आदि के निर्यात में कमी	Decline in Export of woollen Knitwears to Free Foreign Exchange Areas	—86
4472	अपरिष्कृत ऊन के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि	Rise in Internation Price of Raw wool	—86
4473	बिहार में एक नया हवाई अड्डा बनाने की योजना	Scheme to set up a New Air-Port in Bihar	—86
4474	राष्ट्रीय व्यावहारिक अनुसन्धान परिषद द्वारा किया गया अध्ययन	Study taken by N.C.A.E.R	—87

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4475	नारियल जटा उत्पादों का निर्यात	Exports of Coir Products	—88
4476	लेबनान में भारतीय चाय का बेचा जाना	Market for Indian Tea in Lebanon'	—88
4477	स्विटजरलैंड के साथ विमान सेवा सम्बन्धी करार	Air Agreement with Switzerland	—89
4478	भारत में निर्यात बैंक की स्थापना	Setting up of an Export Bank in India	—89
4479	साँविधिक दुर्घटना जाँच ब्यूरो स्थापित करने का निर्णय	Decision to set up a Statutory Accident Investigation Bureau	—90
4480	बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के लिए प्रतिभूति के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ का चुनाव	Suggestion made by F.I.C.C.I. regarding Security against Bank Advances	—90
4481	इंडियन एयरलाइन्स की विलम्बित उड़ानें	Delayed Flights of Indian Airlines	—90
4482	मलेशिया को भारत द्वारा निर्यात	India's Exports to Malayshia	—91
4483	भारतीय फिल्मों का निर्यात और विदेशी फिल्मों का आयात करने के लिए सरकारी निगम की स्थापना करने के बारे में निर्णय	Decision on Formation of a Government Corporation to Handle Export of Indian Films and Import of Foreign Films	—92
4484	ब्याज की रियायती दर पर ऋण देने की योजना को ऋणदाताओं पर लागू करना	Creditors Covered under the Scheme of Advancing Loans at Concessional rate of Interest	—92
4485	करेंसी का विमुद्रीकरण	Demonetisation of Currency	—93
4486	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रबन्धक सेवा	Managerial Service for Public Sector Undertakings	—93
4487	1972-73 में अन्य देशों के साथ व्यापार करार	Trade Agreement Signed in 1972-73 with other Countries	—94
4488	हथकरघा बुनकरों द्वारा बुना जाने वाला कपड़ा और उसकी बिक्री	Production and Sale of Handloom Cloth by Handloom Weavers	—95
4489	कपड़ा मिलों को कपास के विक्रय मूल्य में दी जाने वाली विशेष छूट को समाप्त करना	Abolition of Special Rebate given to Textile Mills on the Sale Price of Cotton	—95
4491	किसी रक्षा लेखा नियंत्रक के विरुद्ध आरोप लगाया जाना	Allegations against a certain Controller of Defence Accounts	—95
4492	पटना स्थित रक्षा लेखा के नियंत्रक के कार्यालय में कथित गोलमाल	Alleged bungling in the office of Controller of Defence Accounts, Patna	—96

ता,प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4493	इण्डियन एयरलाइन्स की स्थापना के बाद उसको हुआ लाभ। घाटा	Prfit/loss of Indian Airlines since its Establishment	—96
4494	राज्य सरकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की ओर केन्द्रीय सरकार के ऋणों की बकाया राशि	Central Government Loans ontstanding against persons besides State Governments	—96
4495	कच्चे माल का आयात करने के लिए दिये गये लाइसेंसों का मूल्य	Value of Licences for Importing Raw Material	—97
4496	आल इण्डिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का गठन	Constitution of All India Handicrafts Board	—97
4497	नागर विमानन विभाग में जमीन पर और विमानों में काम करने वाले बेरोजगार तकनीकी व्यक्तियों को सेवा में रखना	Absorption of Unemployed Ground and Air Technical Persons in Civii Aviation Department	—98
4498	दिल्ली से मद्रास को वाया बंगलौर नई उड़ान-सेवा शुरू करना	Introduction of New Flight from Delhi to Madras Via Bangalore	—99
4499	उत्पादन शुल्क विभाग में हिन्दी आफिसरों का चयन	Selection of Hindi officers in Excise Department	—99
4500	चाय का आयात करने वाले दक्षिण-अमरीका के देश	Tea Importing Countries of South America	—110
4501	वित्तीय संस्थानों द्वारा मारुति एंड कम्पनी, हरियाणा के प्रत्येक निदेशक के अन्तर्गत कम्पनियों को दिया गया ऋण	Loan given to Companies under Control of each Director of Maruti and Company, Harayana by Financial Institutions	—101
4503	भारत की रेशम उत्पादन क्षमता	Silk Production Capacity of India	—101
4504	विमानों का अपहरण रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गए प्रयास	Efforts made at International Level to Check Skyjacking of Aeroplanes	—101
4505	यूनाइटिड बैंकआफ इंडिया, कलकत्ता की भरती करने की नीति	Recruitment Policy of United Bank of India, Calcutta	—102
4506	कनाडा से ऋण लेने सम्बन्धी करार	Agreement for Loan from Canada	—102
4507	इन्सूलेटेड तार और केबल का निर्यात	Export of Insulated Wires and Cables	—103
4508	गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण सुविधाओं का दिया जाना	Offering of Credit facilities by Non-nationalised Banks	—103
4509	व्यापार परामर्शदात्री परिषद	Advisary Council on Trade	--104
4510	सरकार द्वारा रुई व्यापार अपने हाथ में लिया जाना	Take-over of Cotton Trade by Government	—104

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4511	दिल्ली से बाहर रहने वाले आवेदकों को स्टेट बैंक आफ इंडिया की दिल्ली और नई दिल्ली शाखाओं द्वारा ऋण दिया जाना	Grant of Loans by Branches of State Bank of India in Delhi and New Delhi to applicants staying outside Delhi	—105
4512	1971 में बैंकों में धोखा-धड़ी करने के बारे में स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप	Charges against officials of State Bank of India in connection with fraud Committed in the Bank in 1971	—105
4513	जीवन बीमा निगम द्वारा उड़ीसा में अधिक पूंजी निवेश करने के लिए की गई कार्यवाही	Steps taken to invest more Capital by L.I.C. in Orissa	—110
4514	चिल्का झील पर पर्यटकों के लिए प्रदान की गई सुविधायें	Facilities provided for Tourists at Chilka Lake	—110
4515	तूफान राहत कार्य के लिए उड़ीसा को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Orissa for Cyclone Relief Measures	—110
4516	आसाम में पटसन की खेती	Jute cultivation in Assam	—111
4517	उत्पादन शुल्क की भिन्न-भिन्न दरों के कारण आसाम तथा दार्जिलिंग के चाय बागानों का बन्द होना	Closure of Tea Gardens in Darjeeling and Assam due to differential Rtaes in Excise Duty	—112
4518	विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले चाय तथा पटसन उद्योगों पर संकट	Crisis in Foreign Exchange earnings of Tea and Jute Industries	—112
4519	विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा अपना लेन-देन भारत से बाहर किया जाना	Settlement of transaction outside India by Foreign Air Companies	=113
4520	इंडियन एयरलाइन्स द्वारा कलकत्ता से अगरतल्ला तक मालवाही सेवा चलाने का प्रस्ताव	Proposal to operate frgishter service from Calcutta to Agartala by Indian Airlines	—113
4521	जीवन बीमा निगम द्वारा त्रिपुरा में आवासीय निर्माण हेतु ऋण दिया जाना	Grant of Housing Construction Loan by L.I.C. in Tripura	—114
4522	सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा 75 एकाधिकार-गृहों को दिए गए ऋण	Loan advanced by Public Financial Institutions to 75 Monopoly Houses	—114
4523	राष्ट्रीय बैंकों में व्यापक आधार वाली सलाहकार समितियों का गठन	Broad-based Advisary Committees in Nationalised Banks	—115
4524	उत्तर बिहार और बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया प्रति व्यक्ति ऋण और उनमें प्रति व्यक्ति जमा राशि	Per Capita Credit Advances by and Deposits in Nationalised Banks in North Bihar and Bihar	—115

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4525	बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें खोलना	Opening of New Branches of Nationalised Banks in Bihar	—117
4526	पी०एल० 480 के अधीन मिले ऋणों का भुगतान	Repayment of Loan under PL.—480	—117
4527	देश में होटलों और पर्यटक विश्राम गृहों की कमी	Shortage of Hotels and Tourist Rest Houses in the Country	—118
	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में	Re Calling Attention	—118
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	—119
	सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the Sittings of the House	—120
	याचिका समिति	Committee on Petittions	—120
	दसवाँ प्रतिवेदन	Tenth Report	—121
	सभा का कार्य	Business of the House	—121
	अस्पृश्यता अपराध संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक	touchability (Offences Amendment and Miscellaneous Provision Bill	—121
	संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति	Appointment of Member to Joint Committee	—122
	उड़ीसा के सम्बन्ध में उदघोषणा के अनुमोदन के बारे में साँविधिक संकल्प और उड़ीसा बजट, 1973-74—सामान्य चर्चा	Statutory Resolution re Approval of Proclamation in relation to Orissa and Orissa Budget, 1973-74—General Discussion,	
	लेखानुदानों की माँगें, 1973-74 और अनुदानों की अनुपूरक माँगें, 1972-73	Demands for Grants on Account, 1973-74 and Supplementary Demands for Grants, 1972-73	—122
	श्री डी०के० पंडा	Sari D.K. Panda	—125
	श्री के०पी० उन्नीकृष्णन	Shri K.P. Unnikrishn	—125
	श्री सुरेन्द्र महंती	Shri Surendra Mohanty	—126
	श्री बनमाली पटनायक	Shri Banamali Patnaik	—127
	श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	—128
	श्री गिरिधर गोमाँगो	Shri Giridhar Comango	—129
	श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	—129
	श्री के० प्रधानी	Shri K. Pradhani	—130
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
	सफदरजंग पुल पर्यन्त सड़क के नींव स्तम्भों का विशिष्ट विवरणों से कम होने का समाचार	Foundation columns of approach road to Safdarjang Bridge reported to be below specifications	—130
	श्री डी०के० पंडा	Shri D.K. Panda	—130
	श्री ओम मेहता	Shri om Mehta	—131

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
नूनडीह-जीतपुर कोयला खान में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में जाँच के बारे में वक्तव्य	Statement re Enquiry into Noondih Jitpur Colliery Accident	—136
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Raddc	—136
हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक	Hindu Succession (Amendment) Bill	—136
[नई धारा 24क का अन्त:स्थापन]—श्री जगन्नाथराव जोशी का—वापस लिया गया	(Insertion of new section 24 A) by Shri Jagannathrro Joshi—Withdrawn	—136
मृत्यु दण्ड उत्सादन विधेयक, श्री नरेन्द्र कुमार साँघी का—वापस लिया गया	Abolition of Capital Punishment Bill by Shri N.K. Sanghi-Withdrawn	—137
श्री नरेन्द्र कुमार साँघी	Shri N.K. Sanghi	—137
श्री एफ०एच० मोहसिन	Shri F.H. Mohsin	—140
लोक प्रतिनिधित्व [संशोधन] विधेयक [धारा 8 का संशोधन]—श्रीमती सुभद्रा जोशी का—वापस लिया गया	Representation of Amendment Bill Amendment of section 8) by Shrimati Subhadra Joshi—Withdrawn	—141
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	—141
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi	—141
श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य	Shri S.P. Bhattacharyya	—143
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	—143
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	—144
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	—144
श्री वी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla	—144
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait	—144
श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman	—145
श्री महादीपक सिंह शाक्य	Shri Mahadeepak Singh Shakya	—145
श्री सी०एच० मोहम्मद कोया	Shri C.H. Mohamed Koya	—145
श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga	—146
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	—146
संविधान [संशोधन] विधेयक [सप्तम अनुसूची का संशोधन], श्री अर्जुन सेठी का विचार करने का प्रस्ताव	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Seventh Schedule) by Shri Arjun Sethi	—147
	Motion to Consider	—147
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	—148
श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य	Shri S.P. Bhattacharyya	—149
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	—149
सम्पूर्ण राजस्थान को अकालग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव	Proposal to declare whole of Rajasthan as Famine-affected	—149

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga	—149
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे,	Shri Annasaheb P. Shinde	—150
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	—151
आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान मंडल [शक्तियों का प्रत्यायोजन] विधेयक,	Andhra Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Bill	—151
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As passed by Rajya Sabha	—151
कार्य मन्त्रणा समिति	Business Advisory Committee	...152
27वाँ प्रतिवेदन	Twenty--seventh Report	...152

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 23 मार्च, 1973/2 चैत्र, 1895 (शक)

Friday, 23 March, 1973/Chaitra 2, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
Mr. Speaker *in the Chair*}

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चाय बोर्ड द्वारा एक तिमाही पत्रिका का प्रकाशन

+

441. श्री मोहम्मद खुदा बख्श :
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चाय बोर्ड अपनी तिमाही पत्रिका 'टी वर्ल्ड' नियमित रूप से प्रकाशित करने में असफल रहा है ;

(ख) क्या पत्रिका के अनियमित प्रकाशन से विदेशों में इसके खरीदारों पर बोर्ड की क्षमता के बारे में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) पत्रिका के अनियमित प्रकाशन के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) चाय बोर्ड द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका "टी वर्ल्ड" मानार्थ वितरण के लिये हैं अतः इसके कोई ग्राहक नहीं हैं। बोर्ड की क्वालिटी के सम्बन्ध में या विलम्ब के सम्बन्ध में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) पत्रिका के प्रकाशन में अनियमितता कारण अंशतः 1971 में विज्ञापन परामर्शदाता द्वारा विशिष्ट समयानुसूची के अनुसार मुद्रण कार्य की देखभाल न कर सकना है और अंशतः 1972 के पहले छः महीनों में लोक सम्पर्क अधिकारी का, जो इस पत्रिका का सम्पादक भी है, बदलना है।

श्री मुहम्मद खुदा बख्श : विज्ञान परामर्शदाताओं के नाम क्या हैं तथा जिन प्राधिकारियों द्वारा उनकी नियुक्ति की गई उनके नाम क्या हैं ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वे अपने दायित्वों को उचित तरह निभाने में समर्थ नहीं हुए क्या सरकार का विचार उनके स्थान पर अधिक कुशल परामर्शदाताओं की नियुक्ति करेगी ।

श्री ए० सी० जार्ज : विज्ञापन ऐजन्सी का नाम आई० ए० एम० कलासा है ।

श्री मुहम्मद खुदा बख्श : आई० ए० एम० से क्या तात्पर्य है ?

श्री ए० सी० जार्ज : अभी तो मैं इसका पूरा नाम नहीं बता सकता पर बाद में बता दूंगा । चाय बोर्ड की एक उपसमिति द्वारा विज्ञापन परामर्शदाताओं का चयन किया जाता है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा और जबसे हमें यह ज्ञात हुआ कि यह ऐजन्सी न तो सुचारू रूप से कार्य कर रही है और न अपने दायित्वों को उचित तरह से निभा रही है तो हमने 31 मार्च 1972 से उसकी सेवाएं समाप्त कर दी ।

श्री मुहम्मद खुदा बख्श : क्या प्रकाशन में यह अनियमितता सभापति द्वारा जनसम्पर्क अधिकारी एवं सम्पादक के कार्यों में हस्तक्षेप के कारण तो नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : लगता है माननीय सदस्य को कुछ व्यक्तिगत जानकारी है ।

श्री ए० सी० जार्ज : हमें सभापति महोदय के इस मामले में अनुचित हस्ताक्षेप के बारे में कुछ मालूम नहीं ।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चाय बोर्ड के सभापति या किसी अन्य प्राधिकरण ने, मंत्री महोदय द्वारा उल्लिखित कलकत्ता की इस विशेष विज्ञापन परामर्शदात्री फर्म की नियुक्ति में विशेष रूचि ली थी । क्या सभापति द्वारा इसका चुनाव अपनी इच्छा से किया गया था । मंत्री महोदय के वक्तव्य से स्पष्ट है कि जनसम्पर्क अधिकारी इस त्रैमासिक पत्रिका के सम्पादक भी है । वर्ष 1972 के पूर्वार्द्ध तक इसकी सप्लाई में कुछ गड़बड़ी आई इसके क्या कारण हैं ? क्या यह सच है कि समय-समय पर जनसम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और सभापति द्वारा उनके इस्तीफे अपनी इच्छा से स्वीकार किये जाते हैं । क्या विलम्ब का एक यह भी कारण है ?

श्री ए० सी० जार्ज : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि परामर्शदायी सेवाओं का चुनाव चाय बोर्ड की एक उपसमिति द्वारा किया जाता है । हमें मालूम नहीं कि सभापति ने इसमें कोई अनावश्यक हस्तक्षेप किया है किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं की गई है । जहां तक जनसंपर्क अधिकारी का संबंध है उनमें काफी गतिशीलता है । पहले जनसम्पर्क अधिकारी ने नवम्बर 1971 में इस्तीफा दिया था । दूसरे व्यक्ति का यथा प्रक्रिया संबंधी सभी औपचारिकताओं को ध्यान मे रखते हुए किया गया था । वह व्यक्ति भी ज्यादा देर पद पर नहीं टिका अतः तीसरे व्यक्ति का चुनाव करना पड़ा और वही अधिकारी आजकल इस पद पर कार्य कर रहा है । मैं इस बात को नही मानता कि सभापति ने स्वेच्छा से इस्तीफा स्वीकार किया । अधिकारी का त्यागपत्र उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ।

श्री पी० जी० मावलकर : यदि मैं मंत्री महोदय की बात को समझता हूँ तो जिस पत्रिका के विषय में यहाँ बात की जा रही है वह मूल्य पर नहीं बेची जाती अपितु उसका मानार्थ वितरण होता है क्या इसी कारण पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित नहीं हो रही दूसरे यदि यह मानार्थ ही

वितरित होती है तो क्या यह संसद सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वह इसका लाभ उठा सके।

श्री ए० सी० जार्ज : पत्रिका का मानार्थ वितरण इसके प्रकाशन में अनियमितता के लिए उत्तरदायी नहीं। मुख्य प्रश्न में खरीदारों की शिकायतों के बारे में पूछा गया था इसी कारण मैंने उल्लेख किया कि यह त्रैमासिक पत्रिका मानार्थ वितरण के लिए है अत: इसका कोई ग्राहक नहीं। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि इसका प्रकाशन अनियमित नहीं होना चाहिए। हम इस अनियमितता को दूर करेंगे! माननीय सदस्य के इस सुझाव पर कि पत्रिका की प्रति संसद सदस्यों को भी उपलब्ध कराई जाए, विचार किया जाएगा।

Strike by Employees of Khadi Gramodyog Bhavan, Delhi

*446. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the employees of Khadi Gramodyog Bhavan, Delhi, have been on strike for the last one month in support of their demands; and

(b) if so, the demands of these employees and the measures taken by Government to meet them ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों ने निम्नलिखित मांगें की हैं :-

(1) उन्हें आयोग के "नियमित" कर्मचारी समझा जाना चाहिए।

(2) जो सुविधाएं नियमित कर्मचारियों को उपलब्ध हैं, वे सुविधाएं उन्हें दी जानी चाहिएं।

(3) भवन के स्वामित्व को केन्द्रीय सरकार के अलावा किसी और को हस्तान्तरित नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने 15-2-1973 को हुई अपनी बैठक में नियमित कर्मचारियों और व्यापारिक स्टाफ के वेतनमानों में समानता लाने के लिए सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर दिया है। आयोग द्वारा कर्मचारी यूनियन को तदनुसार सूचित किया जा चुका है और मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जा चुका है।

Dr. Laxmi Narayan Pandeya : Mr. Speaker the statement laid by the hon. Minister on the Table of the House of course deals with the demands of the workers but the hon. Minister has not said anything as to how those demands are to be met. In the meeting held on 15-2-1973 it was agreed to introduce parity in the pay scales. I want to know whether trading staff will be treated as regular staff and whether the same facilities will be extended to them.

ए० सी० जार्ज : वक्तव्य में स्पष्ट कहा गया है कि आयोग ने 15-2-73 को हुई अपनी सभ यमित कर्मचारियों और व्यापारिक स्टाफ के वेतनमानों में समानता लाने केलिए सिद्धांत रूप से अनुमोदन कर दिया है। अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुए विचार-विमर्श में यह भी स्वीकार किया गया कि व्यापारिक स्टाफ को आयोग के कर्मचारियों के समान समझा जायेगा।

Dr. Lakmi Narayan Pandeya : But it is still not clear if the trading staff and the regular staff will be placed in the same category or in two different categories. It was said that the benefit of the recommendation of the second pay commission will be available to them with effect from 1-1-1973. Now that the recommendations of Third pay commission have also come out, I want to know whether the benefits of the recommendations of the S econd Pay Commission will be made available to them retrospectively or not.

श्री ए० सी० जार्ज : सामान्यतः खादी और ग्रामीण औद्योगिक आयोग व्यापारिक संस्थाओं को नहीं चलाता पर अपवादस्वरूप जब राज्य बोर्ड उन्हें चलाने के लिए आगे नहीं आते तो खादी और ग्रामोद्योग भवन उनका संचालन करता है ऐसे संस्थान बहुत कम है और वह भी दिल्ली-भोपाल और गोआ आदि कुछ स्थानों में दी है। खादी ग्रामोद्योग भवन ने इन संस्थानों को राज्य बोर्डों को सौंपने की कोशिश की है जैसा कि अन्य मामले में भी किया गया है किन्तु कुछ ऐसा हुआ है कि हम इनके लिए उचित व्यवस्था नहीं कर पाये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को इस मामले में बहुत कुछ मालूम होगा पर वह प्रश्न का संगत एवं संक्षिप्त उत्तर दे।

श्री ए० सी० जार्ज : इसी संदर्भ में चर्चा की गई थी और उनकी शिकायतों पर विचार किया गया था। व्यापारिक स्टाफ को हर तरह से आयोग के कर्मचारियों के समान समझा जायेगा।

श्री टी० बाल कृष्णैया : क्या आयोग 15-2-1973 को हुई बैठक में खादी आयोग के कर्मचारियों को सभी सुविधाएं 1-1-73 से प्रदान करने का निर्णय किया गया था, और यदि हां तो कब इसे लागू किया जायेगा ?

श्री ए० सी० जार्ज : कर्मचारियों के साथ हुई बातचीत में यह स्पष्ट किया गया था कि इसका सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर लिया गया है लेकिन इसको लागू करने के सम्बन्ध में कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है।

श्री नवल किशोर सिन्हा : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खादी ग्रामोद्योग भवन के कई सम्बद्ध संगठन, जैसे बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग संघ आदि आयोग तथा इन संगठनों के कर्मचारियों के वेतन में समानता न होने के कारण संकट का सामना कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इन संगठनों का कार्यकरण एक तरह से ठप्प ही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय यह सब सुविधाएं, जोकि व्यापारिक स्टाफ को देने की सोच रहे हैं, बिहार खादी और ग्रामोद्योग भवन संघ तथा अन्य ऐसी संस्थाओं को भी प्रदान करने के लिए आयोग को परामर्श देंगे।

श्री ए० सी० जार्ज : क्या यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित है ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न वेतनमानों में असमानता के बारे में है। मेरे विचार में यह प्रश्न भाग (ख) के अन्तर्गत आता है।

श्री ए० सी० जार्ज : कर्मचारियों का यह विशेष वर्ग जिसके बारे में माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं राज्य के रोजगार के अन्तर्गत आता है। स्वायत निकाय होने के कारण।

Shri Chandrika Prasad : On 13-11-1972 during the half an hour discussion the hon. Minister had stated that the recommendations of the Second Pay Commission will be implemented with effect from 1-1-1973. May I know when the Government is going to implement it ?

श्री ए० सी० जार्ज : आधे घंटे की चर्चा कार्य के पुनःनियतन से पूर्व की गई थी और तब तक खादी और ग्रामीण औद्योगिक आयोग के काम को वाणिज्य मंत्रालय को हस्तान्तरित नहीं किया गया था।

श्री हरि किशोर सिंह : खादी उद्योग के इन कर्मचारियों को जोकि काफी अरसे से इस महकमे में काम कर रहे हैं अब तक स्थायी क्यों नहीं किया गया इसके क्या कारण हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि अस्थायी सूची में कितने व्यक्तियों के नाम हैं और कब से हैं। और अस्थाई सूची पर सब से पुराने कर्मचारी का सेवाकाल कितना है। सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है क्या उन सभी कर्मचारियों को जोकि एक विशेष अवधि पूरी कर चुके हैं स्थायी बनाया जाएगा। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को खादी आयोग के कर्मचारियों पर क्यों नहीं लागू किया गया . . .

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी थी।

श्री हरि किशोर सिंह : दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें उनके लिये कब से लागू की जाएंगी। तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट आने वाली है पर अभी तक दूसरे वेतन आयोग की ही सिफारिशें नही लागू की गईं।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। यह आयोग की नीति नहीं कि वह व्यापार संस्थाओं को चलाए।

श्री हरि किशोर सिंह : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : आप इतना बड़ा घुमा फिरा के प्रश्न पूछ रहे हैं सीधे शब्दों में संक्षिप्त रूप से प्रश्न पूछिए ताकि वह उसका उत्तर दे सकें।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन कर्मचारियों को जिनका नाम अस्थायी कर्मचारियों की सूची में काफी अर्से से है स्थायी बनाया जाएगा और क्या सरकार दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को इनके लिए लागू करेगी यदि हां तो कब से ?

श्री ए० सी० जार्ज : कर्मचारी स्थायी है या अस्थायी है तो कार्य के स्वरूप पर निर्भर करता है इस मामले पर गहराई से विचार करना होगा।

जहां तक दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है इसका उत्तर मैंने पहले दे दिया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या दिल्ली खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों ने संस्थान में होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में कई बार प्रश्न उठाया है और क्या भ्रष्टाचार के मामले सरकार को भी सौंपे गए और यदि हाँ तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जाँच की गई थी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान विवाद में भी उन्होंने संस्थान के कुछ भ्रष्टाचार मामलों का उल्लेख किया है, यदि हां तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री ए० सी० जार्ज : यदि कुछ विशेष आरोप हैं तो निश्चय ही हम इसकी जांच करेंगे।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की ऋण परियोजना के अन्तर्गत गहन विकास के केन्द्रों के रूप में क्षेत्रों का चयन

*447. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया की ऋण परियोजना के अन्तर्गत गहन विकास के केन्द्रों के रूप में देश में कितने क्षेत्रों को चुना गया है!

(ख) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस के उपान्त भूमि वाले छोटे किसानों को किस प्रकार लाभ होगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दिसम्बर 1972 के अन्त में कृषि की गहन वित्त व्यवस्था के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा 111 और स्टेट बैंक आफ इण्डिया समूह द्वारा सामूहिक रूप से 158 केन्द्र चुने गए थे।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) यह योजना अधिकतर उन क्षेत्रों में शुरू की गई हैं जहाँ पर छोटे किसान विकास अभिकरण/सीमान्तिक किसान और कृषि श्रमिक अभिकरण जैसी विशेष योजनाएं काम कर रही हैं। इन चुने हुए केन्द्रों के कार्य-संचालन क्षेत्र में सक्षम और संभावित रूप से सक्षम किसानों को बैंकों की कृषि विकास शाखाओं द्वारा ऋण दिया जाता है।

विवरण

योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) केन्द्र ऐसे क्षेत्रों और उनके नेता जिलों में चुने गए हैं जो छोटे किसान विकास अभिकरण/सीमान्यिक किसान और कृषि श्रमिक अभिकरण, एकीकृत बरानी भूमि कृषि विकास परियोजनाएं बहुविध फसल बोने का कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की विद्युतिकरण योजनाओं जैसी विशेष योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं।

(2) इन में से प्रत्येक केन्द्र से अन्ततः 100 गांवों की सेवा हो सकेगी।

(3) विशेष योजनाएं तैयार करने के लिये बैंक के तकनीकी कर्मचारियों ने इन केन्द्रों के आस पास के क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर लिया है।

(4) प्रत्येक केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों के समूह की अनुमानित आवश्यकताओं के अनुसार कृषि तथा अन्य कार्यकलापों के लिये वित्त व्यवस्था करने के लिये विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं।

(5) सहायक कृषि और कृषि भिन्न कार्यकलापों के लिये फसल ऋणों और धन की व्यवस्था बैंक द्वारा की जाती है; सावधिक ऋण की आवश्यकताओं के लिये बैंक कृषि पुनर्वित निगम से पुनर्वित के योग्य योजनाएं प्रायोजित करेगा।

श्री रणबहादुर सिंह : चूंकि यह योजना विशेषतः पिछड़े क्षेत्रों के किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चलायी गई है और चूंकि यह बात भी सच है कि अधिकांश पिछड़े क्षेत्र सड़क और संचार सुविधाओं में बहुत पीछे हैं तो क्या यह सच है कि 10 किलोमीटर की एक ऐसी सीमा बांधी गई है जिसमें ये सारी योजनाएं लागू की जायेंगी और 10 किलोमिटर से बाहर वाले गांव इस प्रकार की योजनाओं के अन्तंगत नहीं आयेंगे।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस योजना के लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विषमता को दूर करना था और सारा प्रयत्न हमेशा यही रहा है कि पिछड़े क्षेत्रों में बैंक खोलकर यथा-

सम्भव क्षेत्रीय विषमता को दूर किया जाये। विकास के लिये अभी भी गुंजाईश है यह एक भिन्न विषय है।

10 किलोमीटर की सीमा के बारे में कोई सख्ती नहीं है। इसी लिये मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण होते ही दूर-दूर के क्षेत्रों के गावों को अनेक ऋण सम्बन्धी सुविधायें दी गयीं। अतः अनुसरणीय कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतः उन्होंने स्थिति का पुनर्विलोकन किया है और केन्द्रों के नजदीक ऐसे प्रबन्ध योग्य क्षेत्र बनाये हैं जहां अनुसरणीय कार्यवाही के लिए स्थिति पर पुनः विचार करना सुविधाजनक तथा अधिक सुविधाजनक होता।

श्री रणबहादुर सिंह : मंत्री महोदय के उत्तर को ध्यान में रखते हुये क्या मैं पूछ सकता हूँ कि 10 किलोमिटर की सीमा से बाहर के किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश के सिधि जिले के बारे में, जहां केवल दो सड़कें हैं और जहां के बहुत से गांव 10 किलोमीटर की सीमा से बाहर है, मैं जानना चाहता हूँ कि वहां के लिये किस प्रकार की योजनायें विचाराधीन हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मुख्य योजना बैंक विस्तार की है और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की शाखाएं 77 प्रतिशत बढ़ी हैं और इनमें से दो तिहाई शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गयी है। अतः बैंक रहित क्षेत्रों में चाहे वह मध्य प्रदेश हो अथवा कोई अन्य पिछड़ा राज्य, के किसानों को सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण कदम होगा।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों के छोटे अथवा सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिये कौनसी योजनाएं लागू की गयी हैं। जहां न तो सीमान्तिक किसान और कृषि श्रमिक अभिकरण और छोटे किसान अभिकरण हैं और न ही ब्याज की रियायती दरें लागू की गई है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह प्रश्न मूलतः गहन विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित है और माननीय सदस्य का प्रश्न इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है और यह कार्यक्रम इन योजनाओं और ऋण सुविधाओं के सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों तथा छोटे किसानों तक पहुँचता है। विभिन्न योजनायें, चाहे वे सीमाँत किसानों के बारे में हो अथवा बारानी खेती के बारे में हो, सारी इसी योजना के अन्तर्गत आती हैं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या इस गहन क्षेत्र विकास योजना में आवेदन पत्र देते समय छोटे तथा सीमाँत किसानों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और इसके अतिरिक्त वे स्टेम्प डिउटी भी लेते हैं जिसे वे कभी कभी सह भी नहीं सकते ? क्या सरकार इन क्षेत्रों को स्टाम्प शुल्क से विमुक्ति देने पर विचार करेगी ताकि किसान इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : कुछ कदम उठाये गये हैं, एक विशेषज्ञ ग्रुप ने इसकी जांच की थी जिसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और इसे विभिन्न राज्य सरकारों को छानबीन के लिये भेजा गया है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भूमि सुधार कार्यान्वित किये जाने के बाद फालतू भूमि किसानों, कृषि श्रमिकों तथा भूमिहीन लोगों के बीच बहुत बड़े पैमाने पर आंवलटन के लिए उपलब्ध हो जायेगी ? इन लोगों को ऋण के स्थान पर अनु-

दान देने सम्बन्धी क्या कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है ? यदि उन्हें केवल ऋण ही दिया जाये तो वे इसे क्षेत्र के विकास हेतु उपयोग में लाने की स्थिति में नहीं होते । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के ऋणों के स्थान पर सरकार अनुदान दे सकती है जो आने वाले समय के लिये अधिक लाभदायक रहेगा ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह अनुमान है । जहाँ कहीं भी भूमि सुधार क्रियान्वित किये जायें और अवश्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि भूमिहीन लोगों की सहायता की जाये ।

श्री पी० एम० सईद : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस योजना से छोटे किसानों तथा सीमाँत किसानों को लाभ पहुँचेगा । चूंकि मैं उस राज्य का रहने वाला हूँ जहां के वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री हैं, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या इस योजना के अन्तर्गत छोटे तथा सीमांत मछियारे भी लाये जाएंगे ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इसके लिये मुझे पृथक सूचना चाहिये ।

Shri Dhan Shah Pradhan : May I know the defiinition marginal land and the marginal farmer ? What are their limits ? What will you call the formers producing two or 3 crops in a year ? What is the acreage that comes within the meaning of a small farmer because being farmers became small at the time of drawing money ? How will you evaluate these farmers ?

Shrimati Sushila Rohatgi : The desinition of small former differs in irrigated and unirrigated areas. It depends upon different crops in different areas.

Shrimati Sahodrabai Rai : Will the women also the covered under the small farmers scheme for the distribution of land ?

Is women of can realise the difficulties of women but the question of land distribution is not considered an the basis of sex, but on the basis of category.

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : क्या इन्हें इस बात की जानकारी हैं कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने लोड बैंक के रूप में कुछ क्षेत्रों विशेषकर टिहरी गढ़वाल में कुछ गलत निष्कर्ष निकले हैं ? क्या स्टेट बैंक आफ इन्डिया का पुनः सर्वेक्षण करने के लिये कहा जायेगा ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : हमें किसी गलत सर्वेक्षण की जानकारी नहीं । यदि माननीय सदस्य हमें लिखें तो हम इसकी अवश्य जांच करेंगे ।

श्री मोहनराज कलिंगारायर : क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया से ऋण प्राप्त करने वाले किसानों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि स्टेट बैंक आफ इंडिया के एजेन्टों ने उनसे कुछ कमीशन ली है । यदि यह बात सच है तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सामान्य शिकायतें तो हो सकती हैं लेकिन विशेष शिकायत कोई नहीं है । यदि माननीय सदस्य की कोई विशेष शिकायत है तो वे हमें भेजने की कृपा करें ।

Shri R. S. Pandey : The hon. Minister stated that 111 centres have been spend for the benefit of the backward areas. What provision has been made for landless people in tae backward areas ?

Shrimati Sushila Rohatagi : The crop loan is meant for the very poor people. Off hand I can not state the specific scheme formulated for them.

Shri Narsingh Narain Pandey : May I know whether the hon. Minister is aware that the Planning Commission specified 228 Districts as backward areas, if so, whether the Finance Ministry is formulating any scheme on that basis so that the same could also be included in it ?

Shrimeti Sushila Rohatagi : The Finance Ministry is aware of it. A decision would be taken after coordinating all unmaterial relating to the Districts identified by the Planning Commission ?

Shri M. C. Daga : Are there centres being opened according to Block unit or not ? Do you accept the Black as unit or create separate unit for this loan scheme ?

Shrimati Sushila Rohatgi : The decision to open Intensive Agriculture Centre is taken alter discussing the issue with the all the agencies. The centres are opened alter consulting all the agencies.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : ऋण किसे दिया जाये इस बात का निर्णय कौन करेगा ? क्या ब्रांच मैनेजर इस बात का निर्णय करेगा अथवा कोई समिति ताकि स्टेट बैंक के अधिकारी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। क्या यह एक आदमी का काम है या किसी समिति का काम है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाईयों तथा विलम्बों का निवारण करने के लिए स्थानीय स्तर पर भी पर्याप्त शक्तियां प्रदत्त हैं। ये शक्तियां स्थानीय अधिकारियों को दी गई है ताकि कार्य निपटाया जा सके।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : ऋण किसे दिया जाये इस बात का निर्णय कौन करेगा ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : ब्राँच मैनेजर ही निर्णय करेगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अतः यह एक व्यक्ति का निर्णय है।

वन्य जीव पर्यटन के सम्वर्धन के लिए 'सैल' की स्थापना का प्रस्ताव

*449. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वन्य जीव पर्यटन के संवर्धन के लिए एक "सैल" की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। देश में वन्य जीव पर्यटन के विकास की संभावनाओं को स्वीकार करते हुए पर्यटन विभाग में एक सेल की स्थापना की गयी है जोकि संबंधित राज्य एवं केन्द्रीय प्राधिकारियों, प्रकृति वैज्ञानिक संस्थाओं और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से वन्य जीव पर्यटन के क्षेत्र में क्रियाकलाप को बढ़ावा देगा।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : May I know that the States in which this scheme be implemented and whether there is also a provision for the construction of rest houses at those places ? What kind of facilities will be given to the tourists in those rest houses ?

Dr. Karan Singh : We have selected to places in the country where special houses will be constructed. These places are :—Kaji Ranga, Gir, Bharatpur, Kanha National Park. Korvet Park, Bandipur, Danderi, Jaladpara, Nal Sarover and Balesar. We are constructing wild life lodges at these 10 places which will have 50 to 60 beds so that people could stay there comfortably and see the wild animals.

श्री आर० वी स्वामीनाथन् : मंत्री महोदय ने केवल 10 स्थान बताए हैं। दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु की मैसूर सीमा पर . . .

एक माननीय सदस्य : केरल।

श्री आर० वी० स्वा॰ीनाथन् : हाँ केरल भी आता है—वहां मुदुमबाई नामक एक आखेट स्थली है ।

Shri Sukhdev Prasad : How much time will it take to implement the scheme and how much amount will be required for the same.

Dr. Karan Singh : More than one crore rupees are being spent on wild life during the 4th five year plan. Programme has been started in six out of ten places and the same will be started duriag the next year in rest of the four places. We have also provided 16 minibuses so that visitors could travel comfortably.

श्री ए० के० एम० इसहाक : मंत्री महोदय ने हमें बताया है कि 10 स्थानों पर वे बन्द जीवसंरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिये बंगले बनाने जा रहे हैं । उन्होने सुन्दरबन का जिक्र नहीं किया जो बन्य जीव संरक्षण के लिये एक उत्तम स्थान है । जहां तक बन की सघनता का सम्बन्ध है यह देश भर में तथा विश्व में अतुल है । सुन्दरबन में विभिन्न प्रकार के बन्य जीव हैं । क्या इस क्षेत्र पर भी विचार होगा ?

डा० कर्ण सिंह : मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए खुशी है कि 'प्रोजेक्ट टाईगर' योजना के अन्तर्गत गहन संवधंन के लिये सुन्दरबन को चुना गया है और इसे वर्ष अप्रैल से लागू किया जा रहा है ।

श्रीमती एम० गोडफ्रे : क्या आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद क्षेत्र के बनों में एक वन्यजीव केन्द्र खोलने का सरकार का विचार है ?

ड० कर्ण सिंह : जैसे कि माननीय सदस्य जानते ही हैं हैदराबाद में शहर के निकट एक लईयन सफारी पार्क बनाया जा रहा है और इसके लिये हम केन्द्रीय मंत्रालय से एक अनुदान दे रहे हैं ताकि हैदराबाद जाने वाले लोग नजदीक ही से शेर देख सकें ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Why has this love for wild life developed in the heart of the hon. Minister so late and why is this love limited to only ten places and will he show some kindness towards various species of other wild life ?

Dr. Karan Singh : My love for wild life is pretty old and it is not a question of showing any lack of kindness but sometimes finds fall short, this is the difficulty.

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : मंत्री महोदय ने केवल 10 स्थानों का उल्लेख किया है । परन्तु दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में मैसूर की सीमा पर मुदुमलाई रक्षित क्षेत्र नाम बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां शेर के अतिरिक्त सभी पशु पाये जाते हैं । तो क्या उन्हें इस स्थल का भी सुझाव प्राप्त हुआ था ? इसे क्यों छोड़ा गया है ?

डा० कर्ण सिंह : मुदुमलाई को शामिल किया गया है और एक मिनी बस भी उसे अलाट की गई है । मद्रास के निकट एक शेर सफारी पार्क बनाने का भी प्रस्ताव है । मुझे मद्रास से पर्यटन मंत्री का भी एक पत्र मिला है जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है ।

Shri Jagannath Mishra : The decision regarding opening separate cells for 10 Wild Life Sanctuaries is very encouraging. I want to know the difficulty in creating a cell for Hazari Bagh, which has dense jungles and has plenty of wild life ? Whether he would consider it ?

Dr. Karan Singh : Palamu has been selected for 'Project Tiger' in Bihar.

एकाधिकार गृहों पर बकाया आयकर

***454 श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एकाधिकार जांच आयोग के प्रतिवेदन (1965) में दर्ज प्रत्येक एकाधिकार गृह पर बकाया कितना आयकर 1972-73 में बट्टे-खाते डाला गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : एकाधिकार जांच आयोग, 1965 की रिपोर्ट के अनुसार, 75 बड़े-बड़े व्यापार और एकाधिकार गृह हैं। इनमें से प्रत्येक के अन्तर्गत बहुत बड़ी संख्या में कम्पनियाँ हैं, जिनकी कुल संख्या 1536 है। लेकिन तत्काल उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि ऐसी केवल दो कम्पनियाँ हैं जिनके मामलों में 1972-73 के दौरान 1 लाख रु० से अधिक की बकाया सम्बन्धी मांग बट्टे खाते डाली गयी है। इन दोनों कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी एकाधिकार जांच आयोग, 1965 की रिपोर्ट में यथा सूचीबद्ध एकाधिकार गृहों से सम्बन्धित नहीं है। एकाधिकार गृहों से सम्बन्धित जिन कम्पनियों पर एक लाख रु० से कम बकाया कर बट्टे खाते डाला गया, उनके बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन . उन्होंने असंतोषजनक उत्तर दिया है क्योंकि सरकार का कहना है कि एकाधिकार गृहों की अनेक कम्पनियाँ चल रही हैं जिनका उनके पास कोई रिकार्ड नहीं है। क्या गत वर्ष 1971-72 में इन गृहों पर करों की बकाया राशि और बट्टे खाते में डाली गई राशि का सरकार के पास कोई रिकार्ड है ? यदि हाँ, तो क्या मंत्री महोदय उक्त वर्ष में आयकर की कुल बकाया राशि, वसूल की गई राशि और बट्टे खाते में डाली गई राशि बताएंगे ?

श्री के० आर० गणेश : पहले सदस्य महोदय ने बट्टे खाते में डाली गई बकाया राशि के बारे में पूछा है। इसके लिए तो उन्हें पृथक प्रश्न रखना होगा। पूरी बकाया राशि में तो बहुत विस्तृत क्षेत्र आता है। इस समय तो मैं इन कम्पनियों की बकाया राशि का ही उल्लेख करूंगा।

जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है, 1973-74 में जिन कम्पनियों की बकाया कर की राशि बट्टे खाते में डाली गई है, उनमें केवल दो कम्पनियां ही एकाधिकार गृहों से बाहर की हैं। मैं यह भी बता चुका हूं कि 1972-73 में एकाधिकार गृहों की करों की किसी बकाया राशि को बट्टे खाते में नहीं डाला गया। पहले की अवधि में भी इन गृहों की कोई बकाया राशि बट्टे खाते में नहीं डाली गई है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या इसका अर्थ क्या यह है कि इस वर्ष या गत वर्ष किसी भी एकाधिकार गृह की बकाया कर-राशि बट्टे खाते नहीं डाली गई। यह कहने का क्या अभिप्राय है कि वह जानकारी एकत्र कर रहे है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी। वह कौन-सी जानकारी एकत्र करने जा रहे हैं ?

श्री के० आर० गणेश : सदस्य महोदय ने मेरा उत्तर तो सुन ही लिया है। मैंने एक लाख रुपये से अधिक की बकाया कर राशि के बारे में बताया है और यह आश्वासन भी दिया है कि इस राशि से कम की बकाया राशि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : एक लाख रुपये से कम राशि के बारे में तो मैंने कुछ नहीं पूछा था और न ही इससे अधिक राशि के बारे में ही पूछा था। मेरा प्रश्न तो यह था कि एकाधिकार गृहों पर बकाया राशि में से क्या एक भी पैसा बट्टे खाते में नहीं डाला गया ?

श्री के० आर० गणेश : मैंने एक लाख रुपये की बकाया कर-राशि के बारे में जानकारी काफी सावधानीपूर्वक दी है। इस समय मेरे पास यही जानकारी उपलब्ध है। आपके प्रश्नों के उत्तर इसी में से छांटने होंगे। इन 75 एकाधिकार गृहों की 1536 कंपनियाँ है जो पाँच या छः

आयुक्तों के अधीन है। मैं समझा रहा हूँ, कुछ छिपा नहीं रहा हूँ। एक ही प्रश्न के उत्तर में इतनी कंपनियों के बारे में ब्यौरा एकत्र करना सम्भव नहीं है। एक लाख रुपये से अधिक की बकाया कर-राशि के बारे में प्रश्न आने पर हम जांच-पड़ताल करने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक एक लाख रुपये से कम की राशि का सम्बन्ध है, गत तीन या चार वर्ष में इन गृहों पर बकाया राशि में से एक भी पैसा बट्टे खाते में नहीं डाला गया। आपके प्रश्न सम्बन्धी बातों पर हमें जांच-पड़ताल करनी होगी क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत विशाल है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने के लिए विभिन्न कसौटियाँ निर्धारित हैं। सबसे पहले तो निर्धारिती अपनी मृत्यु के बाद यदि कोई आस्तियाँ न छोड़ जाए और यदि उसकी कम्पनियों का दिवाला पिट चुका हो, तो उनके मामले पहले लिए जाते हैं। पहले मांग भेजी जाती है परन्तु बाद में निर्धारण में परिशोधन कर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : जहाँ तक इन श्रेणियों का सम्बन्ध है, कई बार बताया जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है, शायद इसलिए कि 1000 से भी अधिक प्रकार की कपनियां हैं। आपको अन्य बातों में उलझने के बजाय सीधे यही कह देना चाहिये था।

श्री भागवत झा आजाद : यह तो सम्भव नहीं लगता। इन विभिन्न क्षेत्रों के प्रभारी बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनके अधीन अनेक कर दाता हैं फिर सरकार कैसे कह सकती है कि एकाधिकार गृहों के बारे में उनके पास जानकारी नहीं है। मंत्री महोदय को जानकारी क्यों नहीं मिल रही है ?

श्री के० आर० गणेश : मैंने यह तो नहीं कहा कि मेरे पास जानकारी नहीं है, जो जानकारी मेरे पास थी मैंने दे दी है। **(अन्तर्बाधा)**

श्री एन० श्रीकांतन नायर : मेरे विचार में प्रत्येक फर्म के पास बकाया कर-राशि प्रति वर्ष बढ़ती जाती है ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय के लिए इस वर्ष और गत वर्ष को छोड़कर गत तीन वर्षों में एकाधिकार गृहों की बकाया कर-राशि के आंकड़े एकत्र करना बहुत कठिन है ?

श्री के० आर० गणेश : जहां तक बकाया कर-राशि का सम्बन्ध है, जानकारी दी जा चुकी है। यह प्रश्न तो कुछ एकाधिकार-गृहों पर बकाया कर-राशि को बट्टे खाते में डालने के बारे में है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या मंत्री महोदय के सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण को देखते हुए क्या हम यह समझें कि किसी भी एकाधिकार गृह को एक लाख रुपये से कम राशि की बकाया कर राशि को बट्टे खातों मे नहीं डाला गया ?

श्री के० आर० गणेश : मैंने यहां यह आश्वासन दिया है कि आंकड़ें एकत्र किए जा रहे हैं।

मैसर्स यूनियन कार्बाइड लिमिटेड द्वारा अमरीका को झींगे का निर्यात

***457. श्री आर० एन० बर्मन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स यूनियन कार्बाइड लिमिटेड द्वारा वर्ष 1972 में अमरीका को निर्यात किये गये झींगे के कुछ मामलों में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य का उल्लंघन करके तथा

न्यूयार्क और सान फ्रांसिस्को के स्पाट बाजारों के ग्राम भावों की तुलना में कम राशि के बीजक बनाये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी नहीं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मैसर्स यूनियन कार्बाइड लिमिटेड ने 1972 में अमरीका को झींगों का निर्यात करते समय कुछ खेपों के कम राशि के बीजक बनाए थे ।

श्री आर० एन० बर्मन : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सरकार ने झींगों के क्या मूल्य निर्धारित किये थे तथा यूनियन कार्बाइड ने वर्ष 1972 में अमरीका को किन मूल्यों पर झींगों का निर्यात किया था ?

श्री ए० सी० जार्ज : इन झींगों के निर्यात के लिये कोई न्यूनतय मूल्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। हम तो बाजार से प्राप्त जानकारी से मार्ग दर्शन ग्रहण करते हैं। अमरीका सरकार के मत्स्य विभाग ने एक "ग्रीन शीट" प्रकाशित की है और हम उससे भी तुलना करके यह पता लगाते हैं कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है।

श्री आर० एन० बर्मन : वास्तविक मूल्य क्या है ?

श्री ए० सी० जार्ज : हालाँकि सामान्य श्रेणी के अधीन इसे एक मद माना जाता है, तथापि इसकी अनेक किस्में हैं। अत: यह कहना कठिन है कि सही-सही मूल्य क्या है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस तथ्य की दृष्टि से कि झींगों के निर्यात का व्यापार हाल ही में पनपा है तथा अधिकांशतः छोटे तथा मध्यम उद्यमकर्ताओं द्वारा ही इसका संवर्द्धन किया जा रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या एक विदेशी कम्पनी मैसर्ज यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, जो कि इस देश में मुख्यत: टार्चों तथा बैट्रियों के निर्माण कार्य में व्यस्त है, उसको झींगों के निर्यात का व्यापार करने की अनुमति दी गई है ?

श्री ए० सी० जार्ज : हमें मालूम है कि बहुत से बड़े बड़े उद्योग गृह मत्स्य व्यापार कर रहे हैं — (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केरल में झींगों का निर्यात करने वाले लोगों ने शिकायत की थी कि यूनियन कार्बाइड को यह व्यापार करने की अनुमति क्यों दी गई।

श्री ए० सी० जार्ज : उनको इस प्राथमिकता-प्राप्त व्यापार को करने से रोकने हेतु इस समय कोई कानून नहीं है। जब तक वे कोई विशिष्ट प्रकार आर्थिक अपराध नहीं करते, हम इनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही कर सकने में असमर्थ हैं।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : The export trade of the Fisheries is rapidly increasing Are you not getting you local people to handle this business as you are encouraging foreign companies to do it ?

श्री ए० सी० जार्ज : जैसा कि माननीय सदस्य ने पहले कहा कि इस उद्योग का निर्माण छोटे तथा बीच के पैमाने के उद्यमियों ने किया है (व्यवधान) हम उन्हें समाप्त तो नहीं करना चाहते। वस्तुतः हम छोटे तथा बड़े पैमाने के उद्यमियों को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने तथा बड़े-बड़े शार्कों को इस व्यापार में आने से रोकने हेतु समुद्रीय-पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना में वे सैद्धान्तिक उपाय कर रहे हैं। अभी तो, यदि वे कोई विशिष्ट, अर्थ-संबंधी अपराध नहीं करते, हम उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें वापस अकेला गया है ? आप बड़े व्यापारियों को महत्व दे रहे हैं। मैं अपने प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

I wanted to know whether you were not finding enough local people to carry on this export trade as you are bringing forward the foreign companies to boost up this industry ?

श्री ए० सी० जार्ज : मत्स्य उद्योग पर किसी प्रकार का कोई विशिष्ट प्रतिबन्ध नहीं है। तब तक तो स्वाभाविक ही है कि इतने लोग इस व्यापार में आ जायेंगे। परन्तु यह हमारी नीति है कि विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा इस संबंध में यथासंभव रोकथाम की जाय ताकि हम छोटे उद्योगपतियों को प्रोत्साहित कर सकें।

श्री बी० वी० नायक : इस तथ्य की दृष्टि में कि झींगों के निर्यात से भारी मुनाफा होता है और मंत्री महोदय ने कहा कि इस समय तो झींगों के न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं किये गये हैं, और क्योंकि यह देश के 43 लाख मछिआरों का मामला है, तो क्या सरकार झींगों के ऐसे न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगी जिनसे देश के मछियारों को लाभ पहुंचे ?

श्री ए० सी० जार्ज : हम इस सुझाव पर विचार करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सिंगापुर में भारतीय बैंक

***422. श्री एच० एम० पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार का ध्यान 1 फरवरी, 1973 के 'स्टेट्समैन में प्रकाशित इस समाचार की ओर ध्यान दिलाया गया है कि सिंगापुर के भारतीय बैंकों को प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके ग्राहकों में होती जा रही कमी में और भी कमी होगी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : सरकार ने 1 फरवरी, 1973 के "स्टेट्समैन" में सिंगापुर में भारतीय बैंकों की समस्याएं शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित रिपोर्ट को देख लिया है। सिंगापुर में जिन बैंकों की शाखाएं हैं उन भारतीय बैंकों का कहना है कि यद्यपि, सिंगापुर में बैंकिंग क्षेत्र में प्रतियोगिता तीव्रतर होती जा रही है, फिर भी वे इस विचार से सहमत नहीं हैं कि उनके ग्राहकों में निरन्तर कमी होती जा रही है या आगे कमी होना अवश्यंभावी है। तीव्र प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए बैंक लाभप्रद कारोबार को नये स्रोतों की बराबर खोज कर रहे हैं।

डीजल सैटों का आयात

***443. श्री रामभगत पस्वान :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में डीजल सैटों का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) इस वर्ष बिजली की कमी की अवधि के दौरान औद्योगिक एककों की कार्य चालन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार कम से कम संख्या में आवश्यक उस आकार के डीजल जैनरेटिंग सैटों का आयात करने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं ।

मैसर्स एशियन केबल्स द्वारा आयात लाइसैंसों का दुरुपयोग

*444. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन के संदर्भ में मैसर्स एशियन केबल्स के विरुद्ध आयात लाइसैंसों के दुरुपयोग के आरोपों के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि मैसर्स एशियन केबल्स पर यह आरोप लगाया गया था कि वास्तविक प्रयोक्ताओं के रूप में उन्होंने तांबा, एल्यूमिनियम तथा निम्न घनत्व वाले पौलिथिलीन ढलाई पाउडर का जो आयात किया था उसका उन्होंने दुरुपयोग किया । अपने निष्कर्षों के आधार पर, केन्द्रीय जाँच ब्यूरों ने. हस्ताक्षर के लिए आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के पास 3 अलग-अलग शिकायतें भेजीं ताकि उन्हें न्यायालय में फाईल कराया जा सके ।

ताँबे के दुरुपयोग के बारे में शिकायत पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और उसे न्यायालय में फाईल करा दिया गया हैं । इसी प्रकार, एल्यूमिनियम के बारे में शिकायत पर भी आयात नियन्त्रण प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये जा चुके हैं ।

जहां तक आयातित निम्न घनत्व वाले पौलिथिलीन ढलाई पाउडर के दुरुपयोग के आरोप का सम्बन्ध है । शिकायत को फाईल कराने के बारे में सरकार के विनिश्चय पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होने वाले विभिन्न वस्तुओं के आयात-निर्यात की व्यवस्था को पुनरीक्षित करने की योजना

*445. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से होने वाले विभिन्न वस्तुओं के आयात-निर्यात की व्यवस्था को पुनरीक्षित करने की योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से आयातों का उत्तरोत्तर मार्गीकरण करना सरकार की नीति है। इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष पदों की सूची का पुनर्विलोकन किया जाता है ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकरों की समिति का गठन

*448. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने एक समिति गठित की है जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित हो सके कि जो वाणिज्यिक बैंक भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों को खाद्यान्नों की वसूली, भण्डारन तथा वितरण के लिए वित्त प्रदान करने में मिलकर कार्यवाही कर रहे हैं उनके मध्य खाद्य वसूली सम्बन्धी ऋण का समान रूप से वितरण हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो नियुक्ति की शर्तें और समिति के कृत्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने दिसम्बर, 1972 में बैंकरों की एक समिति बनाई थी जिसमें रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ इण्डिया और बैंक आफ बड़ौदा के प्रतिनिधि शामिल किये गये थे । इस समिति का गठन, खाद्यान्नों की खरीद संग्रहण एवं वितरण और इन अभिकरणों की ऋण की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों और उनके अभिकरणों के कार्यों को वित्त पोषण करने के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा चालित सहायता संघ प्रबन्ध में भाग लेने वाले वाणिज्यिक बैंकों के बीच खाद्यान्न उपलब्धि ऋण के बराबर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था । यह समिति सहायता प्रबन्ध से सम्बन्धित विभिन्न प्रक्रियात्मक और परिचालन सम्बन्धी अन्य पहलुओं की जांच भी किया करेगी ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की सायंकालीन शाखाएं खोलना

***450. प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्टेट बैंक आफ इण्डिया अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक की सायंकालीन शाखाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो उन शाखाओं के नाम क्या हैं और वे कहाँ कहां पर स्थित हैं तथा वे किस तारीख को खोली गयी थीं; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों में ऐसी और अधिक शाखाओं के खोले जाने को प्रोत्साहन देने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक नये कार्यालय खोलने के लिए बैंकों के लाइसैंस देता है तथापि इन कार्यालयों के कार्य के घंटे इन बैंकों के द्वारा असामियों की सुविधा के अनुसार अपने आप निर्धारित किये जाते हैं । ऐसे अनेक कार्यालय हैं, विशेष रूप से महानगरों में, जिनके कारोबार का समय कार्य के सामान्य घंटों से भिन्न है । इनमें से कुछ कार्यालय प्रातः तथा सायंकाल को, दो सत्रों में काम करते हैं, लेकिन कुछ कार्यालय केवल शाम को काम करते हैं । केवल सायंकाल में कार्य करने वाली शाखाओं के नामों, और उनके स्थानों तथा उन्हें खोलने की तारीखों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

चौड़े आकार के हवाई जहाजों का क्रय

***451. श्री एम० एम० जोजफ :**

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौड़े आकार के हवाई जहाजों का क्रय स्थगित कर दिया है, जैसा कि एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन्स के संयुक्त प्रबन्धक बोर्ड ने सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मोटी रूपरेखा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इण्डियन एयर लाइन्स अपनी विमान बेड़े विषयक आवश्यकताओं की जांच कर रही है, तथा अभी इसने सरकार को अपने प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। कारपोरेशन की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में और विमानों की खरीद के लिए व्यवस्था की जा रही है, परन्तु कितने विमान और लिए जाने हैं उनकी सही सही संख्या तथा प्रकार का निर्णय अभी किया जाना है । 1975-1976 से एयर इण्डिया भी कुछ और विमानों की खरीद के लिए व्यवस्था कर रही है। कौन से वृहत्काय विमान लिए जायेंगे उनके प्रकार एवं उनकी संख्या के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा कम कियायों पर जनता रात्रि हवाई सेवाएं चलाने की योजना

***452. श्री विभूति मिश्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल और सड़क द्वारा यात्रा करने वालों को विमान द्वारा यात्रा करने के लिए आकर्षित करने हेतु इण्डियन एयर लाइन्स कम किराये वाली जनता रात्रि विमान सेवाएं चलाने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सेवाएं कब से और किस-किस मार्ग पर चलायी जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इण्डियन एयर लाइन्स कुछ मार्गों पर जैट विमानों से घटी दरों पर रात्रि सेवाएं परिचालित करने की व्यवहार्यता की जांच कर रही है ।

(ख) इस विषय में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

Payment of Cheques in the Nationalised Banks of Udaipur district, Rajasthan

***453. Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether payment against cheques is not made on the same day in the nationalised banks of Udaipur District in Rajasthan State; and

(b) if so, the reasons therefor and the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) and (b) Cheques drawn on a particular bank's office presented across its counter during banking hours are paid on the same date provided they are in order. Cheques drawn on banks at centres without clearing house arrangements are paid after their proceeds have been realised from the banks on which the cheques have been drawn. At centres where the clearing house is established, cheques drawn on local banks, received before the stipulated time, are presented to the concerned banks in the clearing house on the same date and the proceeds credited to the accounts of depositors. No payment is however allowed against such cheques till the next working day as the banks on which cheques are drawn have to be allowed time for returning unpaid instruments.

Presumably, Hon'ble Member is referring to the payment of local cheques at Udaipur which is the only centre in Udaipaur district where a clearing house is functioning. Udaipur clearing house meets at 12.30 PM on week days and at 11.30 AM on Saturdays. Banks fix different timings for the acceptance of cheques for presentment at the c'earing house keeping in view their distance from the clearing house and time required to stamp, list and present the cheques in the clearing house. Cheques presented on week days within prescribed time are cleared on the same day, but no withdrawals are allowed until the next day till the time for creturning unpaid heques is over. Cheques presented on Saturdays are presented for clearing only on the next working day in view of the time taken to process the cheques for the purpose of clearing.

देश में 'शुल्क मुक्त' हवाई अड्डों के सम्बन्ध में प्रस्ताव

*455. **श्री वरके जार्ज :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में कुछ शुल्क मुक्त हवाई अड्डे बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। परन्तु, चारों अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर शुल्क-मुक्त दुकानें हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न बीमा कंपनियों में सेवा शर्तों के बारे में मथरानी समिति का प्रतिवेदन

*456. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न बीमा कम्पनियों में सेवा शर्तों के एकीकरण के बारे में मथरानी समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

Central Assistance to States for Development Schemes

*458. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the expenditure involved in the annual development schemes of the States for 1972-73 and the assistance given by the Central Government in this regard; and

(b) the State-wise cut effected in the Central assistance given for development schemes of the States during 1972-73 as compared to that given during 1971-72 for this purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(Rs. Crores)

	State	1972-73 Anticipated expenditure as reported by State Governments	1972-73 Central Assistance allocated*	1971-72 Central Assistance allocated
1.	Andhra Pradesh	78.79	50.23	48.00
2.	Assam	40.67	32.95†	36.56‡
3.	Bihar	114.22	70.88	67.60
4.	Gujarat	136.39	33.13	31.60
5.	Haryana	68.78	16.46	15.70
6.	Jammu & Kashmir	41.49	32.00	29.00
7.	Kerala	73.85	36.70	36.00
8.	Madhya Pradesh	118.76	54.95	52.40
9.	Maharashtra	221.27	51.49	49.10
10.	Meghalaya	8.00	7.22	7.44
11.	Mysore	84.28	36.28	34.60
12.	Nagaland	9.20	7.59	7.00
13.	Orissa	57.60	33.55	32.00
14.	Punjab	93.91	21.18	20.20
15.	Rajasthan	67.24	46.14	44.00
16.	Tamil Nadu	122.86	42.36	40.40
17.	Uttar Pradesh	248.28	110.31	105.20
18.	West Bengal	79.92	46.34	44.20
	TOTAL	1665.51	729.86	700.00
19.	Himachal Pradesh	26.57	22 00	19.50
20.	Manipur	8.99	7.50	5.72
21.	Tripura	8.23	8.00	7.99
	TOTAL	43.79	37.50	33.21
	GRAND TOTAL	1709.30	767.36	733.21

† Excludes Central assistance for Mizoram (Rs. 2.50 crores) as also the State's share of additional central assistance of Rs. 2.00 crores carried over to 1973-74.

‡ Includes Central assistance to Mizoram.

* Includes allocation out of additional central assistance except in the case of Assam, J & K, Meghalaya and Nagaland for which the additional assistance has been carried over to 1973-74.

चमड़े के निर्यात के कोटे का निर्धारण

***459. चौधरी राम प्रकाश :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चमड़े का निर्यात-कोटा निर्धारित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) अर्ध-संधित चमड़े के भारी निर्यातों के कारण देश में चमड़ा माल उद्योग को जिसमें फुट वियर उद्योग भी शामिल हैं, कुछ हद तक कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़

रहा है। अत: सरकार ने 1 अप्रैल 1973 से कोटा-प्रणाली लागू करके अर्ध-साधित चमड़े के निर्यातों पर मात्रा संबंधी प्रतिबंध लगाने का विनिश्चय किया है।

उड़ीसा में वर्ष 1973-74 में बनाये जाने वाले पर्यटक बंगले

460 श्री श्यामसुन्दर महापात्र : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटकों को आकर्षक करने वाले सभी स्थानों पर सस्ते पर्यटक बंगले बनाए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 1973-74 में ऐसे कितने बंगले उड़ीसा में बनाए जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : पर्यटकों के लिये सस्ते आवास की व्यवस्था करने के लिये पर्यटन विभाग महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों पर पर्यटक बंगलों, युवा होस्टलों, स्वागत केन्द्रों व होटलों तथा विश्राम गृहों का निर्माण कर रहा है। इस योजना के एक भाग के रूप में पुरी में एक युवा होस्टल की व्यवस्था की जा रही है। भारत पर्यटन विकास निगम, जो कि एक सरकारी उद्यम है, भुवनेश्वर तथा कोणार्क में यात्री लाजें चला रहा है।

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्य कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

4328. श्री पी० वेंकटासुब्बैया :
श्री चंद्र शैलानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि भारत सरकार के मंत्रीमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) के 27 नवम्बर 1972 के पत्र संख्या एफ० एन० 27/2/71-एस्टेबिलशमेंट (सेक्शन) में उल्लेख किया गया है, भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्य कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बारे में अलग आदेश जारी किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जारी किये गये आदेशों की क्रम संख्या तथा तारीखें क्या क्या हैं तथा क्या उनकी प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) ये आदेश नियंत्रक महा लेखा परीक्षक के 25 जनवरी 1973 के परिपत्र संख्या 172-एन. जी. ई. II/56-72-1 के अन्तर्गत जारी किए गये थे, जिसकी प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी गयी है : [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 4567/73]

तंजानिया को ऋण देने के लिए करार

4329. श्री जी०वाई० कृष्णन् : क्या वित्त मंत्री तंजानिया को ऋण देने के लिए करार के बारे में 9 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2685 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत द्वारा तंजानिया को दिये गये 5 करोड़ रुपये के ऋण पर कौन-कौन सी वस्तुएं तंजानिया को उपलब्ध की जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : तंजानिया को दिया गया ऋण वहां कतिपय परियोजनाओं की स्थापना करने और/अथवा उनका विस्तार करने के लिए भारत में निर्मित मशीनें, उपकरण और फालतू पुर्जे खरीदने के लिए काम में लाया जाएगा। प्रत्येक परियोजना के लिए आवश्यक वस्तुओं का उल्लेख नहीं किया गया है। परियोजनाओं की सूची (ऋण करार का विवरण) सभा पटल पर रख दी गई है।

परियोजनाओं की सूची

विद्युत परियोजनाएं :

किमी-यूटेगी वितरण

नेवाला बिजली घर

एन्डोम्बो पन-बिजली घर

औद्योगिक बस्ती :

ढले लोहे के उत्पादन-दार-ए-सलम

लोहे की चटखनियां, छपके और कुण्डे-दार-ए-सलाम

दरवाजे के लिए इस्पात के कब्जे (कुंदे की किस्म के)

टोटियां, बिब काक स्टाप काक और ढले पीतल की अन्य वस्तुएं-दार-ए-सलाम

हल्की इंजीनियरी कार्यशालाओं के लिए औद्योगिक बस्ती-दार-ए-सलाम

शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी पट्टियां-दार-ए-सलाम

बिजली का सहायक सामान-दार-ए-सलाम

मध्यम और बड़े एकक :

कागरा चीनी बस्ती

एस्बेस्टस सीमेंट की चादरें और पाइप

नेशनल इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड

माम्बा साइकिल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

तार बनाना

विविध प्रकार के साबुन

साइकिल के टायर और ट्यूब

छोटे पैमाने के एकक जिन्हें विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है अथवा जिनके स्थापना-स्थलों की सूचना की सूची नहीं दी गई ।

तंजानिया वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड

धातवर्धय लोहे के जस्ताचढ़े पाइप फिटिंग्स

सामान्य सुविधा केन्द्रों सहित धातु कर्मशालाएं (दस शहरों में)

सामान्य सुविधा केन्दों सहित लकड़ी कर्मशालाएं (10 विभिन्न शहरों में)

हथकरघा केन्द्र

डिब्बा बन्द और संसाधित फल उत्पाद

कम्पनियों द्वारा पूंजी बढ़ाना

4330. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी निर्गम नियंत्रक (कन्ट्रोलर आफ केपीटल इश्यज) ने 16कम्पनियों को 5.83 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी बढ़ाने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) : 12 जनवरी 1973 को पूंजी निर्गम नियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी की गई प्रैस प्रकाशनी के अनुसार निम्नलिखित 16 कम्पनियों को पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत 583.97 लाख रुपये की पूंजी जुटाने की स्वीकृति दी गई थी :-

	कम्पनी का नाम	स्वीकृत रकम (लाख रुपयों में)
1.	मैसर्स व्हील्स इण्डिया लिमिटेड	15.94
2.	मैसर्स सैल्यूलोज प्रोडक्टस आफ इण्डिया लिमिटेड	15.00
3.	मैसर्स जी० एल० होटल्स लिमिटेड	40.00
4.	मैसर्स एनडी वूलन एण्ड सिल्क मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	4.50
5.	मैसर्स कमानी ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड	48.00
6.	मैसर्स एच०ई०एम० लिमिटेड	3.50
7.	मैसर्स खैरा कैन कम्पनी लिमिटेड	5.00
8.	मैसर्स सदर्न एग्रीफरनेम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	75.00
9.	मैसर्स आर० एच० विण्डसर (इण्डिया) लिमिटेड	21.25
10.	मैसर्स प्रीसीजन फासनर्स लिमिटेड	10.00
11.	मैसर्स वैस्टर्न इण्डिया इरेक्टर्स लिमिटेड	13.00
12.	मैसर्स अहमदाबाद मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड कैलिको प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड	195.00
13.	मैसर्स किरलोस्कर कमिन्स लिमिटेड	50.00
14.	मैसर्स जे० के० आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड	0.34
15.	मैसर्स सिंघानिया एण्ड लक्षमण लिमिटेड	20.00
16.	मैसर्स पंजाब ब्रिवरीज लिमिटेड	67.44
	जोड़	583.97

Assistance Provided By I.F.C. to Sugar Textile Nonferrous Metals, Fertilizers, Paper and Metal Manufacturing Industries

4331. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of FINANCE be pleased to state the assistance provided by the Industrial Finance Corporation during the last three years to Sugar Industry, Textile industry, non-ferrous metals, fertilizers, paper and metals manufacturing industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : The required information is as under:—

Financial assistance sanctioned and disbursed by the Industrial Finance Corporation of India during its last three accounting years, namely 1969-70. 1970-71 and 1971-72 (July-June)

(Rs. in lakhs).

Sr. No.	Industry	Financial assistance Sanctioned	Disbursed
1.	Sugar	2279.00	1571.00
2.	Textile	753.20	869.39
3.	Non-Ferrous Metals	415.73	85.33
4.	Fertilizers	853.82	102.11
5.	Paper	309. 0	254.10
6.	Metal Products	541.49	245.78
	Total :-	5152.67	31.27.71

N. B. Disbursements include disbursements out of prior years' sanctions also.

"एशियन क्लियरिंग यूनियन"

4332. श्री वरके जार्ज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकाक में 26 फरवरी, 1973 को हुई एशियाई देशों के वरिष्ठ मुद्रा विशेषज्ञों और रिजर्व बैंकों के गर्वनरों की त्रि-दिवसीय बैठक में 'एशियन क्लियरिंग यूनियन' के ब्यौरे को अंतिम रूप दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी संक्षिप्त रूप-रेखा क्या है और उसमें क्या-क्या निर्णय किए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकारों और केन्द्रीय बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों की 23 से 28 फरवरी, 1973 तक बैंकाक में हुई, बैठक में, जिसमें भारत तथा एशिया और दूरपूर्व आर्थिक आयोग के 8 अन्य सदस्य देशों ने भाग लिया था, एक एशियाई सभाशोधन संघ की स्थापना किये जाने के करार के एक मसौदे को अन्तिम रूप दिया गया था। इसके उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय बैंक या एशिया और दूर पूर्व आर्थिक आयोग के मुद्रा संबंधी प्राधिकरण इस संघ में भाग लेने के पात्र हैं। संघ एक ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे सदस्यों के बीच चालू अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनों की अदायगियों का बहुपक्षीय आधार पर शोधन किया जा सकेगा और प्रत्येक चार सप्ताह के बाद लेन-देन संबंधी उनकी शुद्ध स्थिति का निपटारा किया जा सकेगा। इसी बीच वास्तविक ऋणकर्ताओं द्वारा वास्तविक ऋण दाताओं कोब्याज अदा किया जायेगा। ऋणदाता ऐसी स्थिति में इससे पहले भी निपटारा करने के लिए कह सकते हैं जब उनकी लेनदारी सबंधी स्थिति दृश्य निर्यातों के बारहवें भाग से ऊंची हो जाए। संघ के लेखे 'एशियाई' मुद्रा इकाई नामक एक सामान्य इकाई में रखे जायेंगे जो एक विशेष निकासी अधिकारी के बराबर होंगी और सभाशोधन व्यवस्था के अधीन किए जाने वाले लेन-देनों का मूल्य एशियाई मुद्रा इकाईयों क रूप में रखा जायेगा। सभाशोधन व्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं एक अभिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत की जायेंगी जो एक केन्द्रीय बैंक होगा या इस व्यवस्था के भागीदार का मुद्रा संबंधी प्राधिकरण होगा या एशियाई रिजर्व बैंक होगा, जब उसकी स्थापना हो जायेगी। संघ का सामान्य कारोबार एक महाप्रबंधक द्वारा किया जायेगा जो निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। निदेशक मण्डल में, जिसमें संघ की सभी शक्तियां निहित होंगी, प्रत्येक भागीदार द्वारा नामित एक निदेशक और एक वैकल्पिक निदेशक होगा और वह भागीदार द्वारा नामित एक निदेशक और एक वैकल्पिक निदेशक होगा और वह भागीदार इसके पारिश्रमिक और

खर्चों की व्यवस्था करेगा। संघ का संचालन संबंधी खर्च सदस्यों के बीच, उनके द्वारा किए गए, संघ के वास्तविक उपयोगों और संघ द्वारा उन्हें प्रस्तुत की गई सेवाओं के आधार पर बांट दिया जाएगा। करार को तब लागू समझा जाएगा जब कम से कम 5 केन्द्रीय बैंकों या मुद्रा सम्बंधी प्राधिकरणों के प्रतिनिधि इस पर हस्ताक्षर कर देंगे।

2. करार के मसौदे को अन्तिम रूप देने के अलावा, बैठक में एशियाई सभाशोधन संघ के लिए उपयुक्त स्थान चुनने के लिए मापदण्ड निर्धारित किये गए, भावी कार्य की योजना स्वीकार की गई और सभाशोधन संघ योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों का सहयोग प्राप्त करने का निश्चय किया गया था।

जलपाईगुड़ी स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया में भारतीय खाद्य निगम से धोखे से निकाली गई राशि की जांच के खाते

4333. **श्री वरके जार्ज :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलपाईगुड़ी स्थित स्टेट-बैंक ग्राफ इण्डिया में भारतीय खाद्य निगम के खाते से धोखे से 25,000 रुपये निकाले जाने की कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और इसमें संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसकी जलपाईगुड़ी शाखा से भारतीय खाद्य निगम के चालू खाते में से 19 फरवरी, 1973 को 25,000 रुपये धोखे से निकलवाए गए थे। बैंक ने मामला स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है और जाँच अभी जारी है। भारतीय स्टेट बैंक ने यह भी सूचित किया है कि पुलिस जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

सऊदी अरब के साथ विमान सेवा सम्बन्धी संधि

4334. **श्री डी०पी० चन्द्रगोडा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब और भारत के बीच कोई विमान सेवा सम्बन्धी संधि हुई है; और

(ख) यदि हां तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या और है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) (क) (ख) : मई, 1971 में भारत सरकार तथा सऊदी अरब राज्य की सरकार के बीच सहमत हुए करार में दोनों देशों की नामित एयर लाइनों द्वारा उनके अपने अपने भू-भागों के बीच तथा उनसे परे सप्ताह में दो सेवाओं का परिचालन करने की व्यवस्था है।

केरल के तट से पकड़ा गया तस्करी का माल

4335. **श्री वयालार रवि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान केरल के तट से कितनी कीमत की तस्करी का माल पकड़ा गया और वर्ष 197 -72 में पकड़े गए तस्करी के माल की तुलना में वह कितना था; और

(ख) इस क्षेत्र में तस्करी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को सरकार कहां तक रोक सकी है और इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) वर्ष 1972-73 तथा वर्ष 1971-72 में केरल के समुद्र तट से पकड़े गए तस्करी के माल का कुल मूल्य नीचे दिए अनुसार है।

वर्ष	पकड़े गए माल का मूल्य
1972-73	52.68 लाख रुपये
1971-72	64.22 लाख रुपये

(ख) केरल समुद्र तट पर होने वाले तस्कर-व्यापार की समस्या चिन्ताजनक है, हालांकि तस्कर व्यापार की मात्रा बताना संभव नहीं है। तथापि, सरकार ने देश में तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए विभिन्न प्रशासनिक तथा विधायी उपाय किये हैं। सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:-

सूचना को व्यवस्थित ढंग से एकत्रित करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर-व्यापार करने का सन्देह है, उन पर निगरानी रखना, जिन जहाजों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो, उनकी तलाशी लेना, और समुद्रतट तथा स्थल-सीमाओं पर सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की निगरानी करना।

सीमाशुल्क समाहर्ता, सीमाशुल्क के अपर समाहर्ता तथा सीमाशुल्क के सहायक-समाहर्ता के ओहदे के वरिष्ठ अधिकारियों को अनन्य रूप से तस्कर आयात-निर्यात विरोधी कार्य की निगरानी करने के लिए सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है।

कुछ जब्तशुदा नौकाओं तथा अनेक वाहनों को सीमाशुल्क अधिकारियों की मातहती में रख दिया गया है।

कुछ वस्तुओं के अवैध आयात-तथा निर्यात को रोकने तथा उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिये, विशेष उपाय के रूप में, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थायें की गई हैं। इन उपायों की निरंतर समीक्षा की जाती है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे सड़क परिवहन तथा जल परिवहन के मालिकों को ऋण

4336. **श्री वयालार रवि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों ने गत वर्षों में लघु उद्योगों की स्थापना के लिये और छोटे सड़क परिवहन तथा जल परिवहन के मालिकों को कितना ऋण दिया तथा तत्संबंधी राज्यवार आँकड़े क्या हैं; और

(ख) उस राशि में राष्ट्रीयकृत बैंकों का कितना हिस्सा है तथा राष्ट्रीयकरण से पूर्व उनके द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये ऋण की तुलना में यह राशि कितनी न्यूनाधिक है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सूचना संलग्न विवरण 'क' में दी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 4568/73]

(ख) सूचना संलग्न विवरण 'ख' में दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4568/73]

ब्रिट्रेन द्वारा विनियम नियंत्रक लागू करना

4337. **श्री बयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार ने यू० के० और स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों के बीच विनिमय नियंत्रक लागू किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इससे भारत के हितों पर कहाँ तक प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) सरकार ने भारत के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० ग्रार० गणेश) : (क) से (ग) 23 जून 1972 से ब्रिटेन के अधिकारियों ने ब्रिटेन और स्टर्लिंग क्षेत्र (आयरलैण्ड गणराज्य को जोड़ कर) के क्षेत्रों के बीच विदेशी मुद्रा नियन्त्रण लागू कर दिया है। ब्रिटेन के विदेशी मुद्रा नियंत्रण के प्रयोजनों से देशों को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया है :—

(1) सूचीबद्ध राज्य, जिसमें ब्रिटेन और आयरलैण्ड गणराज्य शामिल हैं।

(2) बाह्य लेखा क्षेत्र, जिसमें रोडेशिया को छोड़कर उपर्युक्त 1 में दिखाए गए सभी देश शामिल हैं।

(3) रोडेशिया।

बाह्य लेखा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्ति, फर्में या कम्पनियां विदेशी मुद्रा नियन्त्रण के प्रयोजनों के लिए ब्रिटेन के आदिवासी माने जाते हैं। इन व्यक्तियों को अथवा इनकी ओर से की जाने वाली सभी अदायगियों या इन व्यक्तियों के नाम जमा की जाने वाली सभी अदायगियों पर अब ब्रिट्रेन के विदेशी-मुद्रा-नियन्त्रण विनियम लागू होंगे। इन संशोधनों का हमारे हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत से विदेशों को भेजी जाने वाली अदायगी की स्वीकृत प्रणाली से सम्बन्धित विनियमों में संशोधन कर दिया है।

जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारियों तथा विकास अधिकारियों के संवर्ग में सीधी भर्ती

4338. **श्री एस० एम० सिद्धय्या** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी (श्रेणी-1 पद) तथा विकास अधिकारी (श्रेणी-2 पद) के संवर्ग में सीधी भर्तियों को रोकने के लिए 15 अक्टूबर 1971 को कर्मचारियों के संगठन के साथ एक करार किया था।

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली गई थी ।

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने यह अनुमति देने से पूर्व इस बात पर विचार कर लिया था कि इस करार से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 के पदों पर भर्ती करने के बारे में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) 15 सितम्बर 1971 के बाद 1 फरवरी 1963 तक इन पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसुचित जनजातियों के कितने व्यक्ति पदोन्नत किए गए ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) श्रेणी III तथा IV के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन संगठनों के साथ 15 अक्टूबर 1971 को किए गए करार में जीवन बीमा निगम ने इस बात को मान लिया था कि सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के संवर्ग में 31 दिसम्बर 1974 तक कोई सीधी भरती नहीं की जायगी, परन्तु उसमें वे पद शामिल नहीं हैं जिनके लिए तकनीकी अर्हता की अपेक्षा होती है । परन्तु विकास अधिकारियों के संवर्ग में सीधी भरती पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई करार नहीं किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के संवर्ग में 15 अक्टूबर 1971 के बाद कोई पदोन्नति नहीं की गई है । विकास अधिकारियों के संवर्ग में की गई पदोन्नति के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभापटल पर रख दी जायगी ।

भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्य

4339. **श्री एस० एम० सिद्धय्या** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ख) क्या इस निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि भी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस निगम में इन जातियों और जनजातियों के व्यक्तियों को नियुक्त करने की वांछनीयता समझती है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) (1) श्री के० आर० पुरी, अध्यक्ष (2) श्री वी० वी० चारी, उप-गवर्नर, भारतीय रिजर्व बेंक (3) श्री सी० एस० अनन्तपद्मनामन्, विशेष कार्य अधिकारी, वित्त मंत्रालय (4) डा० के० के० दाते (5) श्रीमती अशोक गुप्त (6) श्री आर० कनकसबाई (7) श्री पी० वी० कुरियन (8) श्री खलील अहमद (9) श्री आर०पी० टामटा (10) श्री पी० एल० टन्डन (11) डा० एन० एल० हिंगोरानी (12) श्री आर० एम० मेहता, प्रबन्ध निदेशक ।

(ख) इनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति का है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

जीवन बीमा निगम की कर्मचारी एजेन्ट सम्बन्ध समिति के सदस्य

4340. श्री एस० एम० सिद्दय्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रत्येक जोन के कर्मचारी एजेन्ट सम्बन्ध समिति के सदस्य कौन-कौन है ; और

(ख) क्या प्रत्येक जोन में इन समितियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कोई सदस्य हैं ।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : कर्मचारी और एजेंटों की सम्बन्ध समितियों का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर जीवन बीमा निगम ने जनवरी 1972 में उनका पुनर्निर्माण नहीं किया, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर ऐसी महा-परिषदें और प्रभागीय स्तर पर ऐसी प्रभागीय परिषदें बनाने का निर्णय किया गया है जिनमें कर्मचारियों, एजेन्टों और पालिसीधारियों का प्रतिनिधित्व होगा ।

जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए कार्यवाही

4341. श्री एस० एम० सिद्य्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी 1973 को भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रत्येक श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी थे ?

(ख) उनमें से प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं ; और

(ग) उनके लिए प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए सरकार का क्या विशेष कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) : जीवन बीमा निगम में, वित्तीय वर्ष 1971-72 के अन्त में, कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या नीचे दी गई ।

पदों का वर्ग	31 मार्च. 1972 को		
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या
श्रेणी 1 के अधिकारी	3641	3	1
श्रेणी II-विकास अधिकारी	7900	17	—
पर्यवेक्षी तथा लिपिक कर्मचारी वर्ग	34,897	554	37
श्रेणी IV-अधीनस्थ कर्मचारी (जिसमें झाड़ूकश भी शामिल है ।)	7166	1013	87

1 जनवरी 1973 को जो स्थिति थी उसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि निगम द्वारा आँकड़े 'वित्तीय-वर्ष' के आधार पर रखे जाते हैं।

(ग) इन समुदायों में से उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी के कारण जीवन बीमा निगम सभी आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नियुक्त नहीं कर पाई है। परन्तु जो आरक्षित रिक्त-पद भरे नहीं जा सके हैं, उनको तीन वर्षों तक आगे ले जाया जाता है। जीवन बीमा निगम ने, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए आयु, अर्हताएं, लिखित तथा मौखिक परीक्षाओं के लिए अंकों सम्बन्धी शर्तों में भी ढील दी है तथा शुल्क भी रियायती दरों से लिया जाता है।

भारत के आयात निर्यात की कुल कीमत

4342. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों में निर्यात व्यापार की औसत मिश्रित विकास दर क्या रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : चतुर्थ योजना के प्रथम तीन वर्षों में निर्यात व्यापार की औसत मिश्रित विकास दर 5.8 प्रतिशत प्रति वर्ष रही है।

कम्प्यूटरों और आई०बी०एम० 129 का निर्यात करने से अर्जित विदेशी मुद्रा

4343. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 के दौरान कम्प्यूटरों और आई०बी०एम० 129 का निर्यात करके कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ख) क्या कम्प्यूटरों का निर्यात अमरीका और रूस को होता है; और

(ग) यदि हां, तो अमरीका को इसका निर्यात करने से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) 1972 के दौरान भारत से कोई कम्प्यूटर निर्यात नहीं किये गये थे। तथापि, 1972 के दौरान 44.3 लाख रु० मूल्य की 117 अदद डेटा प्रासैसिंग मशीनों (आई०बी०एम० 129) का निर्यात किया गया है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

Smuggled Goods Seized in Delhi

4344. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the value, in Indian currency, of the smuggled articles recovered in Delhi during the last five months;

(b) the number of persons arrested in this regard; and

(c) the quantity and value of gold so recovered ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) The total value of smuggled goods at Indian market rate seized in Delhi during the last five months (October, 1972 to February, 1973) is Rs. 6.7 lakhs approximately.

(b) 15 persons were arrested in this connection.

(b) The goods seized include 3821 gms. of gold valued about Rs. 99,200/- at Indian market rate.

Smuggled Goods Seized in Calcutta

4345. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value, in Indian currency, of the smuggled articles recovered in Calcutta during the last five months;

(b) the number of persons arrested in this regard, and

(c) the quantity and value of gold so recovered ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) The value in Indian currency of smuggled goods seized in Calcutta during the last five months ending February, 1973 is Rs. 58 lakhs.

(b) 23 persons were arrested in this connection.

(c) During the Period in question 19.5 gms. of gold and 69 sovereigns valued at Rs. 5 lakhs at the Indian market rate were seized.

Import of Goods from Malaysia

4346. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value of commodities imported from Malaysia during the financial years 1970-71 and 1971-72;

(b) the names of the commodies imported; and

(c) the value of the commodities being imported during 1972-73 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) : (a) Rs. 576 lakhs and Rs. 384 lakhs, respectively.

(b) Tin, crude rubber, palm oil and hides and skins.

(c) Import during the period April-August 1972, for which statistics are available, were of the order of Rs. 289 lakhs.

Import of Goods from Indonesia

4347. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value of goods imported from Indonesia during the financial years 1970-71 and 1971-72;

(b) the names of the main items imported; and

(c) the value of the goods being imported during 1972-73

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) : (a) Rs. 25 lakhs and Rs. 17 lakhs, respectively.

(b) Essential oils, spices and crude vegetable materials.

(c) Imports during the period April-August 1972, for which statistics are available, were of the order of Rs. 10.41 lakhs.

Impact of Devaluation of Nepalese Rupee on Indian Rupee

4348. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Indian rupee is likely to be affected by the devaluation of Nepalese rupee; and

(b) if so, to what extent ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) No, Sir

(b) Does not arise.

Assitance form U. S. S. R.

4349. **Shri Chandulal chandrakar** : Will the Minister of **Finance** be pleasad to state :

(a) Whether Government of U. S. S. R. have decided to provide some assistance to India; and

(b) if so, the sectors for which this assistance is being provided indicating the conditions on which it is being given ?

The Minister of state in the Ministry og finance (Shri K. R. Ganesh) :

(a) & (b) The Government of U. S. S. R. have been extending technical and financial assistance to India for the past many years in the spheres of steel, heavy machine building, coal mining and washery and coal mining machinery, opthalmic glass, precision instruments, drugs, power generation, oil electrical machniery, aluminium etc.

Soviet Credits carry Interest at $2\frac{1}{2}$%per annum and are re- payable over a period of 12 years, except in the case of credit for the Drugs Projects which is repayable in 7 years. The repayments towards the principal begin one year after completion of deliveries of equipment for putting the respective projects into operation, except for the Bokaro credit where the repayment starts one year ofter the year during which a particular amount has been utilised. The payments of interest and re-payment of principal are made in Indian Rupees which are utilised by the soviet authorities for the purchase of goods in India for export to the U.S. S. R

Air Agreement with Malaysia

4350. **Shri Chandulal Chandrakar** :
Shri Muhammed Sheriff :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the broad outlines of the air agreement entered into between India and Malaysia recently;

(b) the extent to which India is likely to be benefited from the agreement; and

(c) the time by which the air services between the two countries will be introduced ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) Inter-governmental consultations were held between the delegations of India and Malaysia in Kuala Lumpur in February 1973. The two delegetions drew up the agreed text of an air services agreement, which, along with the associated documents, will now be submitted to the respective governments for approval and signature.

The agreement provides that the designated airline of the Government of India and the designated airline of the Government of Malaysia shall each have the right to operate two weekly frequencies in either direction, with aircraft of their choice to/through each other's territory.

(c) Air India is already operating one service a week through Kuala Lumpur, The Malaysian airline has not yet commenced its service to India.

शल्य-चिकित्सा के औजारों का निर्यात

4351. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने वर्ष 1969-70 और 1971-72 के दौरान किन किन देशों को शल्य-चिकित्सा के औजार निर्यात किये;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पंचवर्षीय व्यापार करार के अन्तर्गत भारत और रूस के बीच कोई करार हुआ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत ने निम्न मुख्य आयातक देशों को शल्य-चिकित्सा के औजारों का निर्यात किया ।

इराक, कीनिया, नाइजीरिया, स्पेन, सउदी अरेबिया, मलेशिया, सोवियत संघ, तथा जाम्बिया आदि ।

(ख) तथा (ग) : जी हां । वर्ष 1973-74 के दौरान सुपुर्दगी के लिये 67,51 लाख रु० मूल्य के 7,57,000 शल्य चिकित्सा औजारों के निर्यात हेतु इंडियन ड्रग्ज़ एण्ड फार्मस्युटिकल्स लि० तथा वी ओ मेंडएक्सपोर्ट मास्को, सोवियत संघ के बीच एक संविदा पर हस्ताक्षर किये गये हैं ।

Direct procurement of cloth by Government from the Milis.

4353. **Shri M. S. Purty** : will tee Minister of **Commerce** by pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision for procuring cloth direct from the Mills and making it available to consumers at fixed rates in order to check rise in prices and profiteering by clath sellers; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. G. George) :

(a) & (b) With effect form 1-11-1972, a new schems for distribution of controlled cloth has come into force. Under the scheme, the sale of the entire production of controlled cloth has been withdrawn from normal trade channels and is undertaken through :

(1) Mills' own retail shops.

(2) Super Bazars in the cooperative sector.

(3) National Cooperative Consumers' Federation and the chian of cooperative institutions affiliated to them.

(4) Fair price shops run under the agency of the state Governments.

(5) Any other agency in the cooperative sector speciffed by the state Government concerned.

Amount of Assistance given by LIG to Municipalities

4354. **Shri M.S. Purty** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of assistance given to the various Municipalties by Life Insurance Corporation of India during 1971-72, State-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : State-wise distribution of loans granted by the Life Insurance Corporation to Municipal Committee during 1971-72 is given below.

Rupees in Lakhs

State	Uuder written/Direct Subscriptions to Municipal Securities	Loans to Municipal Committees	Total
Andhra Pradesh		88.00	88.00
Gujarat	50.30	116.96	167.26
Haryana	—	139.09	139.09
Kerala	—	407.98	407.98
Madhya Pradesh	—	139.52	139.52
Maharastra	—	67.61	67.61
Mysore	—	348.32	348.32
Orissa	—	15.99	15.99
Punjab	—	42.48	42.48
Rajasthan	—	26.95	26.95
Tamil Nadu	600.00	214.95	814.95
Uttar Pradesh	—	50.00	50.00

स्टेनलेस स्टील के कोटे का दुरुपयोग

4355. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मैसूर राज्य में स्टेनलैस स्टील के कोटे का दुरुपयोग करने के कोई मामले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है; और

(ग) दुरुपयोग करने के मामलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) से (ग) शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय आयातित स्टेनलैस स्टील के दुरुपयोग से है। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें उन्होंने 1968-70; 1970-71 तथा 1971-72 वर्षों के दौरान आयातित स्टेनलैस स्टील का दुरुपयोग करने वाली पार्टियों और उन पर लगाई गई शास्तियों के बारे में बताया गया है।

विवरण

क्रमांक	फर्म का नाम	प्रपत्र	की गई कार्यवाही
		अप्रैल-मार्च 1969-70	
1.	मैं० माडर्न मैंटल इन्डसट्रीज़ बंगलौर		3 अवधियों के लिए विवर्जित अप्रैल-मार्च 1970 से अप्रैल-मार्च 1972
2.	मैं० पारीजाथा इन्टरप्राइजिज बंगलौर		5 अवधियों के लिए विवर्जित अप्रैल-मार्च 1970 से अप्रैल-मार्च 1974

3.	मै० कर्नाटिक इन्डस्ट्रीज, बंगलौर	5 अवधियों के लिए विवर्जित अप्रैल-मार्च 1970 से अप्रैल-मार्च 1974
4.	मै० एलन एण्ड कं० के. जी. एफ.	5 अवधियों के लिए विवर्जित अप्रैल-मार्च 1971 से अप्रैल-मार्च 1975
5.	मै० पटेल ब्रादर्स, गुलबर्ग ।	5 अवधियों के लिए विवर्जित अप्रैल-मार्च 1971 से अप्रैल-मार्च 1975

अप्रैल-मार्च 1971

कुछ नहीं

अप्रैल-मार्च 1971-72

1.	मै० भारती कालिज इन्डस्ट्रीज बंगलौर	5 अवधियों के लिए विवर्जित अप्रैल-मार्च 1972 से अप्रैल-मार्च 1976
2.	मै० अमान इन्डस्ट्रीज, सिरावथी	वही
3.	मै० सुगर इन्टरप्राइजेज लक्ष्मीश्वर	वही
4.	मै० मलनाद मैटल इन्डस्ट्रीज, देवनगर	वही
5.	श्री वेंकटेश्वर इन्डस्ट्रीज, बंगलौर 20	5 अवधियों के लिए निवर्जित अप्रैल-मार्च 1972 से अप्रैल-मार्च 1977

शिशुओं के लिए डिब्बों में बन्द दुग्ध आहार की जमाखोरी

4356. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बहुत से व्यापारी बिहार में डिब्बों में बन्द शिशुओं के लिए दुग्ध आहार की जमाखोरी कर रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार चोर बाजारी को रोकने के लिए कार्यवाही करने तथा सहकारी समिति के द्वारा विवरण का वैकल्पिक तरीका अपनाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) बिहार सरकार से सूचना के अनुसार शिशुओं के लिए डिब्बा बन्द दुग्ध आहार की ऊंची कीमतों पर बेचे जाने तथा उसकी जमाखोरी के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली हैं और राज्य में शिशुओं के लिए डिब्बा बन्द दुग्ध आहार गैर-सरकारी निकाओं के अतिरिक्त सहकारी समितियों के माध्यम से भी बेचा जा रहा है।

इराक से आयात की गई गंधक की मात्रा

4357. श्री डी० वी० चन्द्र गौडा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इराक से कितनी गंधक का आयात कर रहा है ;

(ख) क्या इराक ने भारत से इस मात्रा में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो किन शर्तों पर तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इराक से एक लाख मे० टन गंधक आयात करने के लिए एक संविदा सम्पन्न की है ।

(ख) तथा (ग) इराक ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम को बताया है कि वे भविष्य में अधिक मात्रा में गंधक सप्लाई करना चाहेंगे परन्तु इस सम्बन्ध में उन्होने कोई विशिष्ट प्रस्थापना नहीं दी है ।

इस्पात पाइपों और ट्यूबों का निर्यात मूल्य

4358. **श्री सोमचन्द्र सोलंकी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के पाइपों और ट्यूबों के निर्यात मूल्य अन्य देशों के इस्पात पाइपों और ट्यूबों के मूल्यों तथा हमारे देश में इनके आन्तरिक मूल्यों के मुकाबले में प्रतियोगी हैं;

(ख) यदि उक्त वस्तुओं के निर्यात मूल्य कम हैं तो विदेशों में इनको कम मूल्य पर बेचकर निर्यातकर्ताओं को किस प्रकार लाभ होता है ; और

(ग) उन निर्यातकर्ताओं को, जो कम मूल्यों पर माल बेच रहे हैं, किन-किन वस्तुओं पर तथा कितनी-कितनी राज सहायता दी जा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) स्टील की पाइपों ट्यूबों की निर्यात कीमतें विदेशों की इन चीजों की कीमतों से प्रतियोगी हैं, भले ही वे घरेलू कीमतों की तुलना में कम हैं । निर्यातकों द्वारा निर्यात कीमत तथा आन्तरिक कीमत के बीच का अन्तर शुल्क वापसी, आयात प्रतिपूर्तियों तथा सरकार द्वारा की जाने वाली प्रतिपूरक सहायता द्वारा पूरा किया जाता हैं । इन निर्यातों से उद्योग को बेकार पड़ी क्षमता का काफी हद तक उपयोग करने में सहायता मिलती है ।

जनेवा के मैसर्स ट्रांमर्सा द्वारा बम्बई और कलकत्ता में सिनेमा घरों की खरीद

4359. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनाँक 17 नवम्बर, और 30 नवम्बर 1972 के 'इकानोमिक टाइम्स' में क्रमश: 'फेंटम टैक्स ओवर' तथा 'दि मेट्रो मिस्ट्री' शीर्षकों के अन्तर्गत प्रकाशित लेखों की ओर दलाया गया हैं और यदि हाँ, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक के सामने आया था और यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने आवश्यक अनुमति दी थी ;

(ग) जनेवा के मैसर्स ट्रांमर्सा ने बम्बई और कलकत्ता स्थित दोनों सिनेमा घरों को कितने कितने मूल्य में खरीदा ; और

(घ) खरीदारों ने धनराशि कहां से प्राप्त की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश०) : (क) जी, हां। माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित इन प्रेस-रिपोर्टों के प्रकाशन से बहुत पहले ही जांच शुरू की जा चुकी थी तथा और आगे जांच की जा रही है।

(ख) मैसर्स मेट्रो गोल्डविन मैयर्स इन्कारपोरेटेड, अमरीका द्वारा ट्रॉमर्सा, एस० ए० कंपनी को, जो जेनेवा में निगमित है, मैसर्स मेट्रो थियेटर्स बम्बई लि० और मेट्रो थियेटर्स कलकत्ता लि० के शेयरों के विक्रय के सौदे के बारे में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त करने के प्रश्न की वैधानिक स्थिति के बारे में, विधि मंत्रालय के साथ, उच्चतमस्तर पर और भारत के महा न्यायवादी के साथ परामर्श करते हुए और आगे विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रवंतन निदेशालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार बम्बई और कलकत्ता में स्थित इन दो सिनेमा हाल के मालिक मैसर्स मेट्रो थियेटर्स बम्बई लिमिटेड और मैसर्स मेट्रो थियेटर्स कलकत्ता लिमिटेड नामक दो कम्पनियाँ थीं जो संयुक्त राज्य अमेरीका में पंजीकृत हैं और इन कम्पनियों के 100 प्रतिशत शेयर मेट्रो गोल्डविन मेयर इन्कारपोरेटेड अमरीका के पास थे। इन दोनों कम्पनियों के सभी शेयर मैसर्स ट्रॉमर्सा एस० ए०, जेनेवा द्वारा जो एक स्विस कम्पनी है, 10 लाख अमरीका डालरों के एवज में प्राप्त कर लिये गये हैं।

(घ) इस सम्बन्ध में जांच जारी है।

बिजली का सामान बनानें वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अफ्रीका यात्रा

4360. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली का सामान बनाने वाले छः सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अफ्रीका के कुछ स्थानों की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिनिधिमण्डल द्वारा दी गयी रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) जैसा कि रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि बिजली के सामान का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) हाल ही में भारतीय इलैक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के छः सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कुछ अफ्रीकी देशों का दौरा किया, जिसने उन देशों में भारत में बने बिजली के माल की अच्छी संभाव्यताओं का संकेत दिया है। प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) प्रस्तावित विस्तारों सहित विद्यमान क्षमता इन मदों की निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

इलैक्ट्रानिक सामान का निर्यात

4361. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में इलैक्ट्रानिक सामान के निर्यात का लक्ष्य क्या था, तथा कितना निर्यात किया गया ; और

(ख) इसका निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार क्या आवश्यक उपाय करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 8 करोड़ रु० के निर्यात लक्ष्य की तुलना में वास्तव में 5.6 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात किये गये ।

(ख) इलैक्ट्रानिक माल के निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं । करने का विचार है:—

(1) निर्यात सम्भाव्यताओं का अध्ययन करने हेतु व्यापार विकास प्राधिकरण और इलैक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा प्रायोजित एक प्रतिनिधिमंडल ने सितम्बर अक्तूबर, 1971 में कई देशों का दौरा किया । प्रतिनिधिमंडल की सिफारिशों पर सरकार ने सान्ताक्रुज में एक निर्यात प्रौसेसिंग जौन स्थापित करन का विनिश्चय किया है ।

(2) जोन से बाहर निर्यात अभिमुख एककों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

(3) उत्पाद विकास तथा उत्पाद अनुकलन में सहायता प्रदान करने के वास्ते व्यापार विकास प्राधिकरण ने निर्यात सक्षक इलैक्ट्रानिक एककों का पता लगाया है।

(3) व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा पश्चिम जर्मनी तथा ब्रिटेन में एक बाजार सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(5) व्यापार विकास प्राधिकरण ने फ्रांस, स्पेन तथा अमरीका से विदेशी खरीदारों को आमंत्रित किया है ।

(6) उपरोक्त के अतिरिक्त, इंजीनियरी माल, जिसमें इलैक्ट्रानिक माल भी शामिल है के निर्यात संवर्धन के लिये इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद निम्नलिखित सामान्य उपाय करती रही है । विदेशों में बाजार सर्वेक्षण करना, व्यापारिक दिलचस्पी की जानकारी का विदेशों में प्रसार तथा प्रापेगंडा, अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों में भाग लेना आदि ।

व्यापारिक प्रचार के लिए राष्ट्रीय नेताओं के फोटो और चित्रों तथा राष्ट्रीय चिन्हों का उपयोग

4362. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारिक प्रचार के लिए राष्ट्रपिता अथवा अन्य नेताओं के फोटों और चित्रों, राष्ट्रीय चिन्हों का उपयोग करना अपराध है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान गोदरेज (रजि०) द्वारा अपने विज्ञापन के साथ महात्मा गांधी के हस्ताक्षरयुक्त चित्र को जारी करने की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) आज की तारीख तक इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कदाचार के आरोप पर मुकदमा चलाने की सिफारिश

4363. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री भागीरथ भंवर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8 फरवरी 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के समाचार के अनुसार वित्त मंत्रालय के उन 12 अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जिनके विरुद्ध जाँच ब्यूरों ने कदाचार के आरोप पर वर्ष 1972 में मुकदमे चलाने की सिफारिश की थी ;

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने उन पर मुकदमा चलाने की सिफारिश किस तारीख को की ;

(ग) क्या कुछ मामले कार्मिक विभाग ने फिर से विचार करने के लिए केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को भेजे थे और यदि हां, तो वे किन किन तरीखों को भेजे गये तथा प्रत्येक मामले को भेजने का क्या आधार था ; और

(घ) उक्त अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमें की आवश्यक कार्यवाही कब शुरू की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) केन्द्रीय जाँच ब्यूरों ने वित्त मंत्रालय के बारह अधिकारियों से सम्बन्धित आरोपों के बारे में पूछ-ताछ/जाँच अपने हाथ में ली है जिनमें से नौ अधिकारी राष्ट्रीयकृत बैंकों के हैं। इनमें से किसी भी मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अभियोग चलाने की सिफारिश अभी तक नहीं की है। आगे पूछ-ताछ/जाँच चल रही है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) इन मामलों में अभियोग चलाने के प्रश्न पर विचार, प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर तभी किया जा सकता है जब प्रत्येक मामले में जाँच को अन्तिम रूप दिया जाय।

Financial Assistance to African and asian Countries

4364. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of African and Asian countries, besides Nepal, Sikkim and Bhutan, to which financial assistance was provided during 1971-72 and 1972-73 indicating the extent thereof ; and

(b) the work for which the said assistance was provided to each conutry and the aim kept in view in each case ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) There statements giving the requisite information are placed on the Table of the House. [Placed in Library. See No. L. T. 4568/73]

(b) Financial assistance has been provided for a large number of purposes. Broadly, the assistance has been provided for development schemes in various fields, rehabilitation and relief purposes and procurement of industrial goods from India. The aim is to promote goodwill between India and the recipient countries concerned.

बहरीन में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना करने के लिये सहयोग

4365. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बहरीन का विचार बहरीन में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना के लिये सहयोग देने का है; और

(ख) यदि हाँ तो करार की मुख्य बातें क्या है।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) फरवरी, 1973 में विदेश कार्य मंत्री के बहरीन की यात्रा के दौरान बहरीन सरकार ने यह इच्छा व्यक्त की कि भारतीय औद्योगिक संयुक्त उद्यम के रूप में एक सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने के लिये उनके विचारार्थ एक ठोस प्रस्थापना दी जाये। इस प्रयोजन के लिये, भारतीय सीमेंट निगम के एक तकनीकी दल द्वारा एक सम्भाव्यता अध्ययन किये जाने का विचार है। बहरीन भारतीय संयुक्त उद्यम के लिये फिलहाल कोई ठोस प्रस्थापना नहीं है।

केरल में बाढ़ के कारण हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिये केंद्रीय अध्ययन दल का भेजा जाना

4366. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विनाशकारी बाढ़ से हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिए गत नवम्बर में केरल राज्य में त्रिवेन्द्रम को एक केन्द्रीय अध्ययन दल भेजा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या केरल सरकार ने बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिये केन्द्रीय सरकार से 114.08 लाख रुपये की माँग की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राज्य सरकार द्वारा अनुमानित कुल 114.08 लाख रुपये की आवश्यकता के मुकाबले केन्द्रीय दल द्वारा केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनार्थ राहत और मरम्मत की विभिन्न मदों के व्यय के लिये 10·25 लाख रुपये की अधिकतम राशि की सिफारिश की गयी थी जिस अधिकतम सीमा की सिफारिश की गयी थी वह मानी गयी और और राज्य सरकार को बता दी गयी।

Announcement made by Finance Minister at a meeting of Corporated Companies

4367. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether he made an announcement at a meeting of the corporated companies getting financial assistance from the Industrial Finance Corporation, to the effect that Government do not want to interfere with the big Industrial Houses ;

(b) the extent to which the said announcement is justified in view of the new Industrial Policy and the association of the financial institutions with the aided companies as partners; and

(c) the percentage of the financial assistance provided by the Industrial Finance Corporation to the industries of backward areas and to the industries of developed areas ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrav Chavan) : (a) No, Sir. Finance Minister did not make any such announcement.

(b) Does not arise.

(c) Corporation has sanctioned upto 28th February, 1973 total net financial assistance aggregating to Rs. 430.84 crores in respect of 602 industrial projects throughout the country out of which net finacnial assistance of Rs. 118.29 crores (about 27.5% of the total assistance) had been in respect of 158 projects located or to be located in 71 districts and 3 Union Terrttories out of 220 districts and 7 Union Territories notified as industrially backward by the Central Government.

श्री गिरि लाल जैन द्वारा आय को छिपाना

4968. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को लिखे गये दिनांक 21 नवम्बर, 1972 के पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र और पंजाब में भिन्न भिन्न वस्तुओं का व्यापार करने और (अन्य व्यापार के अतिरिक्त) मुख्य रूप से सीरा का व्यापार करने वाले श्री गिरिलाल जैन ने केवल एक वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 1968-69 में लगभग 1.5 करोड़ रुपये की आय छिपाई है ;

(ख) यदि हां तो उक्त आरोप का सार क्या है ; और

(ग) इस पत्र पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) जी, हां, इससे मिलती-जुलती किस्म की एक याचिका प्राप्त हुई है। लगाये गये आरोपों का सारांश निम्नानुसार है :—

(i) भागीदारी फर्म के रूप में दिखाई गई मैसर्स गिरि लाल मामचंद एण्ड कम्पनी की फर्म वास्तव में स्वयं श्री गिरि लाल जैन की मालिकाना फर्म है।

(ii) फर्म को वित्तीय वर्ष 1968-69 के दौरान 2.5 करोड़ रुपये से अधिक का पंजाब सरकार को सीरा सप्लाई करने का ठेका मिला, जिसमें इसने भारी लाभ कमाया, और

(iii) मामलों को केन्द्रीयकृत नहीं किया जा रहा है।

(ग) आयकर विभाग द्वारा इस मामला-समूह की तलाशी ली गयी और बड़ी संख्या में किताबें और कागजात पकड़े गए हैं। इनकी जाँच हो रही है और कानून के अधीन यथा-व्यवस्थित आवश्यक कार्यवाई की जाएगी। समूह के अधिकांश मामलों को केन्द्रीकृत किया जा चुका है और शेष मामलों को केन्द्रीकृत करने के लिए भी कार्यवाही शुरू की गई है।

दैवी विपत्तियों के लिए कोष बनाने के सम्बन्ध में राजस्थान का प्रस्ताव

4369. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने दैवी विपत्तियों से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये राज्यों और केन्द्र के अंशदान से कोष बनाने के लिए हाल ही में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को मई, 1972 में भेजे गये अपने पत्र में विपत्तियों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के अंशदानों के आधार पर एक राष्ट्रीय निधि स्थापित करने का जवाब दिया था और उसमें से प्राकृतिक विपत्तियों पर किये जाने वाले सहायता उपायों पर होने वाले व्यय के लिये धन निकाला जा सकेगा फिर भी यह मामला छठे वित्त आयोग को भेज दिया गया है और उससे अनुरोध किया गया हैं कि वह प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित राज्यों के द्वारा किये जाने वाले सहायता व्यय के लिए वित्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से, जिसमें एक राष्ट्रीय निधि जिनमें केन्द्र तथा राज्य राजस्व से प्राप्त धन का एक अंश देंगे, की स्थापना करने की सम्भाव्यता शामिल है। नीति तथा व्यवस्थाओं की समीक्षा करें।

पोलैंड में विकसित इलेक्ट्रानिक यंत्र फिजियोग्राफर का आयात

4370. **श्री प्रसन्नाभाई मेहता** :
श्री के० लकप्पा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि क्या पोलैंड में विकसित और विमानों में सुरक्षा के लिए प्रयुक्त एक इलैक्ट्रोनिक यंत्र 'फिजियोग्राफर' के आयात की पोलैंड के साथ हमारे व्यापार करार में व्यवस्था है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : भारत तथा पोलैंड के बीच 1973 1974 तथा 1975 वर्षों के लिए दीर्घकालीन व्यापार संलेख में पोलैंड के इलेक्ट्रोनिक संघटकों तथा इलेक्ट्रोनिक यंत्रों व उपकरणों के हिस्सों के आयात की व्यवस्था है। तथापि, पोलैंड से फ़िजियोग्राफर के आयात की कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है।

सुरक्षा उपाय के रूप में विमानों में 'फिजियोग्राफर' प्रयोग करने का प्रस्ताव

4371. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :
श्री के० लकप्पा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड में बनाये गये और सुरक्षा के लिये विमानों में प्रयुक्त 'फिजियोग्राफर' कहे जाने वाले एक नये इलेक्ट्रानिक उपकरण का प्रयोग हमारे देश में करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) हमारे नागर विमानन विभाग को "फिजियोग्राफर," नाम के उपकरण के बारे में कोई सूचना नहीं है और न ही इसके प्रयोग का कोई प्रस्ताव है ।

Decline in rait of National Savings

4372. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Finance** be plased to state :

(a) whether the rate of national saving had gone down in 1970-71 as compared to that during the third Five Yaer Plan period ;

(b) whether this ratio has further gone down during 1972-73 ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir. The ratio of net domestic savings to net domestic product at market prices is estimated to be marginally lower at 9. 4 percent in 1970-71 than the averages of about 10 per cent during the Third Five Year Plan period.

(b) It is too early to have any information about the year 1972-73.

(c) The decline in the rate of domestic savings in the years immediately following the Third Plan was attributable mainly to sluggishness in the growth of national income in the years 1965-67 & 1966-67. According to tentative estimates by the Reserve Bank of India. the rate of domestic savinge has been rising steadily from 1968-69 and at 10 per cent of net domestic product at market prices in 1971-72.

Printing of forms of LIC in English and Hindi

4373. **Shri Chiranjib Jha** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(b) whether all the forms of LIC are printed in English ; and

(b) if so. the difficulty being experienced in printing these forms in Hindi alongwith English ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) :

(a) Yes, Sir.

(b) Forms which are in common use by the proponents and policyholders and a number of forms used in correspondence with the policyholders are printed in Hindi as well.

Printing of Price on Controlled and Un-controlled Cloth

4374. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government are seriously considering the question of printing price on every kind of controlled and uncontrolled cloth and the action taken so far in this regard ; and

(b) whether views of the Textile Commissioner have also been called for in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. Georgo) : (a) & (b) The Mills are required to stamp the price fixed by Government on each metre of controlled cloth produced. No proposal regarding stamping of prices on non-controlled cloth is being considered by the Government.

भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की गांठों की खरीद

4375. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने सितम्बर, 1973 को समाप्त होने वाले मौसम में कच्चे पटसन की गाँठों को खरीदने और उत्पादकों के साथ सीधे सम्पर्क स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा स्थापित किये गये क्रय केन्द्रों की रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारतीय पटसन निगम के पटसन खरीद सम्बन्धी कार्य विभागीय क्रय केन्द्रों तथा उपजकर्ताओं की अनुमोदित सहकारी समितियों के माध्यम से किये जा रहे हैं । 1972-73 (जुलाई-जून) मौसम के दौरान निगम द्वारा स्थापित किये गये विभागीय क्रय केन्द्र निम्नलिखित हैं:—

पश्चिम बंगाल	दिनहाट
	सिलीगुडी
	कूच बिहार
	कासिम बाजार
	नवाद्वीप
आसाम	नौगांव
	धूबड़ी
	बारपेट रोड
	खरूपेटिया
आन्ध्र प्रदेश	अमादालवासा
उड़ीसा	जयपुर रोड़
बिहार	किशन गंज
	फोरवेसगंज

प्रत्येक राज्य में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

4376. **श्री बेकारिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्यवार सरकारी क्षेत्र में कितने उद्योगों की स्थापना की गयी है ; और

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं तथा उन्हें कहाँ-कहां स्थापित किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) सूचना अनुबन्ध में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4570/73]

दिल्ली में कुछ कृषि वस्तुओं के वायदा व्यापार पर रोक लगाने का प्रस्ताव

4378. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ कृषि वस्तुओं के वायदा व्यापार पर रोक लगाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के वायदा व्यापार में लगे हुए बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने की योजना

4379. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जो पहले दिल्ली में वायदा व्यापार में लगे हुए थे और कुछ वस्तुओं के वायदा व्यापार पर रोक लगाने के बाद अब बेकार हो गए हैं; और

(ख) उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) देश में विभिन्न प्रकार के वायदा व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने की सरकार की कोई विशेष योजनाएं नहीं हैं ।

कलकत्ता में चक्रवात राडार लगाना

4380. श्री भागवत झा आजाद : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) तूफान के उठते हुए बादलों का पता लगाने के लिए कलकत्ता में शक्तिशाली चक्रवात रडार कब लगाया जायेगा; और

(ख) इस रडार से कितने क्षेत्रों को तूफान के आने की चेतावनी दी जा सकेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) कलकत्ता में रडार के मई, 1973 के अंत तक स्थापित किये जाने की आशा है ।

(ख) रडार 400 किलोमीटर के व्यासार्थ के दायरे के अन्तर्गत तूफानों का पता लगा सकता है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं को तदर्थ पेंशन

4381. श्री धर्मराव अफजलपुरकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन देने का है जो सेवा के 25 अथवा 30 वर्ष पूरे कर चुके थे और जिसकी वर्ष 1970 से पहले मृत्यु हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की विधवाएं संगत नियमों के अनुसार परिवार पेंशन पाने की हकदार हैं। उन्हें तदर्थ पेंशन

मंजूर करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सहायक एककों का विकास

4382. डा० रानेन सेन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे सहायक एककों के विकास को प्रोत्साहित करें;

(ख) यदि हां, तो कितने उपक्रमों ने सहायक एककों का विकास करने के लिए योजनाएं बनाई हैं; और

(ग) जो योजनायें बनाई गई हैं उनका ब्यौरा क्या है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) जी हां। केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उद्यमों को सहायक उद्योगों के विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिये गये हैं।

(ख) और (ग) : उपलब्ध सूचना के अनुसार 12 उद्यमों ने 135 से अधिक सहायक एककों का विकास किया है। वे उद्यम जिन्होंने सहायक एककों को प्रोत्साहन दिया है वे हैं:—

1. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड
2. हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लि०
3. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०
4. इण्डिन टैलीफोन इण्डस्ट्रीज़ लि०
5. मशीन टूल्स कारपोरेशन लि०
6. भारत इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लि०
7. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लि०
8. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन
9. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०
10. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फर्मास्यूटिकल्स लि० (ऋषिकेश एकक)
11. बोकारो स्टील लि०
12. हिन्दुस्तान इनसैक्टिसाइड्स लि०

सहायक एककों के विकास के लिए आयोजना में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं।

(i) सहायक एककों के लिए उत्पादन की विशेष लाइन या मदों का पता लगाना और पृथक रूप से निर्धारित करना,

(ii) मुख्य एकक द्वारा सहायक एककों के 50 प्रतिशत के उत्पादन की गारन्टी-शुदा निकासी बशर्ते कि कीमत, किस्म और वितरण की शर्तें सन्तोषजनक हों,

(iii) मुख्य एककों को कच्चे माल की प्राप्ति में सहायक एककों की सहायता करनी चाहिए ;

(iv) मुख्य एकक तकनीकी परामर्श और जानकारी उपलब्ध करायेंगे ; और

(v) मुख्य एकक उपकरणों के अनुरक्षण, फालतू पुर्जों की उपलब्धि में सहायता आदि करेंगे।

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की सेवाओं में स्थिरता

4383. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की सेवाओं में स्थिरता आ गई है ; और कर्मचारी असाधारण रूप से एक वेतनमान में लम्बे समय तक रुके पड़े रहते हैं ;

(ख) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में प्रत्येक वेतनमान में पदोन्नति पाने के लिये एस० ए० एस० लेखापाल को कितना न्यूनतम समय लगता है ; और

(ग) सरकारी सेवा में प्रोत्साहन देने तथा कर्मचारियों को संतुष्ट रखने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को एक उचित समय में अगले वेतनमान में पदोन्नति दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) भारतीय लेखा परीक्षा और सेवा (श्रेणी-I) को छोड़कर, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग मे संवर्ग कुछ अपवादों को छोड़कर, स्थान केन्द्रित है और एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति पाने में प्रत्येक कार्यालय में भिन्न भिन्न समय लगता है। एस० ए० एस० लेखाकारों के लिए, अगले उच्चतर ग्रेड में लेखा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारियों के रूप में पदोन्नति पाने के लिए न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा निर्धारित की गई है लेकिन इस समय, एस० ए० एस० लेखाकार को औसतन 12 वर्ष की सेवा अवधि के बाद पदोन्नति मिलती है।

(ग) भारत के नियन्त्रक महा लेखा परीक्षक कुछ ऐसे उपायों पर विचार कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य विभाग में पदोन्नति की सम्भावनाएं बढ़ाना है। तीसरे वेतन आयोग द्वारा भी इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें किये जाने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश का तकनीकी - आर्थिक सर्वेक्षण

4384. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1965 में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने उत्तर प्रदेश का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले तथा सर्वेक्षण में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) : जी, हां। राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने, 1962 और 1963 के वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया था। रिपोर्ट अप्रैल, 1965 मे प्रकाशित की गई थी।

(ख) निष्कर्षों और सिफारिशों का सारांश रिपोर्ट के अध्याय 14 में दिया गया है। राज्य सरकार से यह पता चला है कि राज्य की योजनाएं बताते समय, उन सिफारिशों को समय-समय पर, ध्यान में रखा गया है।

जूट एण्ड जूट गुड्स बफर स्टाक एसोसिएशन के कर्मचारियों को काम पर लगाना

4385. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जूट एण्ड

जूट गुड्स बफर स्टाक एसोसियेशन के कार्य-संचालन को भारतीय पटसन निगम द्वारा अपने नियंत्रण में लेने के बाद जूट एण्ड जूट गुड्स बफर स्टाक एसोसियेशन के कर्मचारियों को खपाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : भारतीय पटसन निगम ने पहले ही जूट एन्ड जूट गुड्स बफर स्टाक एसोसियेशन के स्टाक के तीन सदस्यों को ले लिया है। अन्यों के मामलों पर भी जैसे ही और जब जगह खाली होंगी निगम द्वारा विचार किया जाएगा बशर्ते अर्हता, अनुभव आदि के संबंध में वे उसके उपयुक्त हों।

विदेशी पूंजी निवेश और सहयोग के बारे में अमरीकी व्यवसायिओं द्वारा पूछताछ

4386. **श्री राज राजसिंह देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी पूंजी निवेश और सहयोग के बारे में अमरीकी व्यवसायिओं द्वारा अनेक सरकारी वित्तीय संस्थाओं से पूछताछ की गई है ; और

(ख) किस प्रकार की पूछताछ की गई है और उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अखिल भारतीय दीर्घावधि सरकार वित्तीय संस्थानों, अर्थात्, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम में से किसी से भी विदेशी निवेश और अमरीकी व्यापारियों से सहायता के संबंध में पूछताछ नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बीच लौह अयस्क के मूल्यों के बारे मे मतभेद

4387. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के बीच लोह अयस्क के मूल्यों के बारे में मतभेद का समाचार मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो ये मतभेद किस प्रकार के हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बीच सिद्धान्तत यह सहमति हो गई है कि बेलाडिला अयस्क की खरीदों का तरीका जहाज पर निःशुल्क ट्रिम्ड आधार से बदल कर रेल पर निःशुल्क आधार कर दिया जाये और रेल पर निःशुल्क आधार पर उचित कीमतें निर्धारित कर दी जायें। इस परिवर्तन को लागू करने के लिए अन्तिम ब्यौरों पर बातचीत की जा रही है।

बांसपानी से जखपुरा आदि तक की रेलवे लाइन के उपयोग सम्बन्धी लाभ-हानि के आवश्यक कागजात तैयार करनें में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा की गई प्रगति

4388. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के हल्दिया और पारादीप पत्तन से मिलने वाली सुविधाओं के विकल्प के संदर्भ में आधारभूत ढांचे का विकास करने और उड़ीसा में बांसपानी से जखपुरा रेल के उपयोग सम्बन्धी लाभ-हानि के आवश्यक कागजात तैयार करने में क्या प्रगति की है ; और

(ख) इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अब कागज तैयार कर लिया है तथा पत्तनों संबंधी उपदल की अगली बैठक में, जो शीघ्र ही होने वाली है, इस पर विचार-विमर्श किये जाने की आशा है ।

अलाभप्रद चाय बागानों की जांच विषयक समिति

4339. **श्री मोहम्मद खुदा बख्श :**
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने जून 1970 में अलाभप्रद चाय बागानों की संख्या, बागानों के लाभ-प्रद हो जाने के कारणों का पता लगाने और उन्हें लाभप्रद बनाने की अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन कौन हैं, उन्होंने कितनी बैठकें कीं, विभिन्न चाय जिलों में कितने लाभप्रद चाय बागानों का दौरा किया गया, चाय बागानों को कब और कितनी प्रश्नावलियां जारी की गई और क्या प्रतिक्रियाएं अभिव्यक्त की गई ; और

(ग) क्या समिति ने चाय बोर्ड को कोई प्रतिवेदन दिया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) जी हां । चाय बोर्ड ने 24 जून, 1970 को हुई अपनी बैठक में अलाभकारी चाय बागों को उपदान देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक उप-समिति बनाई थी । उपसमिति मे निम्नोक्त सदस्य हैं:—

1. श्री जी० टी० पंडियाराज
2. श्री पी० सी० बरूआ
3. श्री सुमत प्रसाद
4. श्री बी० के० दुबे
5. श्री बी० सी० घोष

इस समिति की दो बैठकें हुई : पहली बैठक 22-3-1971 को तथा दूसरी बैठक 21 मार्च 1972 को हुई । जुलाई 1970 में सभी उत्पादक संघों को अलाभकारी चाय बागानों से संबंधित एक प्रश्नावली जारी की गई थी जिसमें उन वर्गों से जो अपने आपको 'अलाभकारी' समझते हैं, जानकारी माँगी गई थी । उत्तर भारत में स्थित बागों से लगभग 125 उत्तर प्राप्त हुए हैं । तथापि दक्षिण भारत के बागों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं । इन बागानों में से किसी भी बागान का अभी तक दौरा नहीं किया गया है क्योंकि 'अलाभकारिता' की व्याख्या करने के लिए

और लाभकारी चाय बागानों की अभिज्ञात करने के लिए कोई भी विश्वासनीय मापदंड बनाना अभी संभव नहीं हुआ है। बागानों से प्राप्त उत्तरों पर समिति अभी विचार कर रही है।

जापान को भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड द्वारा किया गया व्यय

4390. **श्री मोहम्मद खुदाबख्श :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जापान को भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड ने कितनी राशि खर्च की ;

(ख) क्या जापान में भारतीय राजदूत ने चाय बोर्ड से अनुरोध किया था कि, विदेशी मुद्रा में और व्यय करने से पूर्व, किये जा चुके कार्य का मूल्यांकन करने के लिए चाय संवर्धन निदेशक (मुख्यालय) को जापान भेजा जाये ; और

(ग) यदि हाँ, तो वहाँ जाकर मूल्यांकन करने हेतु उन्हें न भेजने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गत तीन वर्षों में व्यय की गई राशि निम्नोक्त प्रकार है:—

1970-71	1971-72	1972-73
1,50,000 रु०	10,800 रु०	4,00,000 रु० (प्राक्कलित)

(ख) तथा (ग) : भारतीय दूतावास ने सुझाव दिया था कि निदेशक, चाय संवर्धन (मुख्यालय) को जापान में काली चाय के संबंध में संवर्धनात्मक अभियान की विभिन्न प्रस्थापनाओं के बारे में विचार-विमर्श करने हेतु जापान भेजा जाए। चूंकि संवर्धनात्मक योजनाएं विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए तैयार की जातीं है, अतः योजनाओं के कुछ समय तक कार्य करने के पश्चात स्थल पर मूल्यांकन करना अधिक उपयुक्त समझा जाता है।

अलाभप्रद चाय बागानों को सहायता देने की शर्तों को उदार बनाना

4391. **श्री मोहम्मद खुदा बख्श :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक लेखा समिति (1969-70) के 15वें प्रतिवेदन के पैरा 4.15 में की गई सिफारिश के अनुसार अलाभप्रद चाय बागानों के लिए चाय बोर्ड की विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं की शर्तों को चयनात्मक आधार पर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चाय बोर्ड ने 24-6-70 को हुई अपनी बैठक में उन अलाभकारी बागों को जो अन्यथा वर्तमान किराया-खरीद तथा बागान वित्त ऋणों को प्राप्त नहीं कर सके, सहायता देने के मार्गोपायों पर विचार करने के लिए एक-

उप-समिति गठित की। समिति ने विनिश्चित किया कि एक प्रश्नावली जारी करके अलाभकारी चाय बागानों का सर्वेक्षण किया जाए। तदनुसार, 20-7-1972 को प्रश्नावली सलग्न करते हुए भारत में सभी चाय उत्पादक संघों को एक परिपत्र जारी किया गया। 19.2 के अंत तक केवल उत्तरी भारत में स्थित बागों से लगभग 1.5 उत्तर प्राप्त हुए हैं। और इन पर विचार किया जा रहा है।

लोक लेखा समिति द्वारा दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए तथा चाय उद्योग के विभिन्न वर्गों को विशेष रूप से उद्योग के अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग को सहायता देने के लिए मार्ग-दर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने हेतु बोर्ड की विद्यमान वित्तीय सहायता योजनाओं के कार्यकरण पर विचार करने के लिए बोर्ड द्वारा 9 तथा 10 जनवरी, 1973 को हुई अपनी बैठक में एक अन्य उप-समिति गठित की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा 'एवरो' विमानों का रखरखाव

4392. श्री राम भगत पस्वान : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने आरोप लगाया है कि 'एवरो' विमानों के खराब कार्यकरण का कारण इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा उनका खराब रख रखाव है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमामन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ऋण संगठन की स्थापना

4393. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों की गारंटी पर देश में सभी प्रकार के ऋण देने के लिए एक राष्ट्रीय ऋण संगठन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह संगठन कब तक बना दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकारों और उनके उद्देश्यों द्वारा लिये जाने वाले बाजार ऋणों के विषय में इस समय रिजर्व बैंक के परामर्श से वार्षिक आयोजन संबंधी बातचीत के दौरान विचार किया जाता है और आवश्यकताओं तथा साधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए इनकी अधिकतम सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। इसी तरह, केन्द्र द्वारा ऋण लेने के कार्यक्रम को रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जाता है। आवश्यकताओं, बाजार की स्थिति और साधनों की उपलब्धता में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों की समीक्षा भी की जाती है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Amount of loan Given by Nationalised Banks to farmers, Small traders and Handloom weavers of Madhya pradesh and Rajasthan.

4394. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya :**
Shri Lalji Bhai :

Will the Minisiter of Finance be pleased to state.

(a) The amount of loan give to farmers, small traders and handloom weavers of Madhya pradesh and Rejasthan, District-wise by the nafionalised banks durng the last three years ; and

(b) Whether all those who applied for loans oave been given loans or whether a large number of applications are still under considerntion ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) & (b) The inuormation of the extent possible is being collected and will be laid on the Table of the House.

पांचवी योजना में यातायात में वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडियन एयरलान्स द्वारा किये जाने वाले उपाय

4395. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : इंडियन एयरलान्स द्वारा पांचवी योजना में यातायात में होने वाली सम्भावित बृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं।

पर्यटन नागर और विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : यातायात सम्भाव्यता, विमानों की उपलब्धता और विमान क्षेत्र सुविधाओं के विकास की लागत को दृष्टि में रखते हुए इंडियन एयरलाइन्स पाँचवी योजना वृधि के दौरान अपनी विस्तार योजनाओं की जाँच कर रही है।

विश्व बैंक से सहायता

4296. **श्री वी० के० चन्द गौडा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में हमें हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी तथा क्या हमारे देश को मिलने वाली विश्व बैंक सहायता से यह पूरी हो जाएगी ; और

(ख) हमें वस्तुत: कितनी सहायता मिलेगी और उसमें से कितनी राशि को ऋण भुगतान में लगाया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सहायता संघ इस बात के लिये सहमत था कि आर्थिक प्रगति की गति को तेज करने के लिए सरकार के प्रयासों को समर्थन प्रदान करने के लिये उद्देश्य से भारत को काफी मात्रा में सहायता के नये वचन देने की आवश्यकता है और सदस्यों ने यह बात नोट की थी कि 1972-73 के वर्ष लिये लगभग 70 करोड़ अमरीकी डालर की परियोजना भिन्न और लगभग 55 करोड़ अमरीकी डालर की परियोजनागत सहायता के वचनों की आवश्यकता होगी ताकि भारत को आन्तरित किये जाने वाले साधनों में होने वाली कमी को रोका जा सके।

विश्व बैंक समूह इस कुल रकम के एक अंश की ही व्यवस्था करता है और प्राप्त संकेतों के अनुसार अपने वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक समूह 45 करोड़ अमरीकी डालर की परियोजनागत और परियोजना-भिन्न सहायता मुहैया करेगा।

(ख) चालू वर्ष में अब तक लगभग 659 करोड़ रुपये के मूल्य के करारों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं जिसमें बैंक समूह की 207 करोड़ रुपये की रकम शामिल है। सहायता का उपयोग मार्गस्थ सहायता और नयी व चनबद्धताओं के अन्तर्गत सहायता के उपयोग पर आधारित है। अनुमान है कि हाल वर्ष कुल मिकाकर 626 करोड़ रुपये की सहायता का उपयोग किया जायेगा जिसमें से लगभग 168 करोड़ रुपया विश्व बैंक समूह से प्राप्त होगा कि विदेशी ऋणों के परिशोधन की रकम का अनुमान लगभग 603 करोड़ रुपये का है।

भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग की कृत्रिम वर्षा करने की क्षमता के विकास के लिए सरकार द्वारा दिया गया धन

4397. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग को कृत्रिम वर्षा करने की योग्यता के विकास के लिये सरकार ने कितना धन दिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से भारतीय उष्णाकटिबन्धीय मौसम विज्ञान संस्थान, पूना द्वारा कृत्रिम वर्षा करने सम्बन्धी परीक्षण करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में सात लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर विद्यमान 'रनवे' के साथ एक उपमार्ग का निर्माण

4298. श्री सुखदेव वर्मा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली हवाई अड्डे पर विद्यमान 'रनवे' के साथ एक उपमार्ग बनाने की सम्भाव्यता पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो विचार-धीन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) मामले की भारत के अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है।

चलते फिरते बैंकों का संचालन

4399. श्री नारायण चन्द पारागर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के विभिन्न नगरों में कितने चलते फिरते बैंक कार्य कर रहे है और उनके नाम क्या है तथा उनके कार्य के क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या उनका काम संतोषजनक हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या देश के शेष भागों में भी ऐसे चलते-फिरते बैंक चालू किए जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1972 को बीस केन्द्रों में छः बैंकों के चलते फिरते कार्यालय काम कर रहे थे। जिनका व्यौरा विवरण में दिया गया हैं। ये चलते फिरते कार्यालय नियमित और पूरे पूरे एकतापूर्ण बैंक कार्यालयों में सम्बद्ध हैं।

तथा सुविधाजनक दूरी में स्थित कुछ निर्दिष्ट गांवों में, 45 किलोमीटर से अधिक दूर न हों, काम करते हैं । ये चलते फिरते बैंक, उन छोटे बैंक रहित केन्द्रों की आवश्यकताएं पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां बैंक का पूरा कार्यालय खोलने की पर्याप्त क्षमता अभी नहीं है । इस प्रश्न का निर्णय भी कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में चलता फिरता कार्यालय खोला जाय या पूरा बैंक कार्यालय बैंक द्वारा किसी केन्द्र में उपलब्ध वर्तमान बैंकिंग सुविधाओं, जमा क्षमता, उस क्षेत्र के समाज की आवश्यकताओं तथा गाड़ी में चलते फिरते बैंक को चलाने की सुविधाओं की उपलब्धता आदि जैसी सम्बद्ध सुविधाओं को ध्यान में रख कर किया जाता है ।

विवरण

बैंक का नाम	केन्द्र जहां से चलते फिरते कार्यालयों का संचालन किया जाता है
1. बैंक आफ बड़ौदा	बेनालिम (गोआ संघीय राज्य क्षेत्र)
2. -तदेव-	गुस्मि संगोल्डा (गोआ)
3. बैंक आफ इण्डिया	नदियाद (जिला कैरा, गुजरात)
4. -तदेव-	जामनगर (गुजरात)
5. -तदेव-	इन्दौर (मध्य प्रदेश)
6. -तदेव-	भुज (गुजरात)
7. -तदेव-	भावनगर (गुजरात)
8. -तदेव-	सूरत (गुजरात)
9. -तदेव-	गोंडल (जिला राजकोष, गुजरात)
10. -तदेव-	पोरबन्दर (जिला जूनागढ़ गुजरात)
11. -तदेव-	कोल्हापुर (जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र)
12. -तदेव-	जूनागढ़ (गुजरात)
13. -तदेव-	मोरवी (जिला राजकोट, गुजरात)
14. -तदेव-	कांकीनाडा (जिला पूर्वी गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश)
15. बैंक आफ इंडिया	खरगों (जिला पश्चिमी निमाड़, मध्य प्रदेश)
16. बैंक आफ राजस्थान लि०	जयपुर (राजस्थान)
17. -तदेव-	उदयपुर (राजस्थान)
18. देना बैंक	पोरबन्दर (जिला जूनागढ़, गुजरात)
19. सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	पेठ (जिला पूना, महाराष्ट्र)
20. पंजाब नेशनल बैंक	चंडीगढ़ (संघीय राज्य क्षेत्र)

देश में नये असैनिक हवाई अड्डों के निर्माण का प्रस्ताव

4400. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में देश में नये असैनिक हवाई अड्डों का निर्माण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से स्थल और कौन कौन से राज्य हैं जहां ये हवाई अड्डे बनाये जायेंगे ; और

(ग) इस बारे में संबंधित राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) बारापानी (शिलाँग) के विमान क्षेत्र के अतिरिक्त जो कि पहले से ही निर्माणाधीन है, सरकार का वर्ष 1973-74 के दौरान कालीकट (केरल) और हुबली (मैसूर) में नये विमान क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है।

(ग) इन प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकारों का पूरा समर्थन प्राप्त है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक, जालंधर से चोरों द्वारा ले जाया गया धन

4401. श्री नारायण चन्द पराशर :
श्री वरके जार्ज :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 फरवरी, 1973 को इंडियन ओवरसीज बैंक, जी० टी० रोड, जालंधर से चोरों द्वारा 7.67 लाख रुपये उड़ा लिए गये थे;

(ख) क्या इस मामले की कोई जाँच कराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और अपनी रिपोर्ट देने के लिए उसे कितना समय दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचना दी हैं कि बैंक के कोष कक्ष में रखी गयी 7, 66, 058, 96 रुपये की सारी रकम 26 फरवरी 1973 को सुबह गायब पायी गयी। बैंक द्वारा पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने पर तत्काल जाँच पड़ताल शुरू हुई और विभिन्न कर्मचारियों और बाहर के व्यक्तियों से विस्तृत पूछताछ के परिणामस्वरूप पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। इण्डियन ओवरसीज बैंक ने आगे सूचना दी है कि अपराधी न्यायलय द्वारा 15.3.73 को दोषी ठहरा दिया गया है और यह सूचना भी दी है कि बैंक ने अभी तक अलग से कोई जाँच पड़ताल नहीं की है।

देश में पर्यटन के संवर्धन हेतु बनाये गये पर्यटन निगम की रचना

4402. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश में पर्यटन के सम्वर्धन हेतु एक पर्यटन निगम बनाया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समय उसके सदस्य कौन-कौन हैं और इस निगम को कौन-कौन से वित्तीय तथा अन्य अधिकार प्राप्त हैं ; और

(ग) क्या देश के विभिन्न राज्यों के लिए उक्त निगम के क्षेत्रीय बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हाँ। इंडिया टूरिज्म डवैलपमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड (भारत पर्यटन विकास निगम) 1 अक्तूबर 1966 को निगमित (इंकार्पोरेटेड) हुआ था।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम को कम्पनीज एक्ट, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था तथा इसे कम्पनियों को इस एक्ट के अंतर्गत प्रदान की गयी शक्तियाँ प्राप्त हैं, परन्तु ये भारत पर्यटन विकास निगम के 'आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन' में निर्धारित कतिपय प्रतिबन्धों के सापेक्ष हैं।

(ग) जी, नहीं। भारत पर्यटन विकास का कार्यक्षेत्र समस्त देशव्यापी है तथा उसका संचालन इसके निदेशकमंडल द्वारा किया जाता है। निदेशक मंडल ने क्षेत्रीय आधार पर समितियाँ स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की है।

चाय पर उत्पादन शुल्क

4403. श्री विश्व नारायण शास्त्री : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय पर उत्पादन शुल्क क्षेत्र उत्पादन के अनुसार अलग-अलग लगाने का कोई राष्ट्रीय आधार है;

(ख) यदि हां, तो क्या चाय की उत्पादन लागत, उपज और किस्म पर विचार किया जाता है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह तदर्थ अथवा मनमाने ढंग से लगाया जाता है ।

(घ) भारतीय चाय के निर्यात पर अलग-अलग उत्पादन शुल्क का क्या प्रभाव है ; और

(ङ) गत वित्तीय वर्ष में क्षेत्रवार कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) सितम्बर, 1968 से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की विभिन्न दरें इस विचार से लागू की गई ताकि कुल केन्द्रीय उत्पन्न शुल्क का भार, विभिन्न चाय उपजकर्ता क्षेत्रों के बीच उन की कर-वहन करने की क्षमता के आधार पर जो प्राप्त कीमतों से आकलित की जाये, न्यायोचित ढंग से बाँटा जाये। केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96च में किये गये उपबन्ध के अनुसार भारत में की गई नीलामियों में चाय की प्राप्त की गई भारित औसत बिक्री कीमत के आधार पर, चाय उपजकर्त्ता क्षेत्रों को विभिन्न उत्पादन शुल्क जोनों में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादन शुल्क की इन विभिन्न दरों को, विश्व बाजार में भारतीय चाय के निर्यात-निष्पादन को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर, संशोधित किया जाता है।। अंतिम संशोधन मार्च, 1970 में किया गया था।

(घ) 15 अप्रैल, 1970 से नियोजित चाय पर दी गई उत्पादन शुल्क में छूट को, निर्यात प्रोत्साहन के रूप में आरम्भ किया गया था। गत तीन वर्षों के दौरान इस छूट के कारण अधिक निर्यातों को प्रोत्साहन मिला है।

(ङ) वर्ष 1971-72 में खुली चाय पर शुल्क की वसूली जोन वार आधार पर नीचे दी जाती है:—

			(हजार रु० में)
जोन	1	—	20,262
जोन	2	—	64,117
जोन	3	—	6,072
जोन	4	—	15,024
जोन	5	—	129,461

ग्रामीणों को अपने जीवन बीमे का प्रिमियम नकद राशि के स्थान पर अनाज के रूप में देने की सुविधाएं

4404. श्री विभूति मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिससे एक ग्रामीण अपने जीवन बीमें का प्रिमियम नकद राशि के स्थान पर अनाज के रूप में दे सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है ।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीणों को सुविधायें देने का विचार

4405. श्री विभूति मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम का विचार ग्रामीणों को कुछ सुविधाएं देने का है; और

(ख) यदि हां, तो किस तरह की सुविधायें देने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कराने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर दी गई सुविधाएं निम्नलिखित है:—

(1) पालिसी धारकों की सेवा करने में सुधार के लिए तथा बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिए अनिरिक्त कार्यालय खोलकर जीवन बीमा निगम के ग्रामीण संगठनों का क्रमिक विकास करना ।

(2) गैर डाक्टरी (विविध) योजना के अंतर्गत बीमा कराने की रकम की सीमाबढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरी जांच करने वालों के लिए निम्नतर योग्यतायें निश्चित करना ।

(3) आयु को तस्दीक करने का तरीका सरल कर देना ।

(4) जिन क्षेत्रों में बैंकों की सुविधा उपलब्ध नहीं है उनमें पालिसीधारकों से प्रीमियम इकट्ठा करने के लिए चुने हुए स्थानों पर डाक-घरों में विशेष व्यवस्था ।

(5) बीमे की शतवर्षीय पालिसी नाम से नई पालिसी जारी करना जो अनियमित आय वाले ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है ।

भारत में आने वाला तस्करी का माल

4406. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 फरवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड' में 'स्मगल्ड कंज्यूमर गुड्स वर्थ रु० 600 करोड़ एइयर (प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपये के मूल्य की उपभोक्ता वस्तुओं की तस्करी) शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हाँ।

(ख) देश में तस्कर-आयात किये गये माल के मूल्य का निषिद्ध माल के पकड़े जाने से सम्बन्धित आंकड़ों के आधार पर अथवा किसी अन्य आधार पर विश्वसनीय अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है।

यह भी सही नहीं है कि तस्कर व्यापार का यह आशय है कि "विदेशी मुद्रा की एक बड़ी राशि चोरी-छिपे देश से बाहर भेजी जा रही है।" बीजकों में हेर फेर के कारण हानि पर अध्ययन-दल द्वारा व्यक्त मत के अनुसार, तस्करी का वित्त-पोषण करने वाला मुख्य स्रोत विदेशों में बसने वाले भारतीयों की बचत है। बीजकों में हेरफेर के कारण हानि पर अध्ययन दल के मोटे अनुमान के अनुसार, विदेशी मुद्रा के रूप में होने वाला तस्कर-व्यापार 160 से 170 करोड़ रुपयों के लगभग का होगा।

भारत के अन्दर तथा बाहर होने वाले तस्कर व्यापार की समस्या पर सरकार निरन्तर विचार करती रही है। तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए जोरदार उपाय किये जा रहे हैं। तटवर्ती इलाकों से बेहतर सतर्कता बरती जा रही है। और इसमें सूचना को व्यवस्थित रूप से एकत्रित करके तथा कर्मचारी वर्ग की पुनर्नियुक्ति आदि करके सहयोग दिया जाता है। तस्करी की वस्तुओं का पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में भी संशोधन किया गया है।

कृषि पर लगे केन्द्रीय सरकार के करों से होने वाली आय

4407. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने कृषि पर कौन-कौन से विभिन्न कर लगा रखे हैं; और

(ख) इन में से प्रत्येक कर से वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में हुई आय में केन्द्रीय सरकार का अंश कितना-कितना था ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) धन-कर, कृषि भूमि के मूल्य पर लगाया जाता है। सम्पदाशुल्क उस कृषि भूमि के मूल्य पर लगाया जाता है जो मृत्यु के बाद आगे अन्तरित होती है।

(ख) कृषि-भूमि, आदि पर धन-कर केवल कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 से लागू हुआ। कृषि-भूमि, आदि पर धन-कर की शुद्ध प्राप्तियां, सहायक अनुदान के रूप में राज्यों को आन्तरित की जानी होती हैं। कृषि-भूमि आदि पर सम्पदाशुल्क की शुद्ध प्राप्तियां उन राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों को सौंप दी जाती हैं जहां विधानमंडल हों और जहां इन करों की वसूली की जाती हो।

चाय बोर्ड के अध्यक्ष को वेतन और भत्ते

4408. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड के अध्यक्ष को प्रतिमास कितना वेतन और भत्ते दिये जाते हैं;

(ख) गत 12 मास की अवधि के दौरान उन्होंने प्रतिमास कुल कितना वेतन और भत्ते प्राप्त किये ; और

(ग) जनवरी 1973 को समाप्त हुई पिछले 12 मास की अवधि में उन्होंने अपने दिल्ली के दौरे के लिए रविवारों सहित कुल कितने दिनों के लिए और कुल कितना दैनिक भत्ता लिया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चाय बोर्ड के अध्यक्ष का वर्तमान वेतन 3075 रु० (वेतन 3000 रु०+75रु० नगर प्रतिकर भत्ता) है ।

(ख) तथा (ग) : दो विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4571/73]

चाय बोर्ड की बागान वित्त योजना

4409. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति (1969-70) द्वारा अपने 115वें प्रतिवेदन में व्यक्त की गई इच्छानुसार सरकार ने चाय बोर्ड की बागान वित्त योजना के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो समिति की चाय बोर्ड द्वारा कुछेक चाय बागान मालिकों को ही वित्तीय सहायता दे देने और इस उद्देश्य के कमजोर वर्ग को लाभ न पहुँचाने संबंधी असमान व्यवहार के बारे में की गई टिप्पणी के विशिष्ट संदर्भ में उसका क्या परिणाम रहा ; और

(ग) क्या उक्त समिति द्वारा इंगित त्रुटियां दूर करने के लिए बागान वित्त योजना में संशोधन कर दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) बागान वित्त योजना के कार्यकरण की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

(ख) गत तीन वर्षों के कार्यकरण के पुनर्विलोकन के परिणामों से पता चलता है कि उद्योग के अपेक्षतया छोटे वर्ग से पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यद्यपि योजना में निर्धारित शर्तें पूरा करने पर उद्योग के सभी वर्गों को ऋण उपलब्ध रहता है ।

(ग) लोक लेखा समिति द्वारा दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए तथा उद्योग के विभिन्न वर्गों को विशेष रूप से अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग को ऋण आदि देने में लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने हेतु विद्यमान वित्तीय सहायता योजनाओं के कार्यकरण पर विचार करने के लिए बोर्ड द्वारा 9 तथा 10 जनवरी, 1973 को हुई अपनी बैठक में एक उप-समिति गठित की गई है ।

पश्चिम जर्मनी से चाय ट्राली का आयात

4410. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने एशियाई मेले में चाय की बिक्री के लिए पश्चिमी जर्मनी से वायुयान द्वारा एक चाय ट्राली के आयात के लिए आयात शुल्क के रूप में 20,000 रुपये अदा किये थे;

(ख) यदि हां, तो ट्राली का मूल्य क्या है और उस पर कितना विमान भाड़ा अदा किया गया; और

(ग) क्या चाय-ट्राली का उपरोक्त आयात, जो कि भारत में सस्ते मूल्य पर उपलब्ध है, विदेशी मुद्रा बचाने और आयात प्रतिस्थापन की सरकारी नीति के अनुरूप है और यदि नहीं, तो सरकारी नीति का उल्लंघन और सार्वजनिक विधियों का इस प्रकार व्यय करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) म्यूनिख ओलम्पिक में भारतीय चाय सेवा के लिए विशेष रूप से बनाई गई चार ट्रालियों में से एक ट्राली एशियाई मेले में चाय की बिक्री के वास्ते वायुयान द्वारा इसलिये मंगाई गई थी कि ओलम्पिक खेलों के समाप्त होने तथा एशिया'72 के आरंभ होने के बीच ज्यादा अवधि का अन्तर नहीं था। पश्चिमी जर्मनी में ट्राली की लागत 5000/- डीएमथी और 33.0/- रु० की राशि विमान भाड़े और 16,500/- रु० आयात शुल्क के रूप में दिये गये।

(ग) ऐसी तैयार ट्रालियां न तो भारत में मिलती हैं और न ही शुरू में उसे भारत में इस्तेमाल करने का इरादा था। ओलम्पिक खेलों के दौरान इन चार ट्रालियों के अत्यधिक संवेधनात्मक प्रभाव के कारण ही चाय बोर्ड उनमें से एक ट्राली को एशियाई मेले में प्रयोग के लिए प्रेरित हुआ।

त्रिपुरा में चाय बागानों में सुधार के लिए कार्यवाही

4411. श्री आर० एन० बर्मन,
श्री दशरथ देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कितने चाय बागान हैं और उनका वास्तविक क्षेत्रफल कितना है ;

(ख) क्या चाय बोर्ड ने गत पांच वर्षों में चाय बागानों की आर्थिक स्थिति का कोई सर्वेक्षण किया है या क्या उसने वहां के छोटे-छोटे चाय बागानों की दशा सुधारने के लिए कोई विशिष्ट योजना चलाई है ;

(ग) गत तीन वर्षों में चेयरमैन और चाय बागानों के विकास से सम्बन्धित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने त्रिपुरा का कितनी बार दौरा किया और उनके दौरों पर कुल कितना खर्च किया गया ; और

(घ) क्या त्रिपुरा के छोटे चाय उत्पादकों और छोटे चाय बागानों का कोई प्रतिनिधि गत दस वर्षों में चाय बोर्ड का सदस्य बनाया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1971 में त्रिपुरा में चाय बोर्ड के पास पंजीकृत 53 चाय बागान हैं जिनका रोपित क्षेत्र 5,444 हैक्टर है।

(ख) जुलाई 1959 में एक तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया गया था। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े विचाराधीन हैं।

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान चाय बोर्ड के किसी भी अधिकारी ने त्रिपुरा का दौरा नहीं किया ।

(घ) जी नहीं ।

पश्चिम बंगाल में उगाए जाने वाले आमों का निर्यात

4412. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों के उगाए जाने वाले आमों के निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता से अवगत है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में उनके मंत्रालय ने क्या विशिष्ट कदम उठाए हैं ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य व्यापार निगम पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से मालदा आमों का निर्यात की सम्भावना का पता लग रहा है ।

उत्तर बंगाल में 'जूट टैक्नोलोजी सैन्टर

4413. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि उत्तर बंगाल के जिलों में पटसन बड़ी मात्रा में पैदा किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय उत्तर बंगाल में 'जूट टैक्नोलोजी सेंन्टर' स्थापित करने के लिये योजना बनाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं । विद्‌यमान केन्द्र उत्तर बंगाल की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर सकते हैं ।

होटलों के वर्गीकरण के लिए अपनाया गया मानदंड

4414. श्री भानसिंह भौरा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ होटलों को पांच-स्टार डीलक्स होटलों के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) होटलों को वर्गीकृत करने के लिये क्या मानदंड अपनाया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां । सरकार ने हाल ही में तीन होटलों को 5 स्टार डीलक्स वर्ग में रखने की अनुमति दी है जबकि 1963 में होटल वर्गीकरण समिति ने केवल एक होटल को इस वर्ग में रखा था ।

(ख) और (ग) : 'होटल वर्गीकरण समिति, 1963' ने सिफारिश की थी कि क्योंकि अशोका होटल, नई दिल्ली, ने अपनी विशिष्टता प्रदर्शित की और अन्य 5 स्टार होटल की तुलना

में काफी अधिक अंक प्राप्त किये, अतः इसका वर्गीकरण 5 स्टार डीलक्स होटल के रूप में किया जाना चाहिये 'होटल पुनरीक्षण समिति, 1970' ने भी सिफारिश की कि कुछ होटलों को इस वर्ग में रखा जाना चाहिये क्योंकि ये अन्य 5 स्टार होटलों की अपेक्षा स्पष्टतः उच्चतर स्तर के है। इस आधार पर तथा 'होटल व रेस्टोरेंट अनुमोदन एवं वर्गीकरण समिति' की सिफारिशों के अनुरूप सरकार ने स्वीकार कर लिया कि ऐसे 5 स्टार होटलों को जिनके प्राप्तांकों का कुल योग 80 प्रतिशत से अधिक बनता है, 5 स्टार डीलक्स होटल के वर्ग में रखा जाये।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं में गिरावट

4415. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड' में ("बैंकिंग सर्विसिस पूअरर सिन्स टेक ओवर से फर्म्स' फर्मों का कहना है कि बैंकों को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने के बाद उनकी सेवाओं में गिरावट आई है) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित समाचार देखा है और उसे ज्ञात है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की गई सेवाओं में विकास की गुंजाइश है। बैंकों का यह सतत् प्रयत्न रहा है कि अपने ग्राहकों के प्रति सेवाओं में गुणात्मक सुधार के समुचित उपाय किये जावें। बैंकिंग आयोग ने वाणिज्यक बैंकों की परिचालन प्रणालियों और ढंगों के सुधार और आधुनिकी करण के लिये कुछ सिफारिशें की हैं तथा ये सिफारिशें सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

बैंक घोटालों की संख्या में वृद्धि

4416. **श्री भान सिंह भौरा :**
श्री के० एस० चावड़ा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक घोटालों की संख्या 1971 और 1972 में वृद्धि हुई और यदि हां, तो इन दो वर्षों में इस प्रकार के कितने मामले दर्ज हुए और कितनी राशि के घोटाले हुए।

(ख) क्या इन मामलों में किसी भी दोषी को सजा दी गई, यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है, और दोषी व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार के घोटालों की आवृति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सम्भव सीमा तक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने बताया है कि उनके द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सभी बैंक सारे धोखाधड़ी के मामलों की जो उनके कार्यालय में होंगे और जैसे ही उन्हें पता लगेगा, रिपोर्ट भेजेंगे। धोखाधड़ी के तरीकों और सामान्य आन्तरिक नियन्त्रण में की जाने

वाली ढील को देख कर जिसके कारण अधिकांश मामलों में धोखाधड़ी करना आसान हो जाता है, संबन्धित बैंकों को ऐसे धोखे धड़ी के मामले दुबारा न होने देने के लिये सुरक्षा और सावधानी संबन्धी कदम उठाने के लिये कहा गया है। धोखाधड़ी रोकने के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया समय समय पर विभिन्न प्रकार के लनदेनों के सम्बन्ध में सावधानी और सुरक्षा संबन्धी आदेश देता रहता है।

हाल ही में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने बैंकों में प्रचलित प्रणाली और कार्यविधि का अध्ययन किया है, जिसका लक्ष्य कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाना और जहां कहीं आवश्यकता हो वहाँ संशोधित प्रणाली और कार्यविधि को लागू करना और वर्तमान में सुधार करना तथा विभिन्न बातों और कार्यों में जो अध्ययन के द्वारा पता चली हैं, में संशोधन करना है। यद्यपि अभी तक अध्ययन पूरा नहीं हुआ किन्तु अभी तक किए गये अध्ययन के फलस्वरूप पता लगी बातों के आधार पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने वाणिज्यिक बैंकों को चैकों, ड्राफ्टों आदि के भुगतान से सम्बन्धित लेन-देन को संतुलित करने के लिए कुछ सावधानी बरतने और अन्तर्शाखा लेखों का पुनर्मिलान करने के लिए कहा है।

मूंगफली के तेल में सट्टे को रोकने के लिए कार्यवाही

4417. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि तिलहन बाजार में धंधा करने वाले सटोरिये अरन्डी के बीज का धंधा छोड़कर मूंगफली के तेल के क्षेत्र में आ गए हैं क्योंकि अरन्डी के बीज का सट्टा करने पर रोक लगी हुई है ;

(ख) क्या मूंगफली के तेल में सट्टा करने के परिणामस्वरूप हाल के महीनों में इनके मूल्यों में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार मूंगफली के तेल में सट्टा रोकने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ;

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। मूंगफली के तेल के सम्बन्ध में सट्टा व्यापार पर जो विभिन्न अंकुश लगाये गए हैं वे अरन्डी के सम्बन्ध में लगाये गये अंकुशों की अपेक्षा काफी खराब हैं। अरन्डी के तेल के सम्पूर्ण वायदा व्यापार पर रोक लगी हुई है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

बिहार को वित्तीय सहायता के लिए रूमानिया का प्रस्ताव

4418. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूमानिया सरकार ने बिहार के विकास के लिये वित्तीय सहायता देने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हाँ, तो भारत सरकार किन क्षेत्रों में उनका सहयोग मांगेगी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) विदेशी सरकारों से सहायता प्राप्त करने के प्रस्तावों पर केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा ही विचार किया जा सकता है, जो पंचवर्षीय आयोजना की समग्र प्राथमिकताओं को देखते हुए प्रस्तावों की उपयोगिता तथा स्वीकार्यता पर निर्णय करती है। हमें ज्ञात हुआ है कि एक शिष्टाचारिक भेंट में रूमानिया के राजदूत ने बिहार सरकार के अधिकारियों को सामान्य रूप में यह कहा था कि उनकी सरकार भारत के कोयला आधारित उद्योगों तथा एल्यूमिनियम उद्योगों में, जिनमें बिहार के उद्योग भी शामिल हैं, सहर्ष सहयोग करेगी। कोई विशेष प्रस्ताव पेश नहीं किये गये थे।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अन्य देशों में उद्योगों की स्थापना के लिए टाटा, बिड़ला और साहूजैन उद्योग समूह को दिया गया ऋण

4419. कुमारी कमला कुमारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टाटा, बिडला तथा साहूजैन उद्योग समूहों को अन्य देशों में उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनको कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं; और

(ग) देश से बाहर उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

Proposal to extent Delhi-Muzaffarpur Air Service to Purnea and Bhagalpur

4420. Shri G.P. Yadav : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether a proposal to extend Delhi-Muzzaffarpur air service to Purnea and Bhagalpur is under consideration of Government;

(b) if so, the date from which air service to Purnea and Bhagalpur will be introdued and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism & Civil Aviation : (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir

(b) Does not arise.

(c) Both Purnea and Bdagalpur have small fairwhether landing grounds which are unfit for the turbo-prop aircraft in the fleet of Indian Airlines.

भारत में 1971-72 में विमान दुर्घटनाओं से ग्रस्त होने वाली अन्तर्राज्यीय विमान सेवा कम्पनियां

श्री जी० वाई० कृष्णन : **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के कितने विमान वर्ष 1971-72 में भारत में दुर्घटना ग्रस्त हुए और उन घटनाओं के क्या कारण हैं; और

(ख) हताहत होने वालों को क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि दी गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) 1971 में भारत में केवल एक दुर्घटना ऐसी हुई जिसमें एक अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनी (एयरोफ्लोट) का एक विमान ग्रस्त हुआ। यह विमान 29 जुलाई को कलकत्ता हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटना विमान चालक के भारी वर्षा में अवतरण के अन्तिम चरण में विमान का नियंत्रण खो देने के कारण हुई। विमान के सात कार्मिकों में से चार को चोटें आईं तथा अन्य तीन को कोई क्षति नहीं पहुंची। विमान में कोई यात्री नहीं थे।

1972 में भारत में दो दुर्घटनाएं ऐसी हुईं जिनमें जापान एयर लाइन्स के विमान ग्रस्त हुए। पहली, 14 जून 1972 को दिल्ली के निकट हुई जिसमें 11 कार्मिक सहित विमान पर सवार 89 व्यक्तियों में से 86 मर गये। भूमि पर स्थित चार व्यक्ति विमान से टकराने के कारण मर गये। दुर्घटना की पड़ताल एक जांच अदालत द्वारा की गई जिनकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट की जाँच की जा रही है। दूसरी दुर्घटना में, जिसमें वही विमान कम्पनी ग्रस्त हुई, विमान 14 सितम्बर 1972 को सान्ताक्रूज की बजाय जुहू हवाई अड्डे पर उतर गया। 108 यात्रियों और 14 विमान कार्मिकों में से 8 यात्रियों और एक कार्मिक को मामूली चोटें आईं लेकिन विमान को काफी क्षति हुई थी। दुर्घटना की जांच नागर विमानन विभाग के एक अधिकारी द्वारा की गयी है तथा उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) सरकार को दिल्ली के निकट जापान एयरलाइन्स के विमान की विनाशकारी दुर्घटना के संबंध में दिये गये मुआवजे के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह एयरलाइन्स तथा दावेदारों के बीच का मामला है। तथापि, भूमि पर जो 4 भारतीय मजदूर मारे गये थे, जापान एयरलाइन्स ने प्रत्येक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए 18,000/- रुपये का अनुग्रहपूर्वकक भुगतान किया।

कृत्रिम रेशे से बने वस्त्रों के लिए विकास परिषद का पुनर्गठन

4422. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम रेशों से बने वस्त्रों के लिए पुनर्गठित विकास परिषद ने प्रस्ताविक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तीन उप-समितियां नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उप-समितियों के निर्देश पद क्या है और उनके प्रतिवेदनों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) मानव निर्मित वस्त्रों के लिए विकास परिषद द्वारा निम्नोक्त उप-समितियां गठित की गई हैं :-

(1) पंचवर्षीय योजना के लिए मानव-निर्मित रेशे/धागे के लिए मांग आंकने के लिए समिति।

(2) उद्योग के आधुनिकीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए समिति। यह समिति इस उद्योग के लिए जटिल मशीनों की आवश्यकताएं आंकेगी।

इन उप-समितियों के प्रतिवेदनों के, विकास परिषद को इसकी आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

निजी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम के पूंजी निवेश में वृद्धि

4423. श्री एम० कतामुतु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में निजी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम के पूंजी निवेश में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इस समय निजी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम ने उद्योगवार कितनी पूंजी लगा रखी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों में गैर सरकारी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम के निवेशों में शुद्ध वृद्धि और इसके भारत में जीवन बीमा कारोबार सम्बन्धी निवेशों में कुल शुद्ध वृद्धि नीचे दी गई है:-

(करोड़ रुपयों में)
(निवेशों में शुद्ध वृद्धि)

वर्ष	गैर सरकारी क्षेत्र	कुल
1969-70	9.99	164.70
1970-71	5.53	185.98
1971-72	8.54	225.37

(ग) :

उद्योग	(लाख रुपयों में) (28-2-73 को खाता मूल्य)
एलयूमिनियम	9,79.91
बैंक	2,97.15
सिमेंट	16,67.45
कोयला	3,82.97
सूती कपड़ा	26,74.92
रंग रसायन और औषध निर्माण	22,36.56
विद्युत	18,32.47
बिजली का सामान	12,93.14
इंजिनियरिंग	50,16.59
खाद्य पेय और तम्बाकू	2,65.27
बीमा	2,30.11
निवेश-न्यास	3,92.45
लोहा और इस्पात	23,20.62
पटसन	6,02.67
दियासलाई	85.23
खदान	1,13.04
खनिज तेल	4,08.11
कागज और गत्ता	11,40.75

बागान	2,78.94
रेल	70.65
रबड़ उत्पादन	5,92.23
जहाजरानी और परिवहन	1,23.61
चीनी और मद्य निर्माणशालायें	6,84.57
सूती से भिन्न वस्त्र	2,91.67
वनस्पति तेल	2,84.75
सहकारी आवास समितियां	18.54
विविध	14,37.28

जीवन बीमा की प्रीमियम दरों को कम करना

4424. श्री एम० कतामुतु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा की प्रीमियम दरों को कम करने सम्बन्धी सुझाव को पुन: अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) जीवन बीमा निगम ने अपनी बिना लाभ की योजनाओं में से आठ की प्रीमियम दरें 1970 में और बिना लाभ की 6 अन्य योजनाओं की दरें 1971 में घटा दी क्योंकि इनका बीमा सम्बन्धी कारणों से घटाया जाना उचित था । 1972 में वार्षिकी (एन्यूटि) योजनाओं पर लागू दरों को उदार किया गया है और इस वर्ष के शुरू में सामूहिक बीमे के नये कारोबार पर लागू शुद्ध सावधिक प्रीमियम की दरों का संशोधन किया गया है ।

जहाँ तक लाभ सहित योजनाओं का सम्बन्ध है, यद्यपि अनुकूल मृत्यु दर के अनुभव से प्रीमियम दरों को घटाना स्वत: ही आवश्यक हो जाना चाहिये था, लेकिन प्रबंध व्यवस्था के व्यय में सतत वृद्धि के कारण भविष्य के प्रति दृष्टिकोण अनिश्चित हो गया है । इन परिस्थितियों में जीवन बीमा निगम ने इन योजनाओं के अंतर्गत प्रीमियम दरों में कोई भी संशोधन करने के विचार को तब तक स्थगित रखने का निर्णय किया है जब तक कि खर्च में स्थिरता नहीं आ जाती, खासतौर पर इसलिये कि सलाभ पालिसीधारियों के साथ न्यायसाम्य, बोनस वितरण के द्वारा भी किया जा सकता है ।

लैटिन अमरीका देशों के साथ व्यापार संबंधी

4425. श्री एम० कतामुतु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का इस समय कितने लेटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार संबंध हैं ;

(ख) इस समय इनमें से प्रत्येक देश के साथ कितना व्यापार होता है ; और

(ग) क्या लेटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई गई और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत लातीनी/अमरीकी क्षेत्र के प्रत्येक देश के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखता है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4572/73]

(ग) इस क्षेत्र के साथ व्यापार बढ़ाने के प्रयत्न लगातार किये जाते रहते हैं और इस सम्बन्ध में जिन बातों पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता है वे हैं : व्यापार करार सम्पन्न करना, स्थानीय कार्यालयों की स्थापना करके एजेन्टों व प्रचार की व्यवस्था करके प्रतिनिधि मन्डलों का आदान-प्रदान करके इस क्षेत्र में अपना व्यापार बढ़ाना, आदि ।

खेलकूद के सामान का ऊंचा मूल्य होने के कारण इनके निर्यात की समस्या

4426. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित खेलकूद के सामान का ऊंचा मूल्य होने के कारण इसके निर्यात में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इसका कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) कई आधारित खेल कूद के सामान के निर्यातक, अपनी आवश्यकता के चमड़े की कीमतों में वृद्धि के कारण कुछ कठिनाई अनुभव कर रहे हैं । उचित मूल्य पर चमड़े की पर्याप्त मात्राओं की पूर्ति के लिए प्रबंध करके इस समस्या को हल करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

हालैंड से ऋण

4427. **श्री एम० कतामुत्तु :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हालैण्ड ने भारत को 18.6 करोड़ रुपये के मूल्य का आसान शर्तों पर ऋण देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण की क्या शर्तें हैं ; और

(ग) क्या भारत ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) नीदरलैंड (हालैंड) की सरकार ने भारत को वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए 680 लाख डच गिल्डर (लगभग 15.25 करोड़ रुपये) की विकास सहायता देने की पेशकश की है ।

(ख) और (ग) इस पेशकश के सम्बन्ध में द्वितीय वार्ता अप्रैल, 1973 में होने की सम्भावना है तथा ऋण की शर्तों को इसके बाद अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

भुवनेश्वर के लिये दिल्ली से सीधी वायुयान सेवा

4428. श्री के० प्रधानी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए सीधी वायु सेवा आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है जिससे कि कलकत्ता अथवा हैदराबाद होकर जाने वाले चक्करदार रास्ते से बचा जा सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच सीधी उड़ानें वाणिज्यक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होंगी ।

रायपुर और भुवनेश्वर के बीच विमान सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव

4429. श्री के० प्रधानी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रायपुर और भुवनेश्वर के बीच सप्ताह में कम से कम दो बार विमान सेवा आरम्भ करने का है जिससे कि जब भी आवश्यक हो यात्री सीधे रास्ते की सुविधा का लाभ उठा सकें ; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अपने सीमित विमान बेड़े के कारण जोकि इस समय पहले से ही पूरी तरह लगा हुआ है, इंडियन एयरलाइन्स कोई भी अतिरिक्त उड़ानें प्रारम्भ करने की स्थिति में नहीं है । इसके अलावा इन दो स्थलों के बीच संभाव्य यातायात का मूल्यांकन अभी किया जाना है ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाएं खोलना

4430. श्री के० प्रधानी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972-73 में उड़ीसा में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की कितनी शाखाएं खोली गई ;

(ख) उड़ीसा के पश्चिमी जिलों में 1972-73 में प्रत्येक शाखा से कितने लोगों को ऋण दिया गया ;

(ग) चालू वर्ष में प्रत्येक जिले में कितने टैक्सी ड्राईवरों और रिक्शा चालकों को ऋण दिया गया ; और

(घ) क्या उड़ीसा के उन जिलों में ऐसे किसी व्यक्ति को ऋण दिया गया जिसके पास अपनी कोई जमीन-जायदाद नहीं थी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 1 अप्रैल 1972 से 18 मार्च 1973 तक भारतीय स्टेट बैंक ने उड़ीसा में तीन शाखा कार्यालय और 10 उप-कार्यालय

खोले है।

(ख) 1 अप्रेल 1972 से 18 मार्च 1973 तक की अवधि के दौरान उड़ीसा के पश्चिमी जिलों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं द्वारा दिये गये ऋणों (व्यक्तिगत ओवरड्राफ्टों और स्वर्णऋणों के बदले अग्रिमों को छोड़कर) ऋणकर्ताओं की संख्या इस प्रकार थी :—

शाखाएं	ऋणकर्ताओं की संख्या
बोलंगीर	35
सोनेपुर	9
तितलागड़	16
भवानी पत्तन	3
सडियार	6
नवापाड़ा	18
घरवागढ़	20
बोना	2
राउरकेला	77
सुन्दरगढ़	2
फुलबानी	3
बारगढ़	455
झारसुगुड़ा	33
कुचिंदा	16
पदमपुर	15
संबलपुर	459
(ग) टैक्सी चालकों और रिक्शा चलाने वालों सहित परिवहन संचालक	36

(घ) जी, हां।

बड़े औद्योगिक गृहों की ओर करों की बकाया राशियां

4431. श्री वयालार रवि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1973 को बड़े औद्योगिक गृहों की ओर, प्रत्येक की ओर अलग-अलग, केन्द्रीय करों की कुल कितनी राशि बकाया थी ; और

(ख) इन बकाया राशियों की वसूली की दिशा में सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है और सरकार का इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) "बड़े औद्योगिक गृहों" का कर के लिए कोई अलग अस्तित्व नहीं है। औद्योगिक लाइसेन्स नीति समिति (दत्त समिति) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में 73 बड़े औद्योगिक गृह हैं, जिनमें से प्रत्येक की कई अलग-अलग इकाइयां हैं, जिनकी कुल संख्या 2 हजार से अधिक है। आयकर विभाग इन एककों के बारे

में पृथक सूचना नहीं रखता। लेकिन जिन मामलों में 1-3-73 को 5 लाख रु० और इससे अधिक आयकर बकाया था, उनके बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

1972-73 में फिल्मों का निर्यात तथा आयात

4432. श्री वयालार रवि : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972-73 में कुल कितनी तथा कितने मूल्य की फिल्मों का निर्यात किया गया तथा इनके निर्यात का देशवार ब्यौरा क्या है और इन देशों से कुल आयात की तुलना में यह कितना है ; और

(ख) फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के प्रयत्नों में निगम ने कितनी प्रगति की है और इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) निर्यात की गई फिल्मों की संख्या के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आंकड़े मीटरों के रूप में रखे जाते हैं, संख्या के रूप में नहीं तथापि, एक विवरण संलग्न है जिसमें फिल्मों का देशवर आयात, निर्यात तथा व्यापार संतुलन दिखाया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4573/73]

(ख) फिल्मों के कुल निर्यात में भारतीय चलचित्र निगम का भाग वर्ष 1971-72 में बढ़ कर (लगभग) 11% हो गया जब कि वर्ष 1969-70 में यह 8% था। एक राष्ट्रीय फिल्म निगम स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है जो फिल्मों के आयात तथा निर्यात के कार्य को संभालेगा।

Arrangements for armed Guards in the Branch offices of Union Bank in Ghazipur

4433. Shri Sarjoo Pandey :
Shri Ishwar Chaudhuri :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(b) whether there are no arrangements for armed guards in the branch offices of Union Bank in Ghazipur (Uttar Pradesh) ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) Union Bank of India has no arrangements for armed guards in its branches in Ghazipur, U. P., but has provided unarmed guards at these branches.

(b) The bank provideds armed guards only at branches which act as cash feeding centres and whether there is frequent movement of cash and the branches of Union Bank of India in Ghazipur District do not come under the above category.

Memorandum form workers of Opium Factory Ghazipur

4434. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of Finance be pleased to state whether the workers of Ghazipur, Opium Factory had sent ta Government their Charter of demand and if so, the decision taken by Government on their demands ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The Opium Factory Labour Union, Ghazipur, has sent a list of demands to the Government. A gist of these demands and the present position in respect of each of them is indicated in Annexure A. [Placed in Library see No. L. T. 4575/73]

Another Association styled 'Technical Staff Association Op'um and Alkaloid works-Ghazipur' has also sent a list of demands made by this Association as also the position in respect of each of them is given in Annexure B.

खनिज अयस्क पर निर्यात शुल्क को समाप्त करना

4435. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा प्रशासन के केन्द्र से अनुरोध किया है कि लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क को खत्म किया जाये ताकि वह अपने खनिज अयस्कों को विदेशों में प्रतियोगात्मक बना सके ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ग) सम्बन्धित पार्टियों से, जिनमें गोवा, दमन और दीव की सरकार शामिल है, कच्चे लोहे पर निर्यात शुल्क से कटौती के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। विदेशी बाजारों में भारतीय माल की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर निर्यात-शुल्क के प्रभाव की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

इण्डियन एयरलाइन्स की पटना-मुजफ्फरपुर विमान सेवा को रक्सौल तक बढ़ाने का अनुरोध

4436. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इण्डियन एयरलाइन्स की पटना-मुजफ्फरपुर विमान सेवा के रक्सौल तक बढ़ाकर इसे दैनिक सेवा के रूप में चलाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) रक्सौल को विमान सेवा से जोड़ने के लिए समय समय पर सुझाव प्राप्त हुए है तथा उन पर ध्यान पूर्वक विचार किया गया है। क्योंकि रक्सौल हवाई अड्डे का धावन पथ इण्डियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े के टर्बो-प्राप विमानों के परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं है, इंडियन एयरलाइंस के लिए फिलहाल इस स्टेशन के लिए विमान वा परिचालित करना सम्भव नहीं है।

दिल्ली से राजकोट तक इण्डियन एयरलाइन्स की विमान सेवा को पुनः प्रारम्भ करना

4437. **श्री अरविन्द एम० पटेल** :

श्री वेकारिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली से राजकोट तक इण्डियन एयरलाइंस की सीधी विमान सेवा चल रही थी और इसे कुछ समय पश्चात् बन्द कर दिया गया था ।

(ख) क्या अब उस विमान सेवा को पुन: आरम्भ करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Amount to be given by Industrial Development bank of India to Madhya Pradesh for small Scale Industries

4438. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount decided to be given by the Industrial Development Bank of India to Madhya Pradesh for encouraging small scale industries in the State during the current financial year ; and

(b) the basis on which the money is given to the private sector ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) & (b) The Industrial Development Bank of India considers each application for financial assistance both direct and indiract, on its merits. While the form of direct assistance is confined to important projects in the large and medium sectors where the requisite assistance is not readily forthcoming form other institutions, one of the forms of indirect assistance is by way of refinance of loans given by eligible institutions like the State Financial Corporations and Commercial banks to inudstrial units, especially smail sacle industries. In the current financial year upto the 31st December, 1972 the Development Bank sanctioned and disbursed assistance by way of refinance aggregating to Rs. 53.97 lakhs and Rs. 39.61 lakhs respectively to 59 applications to small scale industries in Madhya Pradesh. The basis of granting financial assistance is the technical feasibility and economic viability of the projects together with such relevant aspects such as "debt equity" ratio, promoters contribution to the projects, prospects of debt servicing etc. The Development Bank takes particular care to be of assisatance to projects sponsored by technicianentr epreneurs, and the those established in the less industrially developed are as of the Country.

Scheme for Development of Road Tourism in Madhya Pradesh

4439. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minisier of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme for the development of road tourism in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of Tourism and clvil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) With a view to provide wayside amenities for road tourists, the Department of Tourism has a proposal to establish a series of Camping Sites throughout the conutry, one of which will be at Dewas in Mabhya Pradesh.

(b) The pattern proposed to be followed in putting up Camping Sites is that the State Government would make available free of cost developed land of about 2 acres at a suitable location and the Central Department of Tourism might meet the entire cost of construction of the camping site. Amenities at the comping site would include wash-rooms toilets, grocery store, snack-bar etc.

Each Comping site would carry such equipment to be given out on hire as tents, mattresses, reading lamps, stoves, folding chairs, tables etc.

Assistance from World Bank for water Supply Schemes in Madhya Pradesh

4440. **Shri G. C Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) whether the Madhya Pradesh Government have demanded assistance from the world Bank for water supply schemes in the state ;

(b) if so, the amount of the assistance demanded ;and

(c) whether the world Bank has agreed to give assistance for the purpose ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) The Government of Madhya Pradesh had submitted a scheme for augmentation of water supply in Indore for seeking assistance from the World Bank Group. The Government of Madhya Pradesh was advised to prepare a detailed Project Report and also to indicate whether resources both financial and physical have been allocated for the investments to be carried out in the Fourth Plan before a decision is taken to seek assistance from the world Bank Group for the Scheme.

(c) Question does not arise.

Proposal to set up New Airport in Madhya Pradesh

4441. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to set up any new airport in Madhya Pradsh ; and

(b) if so, the broad outlines thereof and the place where it is being set up ?

The Minister of Tourism and civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

बंगला देश और यूरोप को होजरी अध्ययन दल

4442. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलादेश और यूरोप को होजरी अध्ययन दलों को भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उनके प्रतिवेदनों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। हाल में इन स्थानों को सरकार द्वारा प्रायोजित ऐसा कोई दल नहीं भेजा गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं योजना में पश्चिम बंगाल में पर्यटन का विकास करने की योजना

4443. **डा० रानेन सेन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान राज्य में पर्यटन के विकास के

लिए योजनाएं प्रस्तुत की हैं और यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) इन योजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) क्या केन्द्र ने इन योजनाओं का अनुमोदन कर दिया है और यदि हां, तो इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए राज्य को क्या सहायता दी जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग) राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र (एप्रोच पेपर) में प्रस्तावित संभावित पर्यटन स्कीमों का एक विवरण पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा पर्यटन विभाग को सूचनार्थ भेज दिया गया है। ये स्कीमें राज्य में विभिन्न स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं के विकास से संबधित हैं तथा इनके लिए 30 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। क्योंकि ये स्कीमें योजना में सम्मिलित की जाती हैं, निधियों की व्यवस्था राज्यीय साधनों से ही करनी पड़ेगी। केन्द्रीय क्षेत्र में पांचवीं योजना की स्कीमें अभी तैयार की जा रही हैं, तथा उन्हें अन्तिम रूप दिये जाने के लिए योजनागत परिव्यय की पुष्टि की प्रतीक्षा है।

यूनाइटिड एशियन बैंक

4444. डा० रानेन सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटिड एशियन बैंक, जो कि भारत और मलयेशिया का संयुक्त उपक्रम है, निकट भविष्य में कार्य करना आरम्भ कर देगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह मलयेशिया में किन शर्तों के अन्तर्गत कार्य करेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) यूनाइटेड एशियन बैंक बरहड के नाम से एक नई मलेशियन बैंकिंग कम्पनी मलेशिया में 30 दिसम्बर 1972 को पंजीकृत की गई है। ये नया बैंक मलेशिया में तीन भारतीय बैंकों की वर्तमान 11 शाखाओं का कारोबार अपने हाथ में ले लेगा। तीन भारतीय बैंकों ने नये बैंक की शेयर पूंजी में $33\frac{1}{3}\%$ अंशदान दिया है। शेष धनराशि, भारतीय मूल के मलेशिया नागरिकों सहित मलेशिया वासी आदि देंगे। ज्योंही बैंकिंग लायसेंस मिल जाएगा नया बैंक निश्चित विनियमों और शर्तों और स्थानीय बैंकिंग कानूनों के अनुसार अपना कार्य-संचालन करेगा।

फरवरी, 1973 में कलकत्ता समुद्री सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा एक बैंक लाकर की तलाशी

4445. डा० रानेन सेन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता समुद्री सीमा शुल्क विभाग ने कलकत्ता में 22 फरवरी, 1973 को एक बैंक लाकर की तलाशी ली थी ;

(ख) क्या भारतीय मुद्रा में 10 लाख रुपये, सोने की घड़ियां और हीरे युक्त आभूषण पकड़े गए थे ;

(ग) यदि हां, तो जिस व्यक्ति के लाकर की तलाशी ली गई थी उसका नाम क्या है; और

(घ) इस विषय में आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां ।

(ख) 9.80 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा तथा अन्य वस्तुएं अर्थात् एक कलाई घड़ी, सोने के जेवरात, सोना/चाँदी/श्वेत धातु के जवाहिरात जिन पर हीरे जड़े हुए हैं, सोना तथा सोने की अशरफियां, जिनका कुल मूल्य लगभग 1.4 लाख रुपया है, पकड़ी गई थी ।

(ग) और (घ) लाकर 125, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता के श्री ए० कुमार के नाम में था । उप पते पर उस नाम का कोई व्यक्ति रहता हुआ नहीं पाया गया परन्तु पकड़ी गई वस्तुओं के बारे में किसी अरुण कुमार बाजोरिया ने अब दावा किया है । जांच-पड़ताल जारी है ।

सरकार द्वारा आयात तथा निर्यात व्यापार को अपने अधिकार में लेना

4446. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात तथा निर्यात व्यापार को अधिक से अधिक अपने अधिकार में लेने की सरकार की नीति के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) ऐसी कौनसी वस्तुओं का निर्यात अभी भी गैर-सरकारी क्षेत्र से किया जा रहा है जिनको भविष्य में सरकार का विचार अपने अधिकार में लेने का है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ग) गैर-सरकारी आयतकों और निर्यातकों को कदाचार करने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार की घोषित नीति के अनुरूप, सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से मार्गीकृत आयातों की सूची में समय-समय पर नई मदें जोड़ी जाती है। अभी तक, आयात के 182 मदों और निर्यात की 29 मदों का मार्गीकरण किया गया है । 1973-74 के दौरान मार्गीकृत किये जाने वाली प्रस्थापित मदों के संबंध में इस अवस्था में कोई संकेत नहीं दिया जा सकता ।

(ग) आयतकों तथा निर्यातकों के कदाचारों को रोकने के लिए आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम तथा उसके अंतर्गत जारी किए गए आदेशों में दंड संबम्धी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं ।

भारतीय रिजर्व बैंक में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में हुई प्रगति

4447. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकृत बैंकों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों की रिपोर्टों के अभी भी अधिकांश रूप से केवल अंग्रेजी में प्रकाशित किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में की गई प्रगति को दिखाने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4574/73]

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक और उसकी सहयोगी संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट और अन्य प्रकाशन हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किये जा रहे हैं। सभी राष्ट्रीयकृत बैंक अपने अपने वार्षिक प्रतिवेदन भी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित करते हैं।

विदेशी निजी कम्पनियों द्वारा राजस्थान में पूंजी निवेश

4448. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी निजी कम्पनियों ने राजस्थान में किन मुख्य क्षेत्रों में पूंजी लगाई है; और

(ख) कुल पूंजी निवेश की तुलना में प्रत्येक क्षेत्र में कितने प्रतिशत पूंजी निवेश किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कम्पनी रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसी विदेशी कम्पनी की कोई भारतीय सहायक कम्पनी राजस्थान में पंजीकृत नही है। किन्तु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 के अन्तर्गत परिभाषित एक विदेशी कम्पनी है जिसके व्यापार का मुख्य स्थान राजस्थान में है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ इस कम्पनी का संविदा था जो 30 अप्रैल, 1967 को समाप्त हो गया था। यह कम्पनी अब अपना कारबार समेट रही है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नही होता।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की दिल्ली और नई दिल्ली शाखाओं में अनियमितता

4450. **श्री झारखंडे राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की दिल्ली तथा नई दिल्ली शाखाओं में घोटाले एवं अनियमितता के ब्योरे वाले निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति पर बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत उसमें निहित शक्तियों के अनुसरण में कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में निर्दिश्ट निर्दिशत निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उसने बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर बैंक की दिल्ली और नई दिल्ली स्थित शाखाओं का ऐसा कोई नियमित निरीक्षण नही किया था परन्तु इन शाखाओं में कतिपय अनियमितताओं के सम्बन्ध में लगाये आरोपों की जांच पड़ताल करने के लिए एक अधिकारी केवल प्रतिनियुक्त किया था। इसी बीच चूंकि स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 47(1) के

अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की उक्त शाखाओं का निरीक्षण किया था इस लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया के साथ यह मामला उठाया हुआ है ताकि उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित हो जाए। स्टेट बैंक आफ इण्डिया की निरीक्षण रिपोर्ट से पता चलने वाली जालसाजियों और अनियमितताओं का स्वरूप अतारांकित प्रश्न संख्या 3688 के उत्तर में पहले ही सदन में बता दिया गया है जिसका उत्तर सदन में 16 मार्च, 1973 को दिया गया था। चूंकि अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ फौजदारी मामले अदालत में विचाराधीन हैं इसलिए जांच-पड़ताल के निष्कर्ष का ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में कर्मचारियों की शिकायतों के निराकरण सम्बन्धी नियम

4451. **श्री झारखंडे राय** : क्या **वित्त** मंत्री 23 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 687 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के कर्मचारियों की शिकायतों के निराकरण सम्बन्धी सामान्य नियम क्या हैं; और

(ख) क्या स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तों सम्बन्धी नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जहां तक मजदूर कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनकी शिकायतें दूर करने की प्रक्रिया सास्त्री निर्णय के नाम से सर्व विदित अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) निर्णय के पैराग्राफ 517 में दी गई है। पूर्वोक्त सास्त्री निर्णय के पैराग्राफ 517 की एक प्रतिलिपि संलग्न है (अनुबन्ध I)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4577/73] मजदूर कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बैंक द्वारा जून 1968 में जारी किये गये परिपत्र में दी गई है। परिपत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न है (अनुबन्ध II)। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4577/73]

इण्डियन एयरलाईन्स द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे एवरो वायुयान

4452. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन एयरलाइंस द्वारा कितने एवरो वायुयान उपयोग में लाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : पन्द्रह।

अन्य देशों के साथ व्यापार करार

4453. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का किन देशों के साथ व्यापार करार है तथा उनके साथ किन वस्तुओं का व्यापार होता है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक देश के साथ कितना व्यापार होता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4576/73]

Non-Utilisation of Funds Allocated to Bihar

4454. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of funds which were allocated by the Central Government and could not be utilised by the Government of Bihar during 1971.72 and which had to be surrendered to the Central Government at the end of the financial year ;

(b) the break-up of the amount surrendered, head-wise ; and

(c) whether such fiunds are realloated against the same heads next year to the States which do not utilise the amonut and surrender it in a particular year?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) The reference is perhaps to the Central assistance allocated for the state Annual Plan of 1971-72. Central assistance for State Annual Plan is allocated in the form of block loan and grant with the proviso that any shortfall in expenditure either for the Plan as a whole result in a proportionate reduction of the Central assistance. As against allocation of Rs. 67.69 crores to the Government of Bihar for the Annual Plan of 1971-72, a sum of Rs. 67.28 crores has been provisionally relesased on the basis of anticipated expenditure reported by the State Government Assistance for the year is yet to be finalised and will be done on the basis of actual figures of expenditure as certified by the Accountant General.

Orders plased by various Countries with MMTC for Export of Mica during the last one year.

4455. Shri Sankar Dayal Singh : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the value of orders placed by various conutries with MMTC for export of mica during the last one year indicating the names of such countries ; and

(b) the numbers of those orders in respect of which supply has been made and the value of profit earned by MMTC therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) The value of orders placed by various countres wite M. M. T. C. for export of mica during the last one year was Rs. 18 crores. A list of these countries is attached.

(a) 1547. The profit and loss on these exports has not been worked out by he M. M. T. C. far but it is expected that on these exports, they will break even.

Statement

Name of the Countries :

1. Austria
2. Australia
3. Belgium
4. Bulgaria
5. Canada
6. Czechoslovakia
7. France
8. Greece
9. Germany (East)

10. Germany (West)
11. Hong Kong
12. Hungary
13. Italy
14. Japan
15. Korea (North & South)
16, Netherland
17. New Zealand
18. Norway
19. Poland
20. Rumania
21. Singapore
22. Spain
23. Sweden
24. Switzerland
25. Taiwan
26. U. K.
27. U. S. A.
28. U. S. S. R.
29. Yugoslavia
30. China
31. Morocco
32. Malaysia
33. Chile

Sta'e-wise Branches of Nationalised Banks

4456. **Shri Shankar Dayal Singh :**
Dr. Govind Das Richariya :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of branches of each nationalised Bank, State-wise ;

(b) the extent to which this number has incraesed after nationalisation of Banks ; and

(c) the number of Branches of the nationalised Banks opened in rural and urban aras· after nationalisation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) Ths number of branches of each nationalised Bank, State-wise as on 31st December, 1972 is set out in the enclosed statement, [Placed in Library See No. L.T. 4578/73]

(b) The total number of branches of Nationalised Banks, increased from 4168 as on July, 1969 to 7802 at the end of December, 1972.

(c) The rural/urban classification of the branches of Nationalised Banks is as follows:—

	As on	
	19.7.1969*	31.12.1972**
Rural	703	2739
Semi-urban	1465	2089
Urban	928	1480
Metropolitan	1072	1494

*On the basis of 1961 Census
**On the basis of 1971 Census

पुस्तकों के आयात को नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव

4457. श्री समर गुह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या पुस्तकों के आयातकर्ताओं को विज्ञान, तकनीकी तथा अन्य पुस्तकों के आयात के बजाय गैर-आवश्यक पुस्तकों के आयात पर विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग करते पाया है;

(ख) यदि हाँ, तो पुस्तकों के आयातकर्ताओं द्वारा विदेशी मुद्रा का किस हद तक दुरुपयोग किया गया; और

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी पुस्तकों के आयात को अपने नियंत्रण में लेने का है, और यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) आयात नीति के अनुसार एक सुस्थापित आयातक को अपने मूल कोटा लाइसेंस के 10 प्रतिशत तक मूल्य कथाएं तथा 40 प्रतिशत तक गैर तकनीकी मैगजीन आयात करने की अनुमति प्राप्त है । सरकार के ध्यान में कुछ मामले आये है जहाँ कि कुछ सुस्थापित आयातकों ने ऐसे मैगजीनों का आयात किया है जिन पर रोक है ।

(ख) चूंकि कुछ ही मामले ध्यान में आए है अतः इसका ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है कि विदेशी किताबों पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा का किस हद तक दुरुपयोग किया गया है;

(ग) जी नहीं ।

राजनैतिक साहित्य के आयात को राज्य व्यापार निगम के नियंत्रण में लाने का प्रस्ताव

4458. श्री समर गुह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक आयातकर्ताओं द्वारा राजनैतिक पुस्तकों तथा ऐसे ही प्रचार साहित्य को विदेशों से खरीदा जा रहा है अथवा निःशुल्क प्राप्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या है और खरीदे जा रहे अथवा निःशुल्क प्राप्त किये जा रहे मकानों का स्वरूप क्या है; और

(ग) क्या राजनैतिक साहित्य के आयात को राज्य व्यापार निगम के नियंत्रण में लाने का प्रस्ताव है और यदि हां तो कब ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राजनैतिक पुस्तकों तथा ऐसे ही प्रचार साहित्य के आयात के लिए कोई भी आयात लाइसेंस या सीमा शुल्क निकासी परमिट जारी नहीं किए जाते हैं । आयात नीति के वर्तमान उपबंध का वर्णन जिनके अन्तर्गत बिना आयात लाइसेंस के किताबें आयात की जा सकती है, नीचे किया गया है:—

(क) घरेलू सामान्य लाइसेंस 4 के अंतर्गत 400 रुपये मूल्यों तक की डाक द्वारा मुफ्त उपहार के रूप में किताबें भेजने की अनुमति दी जाती है ।

(2) डाक पार्सलों द्वारा एशियाई देशों से 80 रुपये मूल्य तक की और किताबों का आयात

किया जा सकता है।

(3) पृथक-पृथक व्यक्तियों द्वारा स्वयं के प्रयोग हेतु एक समय में 500 रुपये मूल्य तक की तकनीकी तथा शैक्षिक पुस्तकों का आयात किया जा सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

सोने के मूल्य में वृद्धि

4460. श्री समर गुह :
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी 1973 के अन्तिम सप्ताह में सोने के मूल्य में इतनी असाधारण वृद्धि हुई जितनी पिछले 50 वर्षों में कभी नहीं हुई थी;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न बाजारों में सोने का मूल्य क्या है; और

(ग) सोने के मूल्य में वृद्धि का रुपयों के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है और अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में इसका क्या मूल्य रहा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) : यह सच है कि फरवरी के अन्तिम सप्ताह में भारत में सोने का मूल्य इतना ऊंचा पहुंच गया जितना पिछले 50 वर्षों में कभी नहीं पहुंचा था।

(ख) एक विवरण संग्लन है जिसमें फरवरी 1973 के दौरान भारत के मुख्य बाजारों में सोने के दैनिक मूल्य दिये गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4579/73]

(ग) : चूंकि सोना एक आवश्यक औद्योगिक उत्पाद या अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तु नहीं है और न ही इसे थोक मूल्यों के सूचकाँक में एक मद के रुप में शामिल किया जाता है, इस लिए सोने के मूल्य में होने वाली वृद्धि का मुद्रा के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुक्त बाजार में सोने के मूल्य में वृद्धि होने का अन्य विदेशी मुद्राओं के साथ रुपये के सम्बन्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

पर्यटन के विस्तार के लिये पूर्वी क्षेत्र के प्रतिनिधियों की बैठक

4461. श्री समर गुह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन के नये क्षेत्रों का पता लगाने तथा उसका विस्तार करने के लिये देश के पूर्वी क्षेत्र के प्रतिनिधियों की विचार गोष्ठी जैसी बैठक बुलायी थी;

(ख) इस विषय में हुए विचार-विमर्श की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) देश के पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन के नए क्षेत्रों का पता लगाने तथा उनका विस्तार करने और वर्तमान पर्यटक स्थलों का विकास करने की ठोस परियोजनाओं के बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : पश्चिम बंगाल सरकार और भारतीय वाणिज्य चैम्बर ने केन्द्रीय सरकार की सहायता से कलकत्ता में 10 और 11 मार्च, 1973 को पूर्वी भारत पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों, एवं अन्य पूर्वी और उत्तरी-पूर्वी भारत के राज्यों के मंत्रियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। हमारे विदेश स्थित कुछ पर्यटन अधिकारियों और पर्यटन प्रोत्साहन विषय के विदेशी विशेषज्ञों ने भी सम्मेलन में भाग लिया।

(ख) : सम्मेलन ने कारणों पर विचार-विमर्श किया जिनके परिणाम-स्वरूप कलकत्ता क्षेत्र में, तथा आमतौर पर पूर्वी अंचल में, पर्यटन में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी कि भारत के अन्य भागों में, एवं उन उपायों पर विचार किया गया जिनको अपना कर सभी संबधियों की सहायता से इस अंचल के लिये पर्यटन यातायात की वृद्धि को प्रेरणा प्रदान की जा सके।

(ग) : सम्मेलन के विचार-विमर्शों और निर्णयों की पूरी रिपोर्ट की आयोजकों से प्रतीक्षा की जा रही है। सम्मेलन में आम राय थी कि प्रत्येक सम्बन्ध राज्य की पर्यटन सभावनाओं का पुर्नमूल्यांकन किया जाना चाहिए और एक ऐसी क्षेत्रीय पर्यटन योजना का विकास किया जाना चाहिए जिसमें पूंजी-निवेश की कतिपय आवश्यक प्राथमिकताओं का निर्धारण हो। सम्मेलन ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति के गठन का भी प्रस्ताव रखा।

इंजीनियरी समान के निर्यात में कमी

4462. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोत्साहन दिए जाने के बावजूद देश में इंजीनियरी उद्योग के सामान के निर्यात में कमी हुई और निर्यात के लिए दिये गये प्रोत्साहनों का लाभ उ ाने में ढील आ गई है; और

(ख) यदि हां तो इस उद्योग ने किस सीमा तक प्रोत्साहनों का उपयोग नहीं किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) गत कुछ वर्षों के दौरान इंजीनियरी माल के निर्यात बढ़ते रहे हैं जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट होगा:—

1968-69	84.57	करोड़ रुपये
1969-70	106.36	,, ,,
1970-71	116.59	,, ,,
1971-72	126.04	,, ,,

ऐसे कोई महत्वपूर्ण उदाहरण सामने नहीं आये हैं जिनमें निर्यातकों ने निर्यात प्रोत्साहनों का उपयोग न किया हो।

चांदी के मूल्यों में वृद्धि

4463. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1973 में डालर के अवमूल्यन के बाद चाँदी के मूल्यों में इतनी वृद्धि हो गई थी, जितनी पहले कभी नहीं हुई;

(ख) यदि हां, तो चांदी का अधिकतम मूल्य क्या था; और

(ग) मूल्य को स्थिर रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी, हां। 2 मार्च 1973 को बम्बई के बाजार में चांदी का मूल्य 656.50 रुपये प्रति किलो ग्राम के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गया था।

(ग) : चूंकि, चांदी कोई अत्यावश्यक पदार्थ नहीं है, इसलिए सरकार का, खुले बाजार में उसके मूल्य को बढ़ाने से रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

4464. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कपड़ा मिलों के लिए अपेक्षित आधुनिकीकरण की सीमा के बारे में सरकार द्वारा कोई नवीनतम अनुपात लगाया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : वस्त्र मशीनरी विनिर्माण उद्योग के पुनः नवीकरण के लिए उपाय निर्धारित करने हेतु स्थापित किये गये कार्यकारी दल ने सात वर्षों की अवधि के दौरान वस्त्र उद्योग के न्यूनतम पुनर्वास तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर 523 करोड़ रुपये की कुल लागत का अनुमान लगाया।

कपड़ा निर्यात विभाग की स्थापना को स्थगित करने का अनुरोध

4495. डा० हरि प्रसाद शर्मा :
श्री एम० एस० पुरती :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ ने सरकार से हाल ही में यह अनुरोध किया है कि कपड़ा उद्योग के अच्छे निर्यात को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित राष्ट्रीय कपड़ा निर्यात निगम की स्थापना को स्थगित कर दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ ने क्या अनुरोध किया है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चुने हुए इंजीनियरी सामान के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए बोनस योजना

4466. श्री राम सहाय पांडे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुने हुए इंजीनियरी सामान के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का विचार बोनस योजना लागू करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) किस-किस सामान के लिए यह योजना लागू किये जाने की संभावना है तथा इसे लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों द्वारा समयोपरि भत्ता लेना

4467. श्री रामसहाय पांडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी बड़ी मात्रा में समयोपरि भत्ता कमा रहे हैं;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों के सामान बैंकों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देने के सम्बन्ध में कोई रोक नहीं है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं जबकि बैंक कर्मचारियों को निम्न स्तर के सरकारी कर्मचारियों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाता है; और

(ग) सरकार का विचार बैंक कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष लाने के लिए कुछ प्रतिबन्ध लगाने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया और राष्ट्रीय-कृत बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को तब, काम की अधिकता के कारण समयोपरि भत्ता दिया जाता है जब वे निर्दिष्ट कार्यालय के घंटों के पश्चात कार्य करते है। एक कैलेन्डर वर्ष में अधिकतम कार्य घन्टे, जहां तक बैंक अपने कर्मचारियों को समयोपरि कार्य करने के लिए कह सकता है समय-समय पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरणों अथवा बैंकों में प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच द्विपक्षी करारों में किये गये निर्णयों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

सरकारी कर्मचारियों के मामले में समयोपरि-भत्ते की अदायगी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये कार्य सम्बन्धी निर्देशों द्वारा शासित होती है जबकि बैंक कर्मचारियों के मामले में समयोपरि भत्ता औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरणों या द्विपक्षी करारों के निर्णयों में दिए गये सामूहिक सौदेबाजी के परिणामस्वरूप निर्धारित किया जाता है। इस स्थिति में, समयोपरि भत्ते के मामले में बैंक कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलाने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

शुष्क पत्तनों की स्थापना

4468. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने शुष्क पत्तन कार्य कर रहे हैं और वे कहां-कहां पर हैं;

(ख) क्या पांचवीं योजना में कुछ और शुष्क हत्तन स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या देश में शुष्क पत्तनों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार कोई कार्य-वाही कर रही है जिससे कि उन्हें देश में वाणिज्य तथा उद्योग के क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) इस समय देश में कोई भी शुष्क पत्तन कार्य नहीं कर रहा है। तथापि, यह बताया जाता है कि दिल्ली में एक शुष्क पत्तन स्थापित करने की प्रस्थापना अब विचाराधीन है।

चाय बागानों को अपने नियंत्रण में लेना

4469. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री बीरेन दत्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चाय बागानों को अपने नियंत्रण में लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो इनको नियंत्रण में लेने का कार्य कब शुरू किया जायेगा और कब तक पूरा हो जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

भागलपुर (बिहार) के लिए इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव

4470. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के डिविजनल टाउन भागलपुर के लिए इण्डियन एयरलाइन्स की विमान सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए अत्यावश्यक सुविधाएं पहले ही से वहां मौजूद हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) निकट भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है यद्यपि भागलपुर के लिए विमान सेवायें प्रारम्भ करने की मांग है। भागलपुर में साफ मौसम का एक धावनपथ है जो कि वर्तमान स्थिति में इण्डियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े के किसी भी टरबो-प्राप विमान के परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। भागलपुर के बारे में एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

मुक्त विदेशी मुद्रा वाले क्षेत्रों के बुने हुए ऊनी स्वेटरों आदि के निर्यात में कमी

4471. श्री सतपाल कपूर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपरिष्कृत ऊन/वूलटाप मुक्त विदेशी मुद्रा में आयात की जा रही है जबकि मुक्त विदेशी मुद्रा वाले क्षेत्र को किए जाने वाले बने हुए ऊनी स्वेटरों आदि का निर्यात वर्ष प्रति वर्ष कम होता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों को किये जाने वाले निर्यात में कमी को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और इन क्षेत्रों को किये जाने वाले निर्यात को बढ़ाने के लिए आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि उद्योग मुक्त विदेशी मुद्रा वाले क्षेत्रों से आयात की जाने वाली ऊन/वूलटाप की आवश्यकताओं को पूरा करने के मामले में आत्म-निर्भर हो सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) । (क) जी हां।

(ख) सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों में भारतीय ऊनी हौजरी के लिये बाजार बनाने की सम्भावना का पता लगाने के लिये शीघ्र ही नौ पश्चिमी यूरोपीय देशों में एक अध्ययन-सह-विक्रय दल के जाने की आशा है। अध्ययन दल के प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने के पश्चात, सरकार उसमें दी गई सिफारिशों पर उचित ध्यान देगी।

अपरिष्कृत ऊन के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि

4472. श्री सतपाल कपूर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपरिष्कृत ऊन/वूलटाप के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में से 300 से 400 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यातकों को उचित दर पर अपरिष्कृत ऊन/वूलटाप उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि वे निर्यात के अपने काम को जारी रख सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। अपरिष्कृत ऊन की कीमत 28-2-1973 को 305 नये पैसे प्रतिकिग्रा० थी जबकि 6 महीने पहले 100 नये पैसे से कम थी

(ख) उद्योग को अपनी हकदारी का 40 प्रतिशत तक एक्रीलिक फाइबर आयात करने का विकल्प दिया गया है।

Scheme to set up new Airport in Bihar

4473. **Shri Ishwar chaudhry** : Will the Minister of **Tourism and civil aviation** be pleased to state :

(a) Whether the central Government have formulated a scheme to set up a new airport in Bihar; and

(b) if so, the place where this airport will be set up and the time by which it will

be opened for service ?

The Minister of Tourism and civii aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय व्यावहारिक अनुसन्धान परिषद द्वारा किया गया अध्ययन

4474. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक अनुसन्धान परिषद द्वारा किए गये अनुसन्धान के अनुसार मध्य दर्जे के लोग, जिनकी वार्षिक आय 5,000 रुपये से 15,000 रुपये तक है, अपनी आय का काफी भाग अर्थात् लगभग 20 प्रतिशत बचा लेते हैं;

(ख) क्या सब मिला कर यह बचत घरेलू क्षेत्र की औसतन प्रवृत्ति से दुगनी से भी अधिक है;

(ग) क्या मध्य दर्जे के लोग जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूरा कर लेने के बाद अधिक से अधिक धनराशि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च करते हैं जो पहले साइकिल और रेडियो होते हैं और कुछ वर्षों के बाद फर्नीचर, रसोई के समान, स्कूटर टेलिविजन सैट और कारें होगी; और

(घ) यदि हाँ, तो निम्न मध्य वर्ग के सम्बन्ध में उपरोक्त अध्ययन के निष्कर्ष क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हाँ। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद-द्वारा 1967-68 के वर्ष के सम्बन्ध में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, जिसके परिणाम अखिल भारतीय घरेलू आय, बचत और उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण नामक पुस्तिका में प्रकाशित किए गये थे देश में मध्यम दर्जे के लोग, जिनकी आय 5,000 रुपये से 14, 999 रुपये तक है, अपनी आय की लगभग 20 प्रतिशत की बचत करते हैं।

(ख) जी, हां। सर्वेक्षण के निष्कर्णों के अनुसार समूचे घरेलू क्षेत्र की औसत बचत की प्रवृत्ति 7:9 प्रतिशत है और उपर्युक्त अनुपात इसके दुगने से भी अधिक है।

(ग) सर्वेक्षण के अनुसार, मध्यम दर्जे के परिवारों द्वारा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय उनकी कुल प्रयोज्य आय का 2·7 प्रतिशत है। सभी श्रेणियों के परिवारों को यदि समग्ररूप से लिया जाय, तो यह अनुपात 1.53 प्रतिशत बैठता है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर मध्यमवर्ग के परिवारों के कुल खर्च में से, ये परिवार रेडियो और इसी प्रकार की वस्तुओं पर 38 प्रतिशत, परिवहन सुविधाओं पर 33 प्रतिशत, फर्नीचर पर 15 प्रतिशत, घरेलू उपकरणों पर 9 प्रतिशत तथा रसोई के साजसामान पर लगभग 5 प्रतिशत खर्च करते हैं। सर्वेक्षण में, मध्यम दर्जे के परिवारों द्वारा टिकाऊ उपभोक्ता सामान पर किये जाने वाले व्यय के भावी ढांचे के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं दिया गया है।

(घ) सर्वेक्षण में मध्यमवर्ग के परिवारों का उच्च मध्यमवर्ग और निम्न-मध्मवर्ग के रूप में वर्गीकरण नहीं किया गया है। 5,000 रुपये से 9,999 रुपये तक के आय वर्ग के परिवारों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह पता चलेगा कि ये परिवार अपनी प्रयोज्य आय का लगभग 18 प्रतिशत बचा लेते है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर उनके द्वारा किये जाने वाले कुल व्यय

में से, जो उनकी प्रयोज्य आय का 2.5 प्रतिशत होता है, रेडियो और इसी प्रकार की वस्तुओं पर लगभग 44 प्रतिशत, परिवहन सुविधाओं पर 29 प्रतिशत, फर्नीचर पर 15 प्रतिशत अन्य घरेलू साधनों पर 10 प्रतिशत और रसोई के साज-समान पर केवल 3 प्रतिशत खर्च किया जाता है।

नारियल जटा उत्पादों का निर्यात

4475. श्री राजदेव सिंह : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उत्पादों का निर्यात रुपयों में वर्ष 1970-71 के बाद से प्रति वर्ष बढ़ रहा है;

(ख) क्या नारियल जटा के कुछ उत्पाद जैसे कि रग, कार्पेट, चटाइयां और रस्से निर्यात किये जाते हैं अर्थात अन्य वस्तुओं जैसे कि नारियल जटा धागा निर्यात किये जाते हैं;

(ग) क्या सरकार आगामी वर्षों में निर्यात की वर्तमान गति को बनाये रखने की आशा रखती है; और

(घ) इन वस्तुओं का आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। कयर उत्पादों के निर्यात निम्न प्रकार से रहे हैं:—

(**मूल्य लाख रुपये में**)

	1970-71	1971-72	1972-73 (फरवरी, 1973 तक)
कयर धागा	766.36	722.42	735.15
अन्य उत्पाद अर्थात् गलीचे, कालीन, पेंटिंग्स तथा रस्से आदि।	6.0.98	763.52	611.43
योग :	1387.34	1485.94	1436.58

(ग) जी हाँ।

(घ) मुख्य आयातकर्ता देश हैं ब्रिटेन, सोवियत संघ, सं० रा० अमरीका, फ्रांस, बल्गेरिया, चैकोस्लोवाकिया, हंगरी, इटली तथा नीदरलैंड।

लेबनान में भारतीय चाय का बेचा जाना

4476. श्री ए० जनार्दनन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेबनान, भारतीय चाय के लिये अच्छी मंडी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मंडी को अपने हाथ में लेने के लिए पर्याप्त कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस बारे में कितनी सफलता मिली है और वर्ष 1970-71 और 1971-72 में वहां से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) लेबनान चाय के लिए बड़ा बाजार नहीं है ।

(ख) बाजार के महत्व के अनुसार कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ग) 1970-71 के दौरान लेबनान की चाय के कोई निर्यात नहीं हुए थे । तथापि, 1971-72 के दौरान 2,40,000 रुपये मूल्य की 27,000 किग्रा० चाय की मात्रा का निर्यात किया गया था ।

स्विट्जरलैंड के साथ विमान सेवा सम्बन्धी करार

4477. श्री आनादिचरन दास :

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्विट्जरलैंड ने इस वर्ष फरवरी में विमान सेवा सम्बन्धी कोई नया करार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । भारत तथा स्विट्जरलैंड के शिष्ट मंडलों के बीच फरवरी, 1973 में नई दिल्ली में विचार-विमर्श हुआ था । सहमत व्यवस्था में स्विसेयर द्वारा अप्रैल, 1974 से भारत होते हुए चीन के स्थानों तक हवाई सेवाओं के परिचालन की व्यवस्था है । पारस्परिक आधार पर इसमें एयर इंडिया द्वारा स्विट्जरलैंड से होते हुए मैड्रिड के लिए/से होते हुए और यदि अभीष्ट हो तो उससे परे दक्षिणी अमरीका के स्थानों तक विमान सेवाओं के परिचालन की व्यवस्था है । अप्रैल, 1974 से स्विसेयर भी बोइंग-747 विमानों से अथवा किसी इसी प्रकार के तथा उतनी ही अथवा कम धारिता वाले विमानों से अपनी कुछ सेवाएं परिचालित कर सकेंगे । इन अधिकारों पर इस धारणा से सहमति हुई है कि दोनों एयरलाइनों के बीच अप्रैल, 1973 से लागू होने वाली वाणिज्यक व्यवस्थाएं चालू रहेंगी ।

भारत में निर्यात बैंक की स्थापना

4478. श्री एम० ए० मुरुगनन्तम : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संगठन ने निर्यात के लिये वित्तीय सहायता देने के वर्तमान प्रबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने नाले प्रतिवेदन में भारत में निर्यात बैंक की स्थापना करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

सविधिक दुर्घटना जांच ब्यूरो स्थापित करने का निर्णय

4479. श्री एस० राम गोपाल रेड्डी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक साँविधिक दुर्घटना जाँच ब्यूरो स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की संख्या स्थापित न करने के पहले के निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं ; और

(ग) ब्यूरो के गठन और कृत्यों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) मामले की ध्यानपूर्वक जाँच की जा रही है।

बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के लिए प्रतिभूति के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ का सुझाव

4480. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ ने सुझाव दिया है कि बैंक ऋण के लिए औद्योगिक शेयर को पर्याप्त प्रतिभूति समझा जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जुलाई 1972 में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ ने रिजर्व बैंक को लिखा कि बैंक शेयरों पर अग्रिम देने में हिचकिचाते हैं और मान्यता प्राप्त शेयरों पर बैंक से राशि मिलने के लिए कुछ सुझाव दिये हैं। संघ को यह बताया गया है कि मान्यता प्राप्त शेयरों पर अग्रिम देने से सम्बन्धित वर्तमान मार्ग निर्देशनों में पर्याप्त लचीलापन है और वास्तविक निवेश तथा उत्पादक प्रयोजनों के लिये शेयरों पर अग्रिम देने की पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की है। बैंकों को और अधिक स्थिति स्पष्ट करने के लिये रिजर्व बैंक ने 17 जनवरी 1973 को उन्हें बताया है कि उन्हें मान्यता प्राप्त शेयरों के प्रति गुणावगुणों के आधार पर और इस विषय पर पहले जारी किये गये मार्ग निर्देशनों के अन्तर्गत ऋण देना जारी रखना चाहिए। लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि बैंक वित्त का सट्टेबाजी अथवा अन्य असामाजिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं हो रहा है।

इण्डियन एयरलाइन्स की विलम्बित उड़ानें

4481. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें दिन प्रतिदिन अनियमित होती जा रही हैं और निर्धारित समय पर नहीं भरी जा रहीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन महीनों के दौरान समस्त भारत में इंडियन एयरलाइंस की कितनी उड़ान समय पर नहीं भरी गयीं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) गत तीन महीनों के दौरान (दिसम्बर 1972 से फरवरी 1973) नीचे दिये गये विभिन्न कारणों से 25,179 आयोजित उड़ानों में से 5 092 देरी से हुईं तथा 739 रद्द की गयी:—

क्रमांक	**कारण**	**विलम्बित उड़ानें**	**रद्द की गयी उड़ानें**
1.	इंजीनियरी	346	25
2.	वाणिज्यिक (यातायात, खानपान तथा सुरक्षा जाँच)	177	7
3.	परिचालन	76	—
4.	परिवहन	15	—
5.	मौसम	432	99
6:	परिणामी	3665	294
7.	विविध	363	294
8.	विमान यातायात नियंत्रण	18	20
	कुल :	5092	739

देरी से हुई 5092 उड़ानों में से कुल मिलाकर 3665 "परिणामी" थीं। यह इस कारण है कि विमान-बेड़े के अधिकतम उपयोग की दृष्टि से विमानों को प्रतिदिन कई उड़ानों का परिचालन करना पड़ता है। अत:, यदि किसी विमान को उसके मूल प्रस्थान स्टेशन पर अथवा किसी मध्यवर्ती स्थान पर किसी कारण वश देरी हो जाती है तो अन्य उड़ानें और/अथवा उस विमान द्वारा परिचालित सेक्टर इसके परिणामस्वरूप विलम्बित हो जाते हैं अथवा रद्द भी कर दिये जाते हैं।

मलयेशिया को भारत द्वारा निर्यात

4482. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया को भारत द्वारा किये जा रहे निर्यात में वृद्धि की काफी गुन्जाइश है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) मलयेशिया एक मुक्त बाजार है और उसके नागरिकों का सापेक्षतया ऊंचा जीवन स्तर है, और इस प्रकार वह भारत सहित प्रतियोगी स्रोतों से आयातों के अवसर प्रदान करता है। तथापि, देश की कम आबादी होने और मलयेशिया के अपने ही देश में उत्पादन बढाने के प्रयासों के कारण वहां आयात के विस्तार की गुंजाइश सीमित है। अनेकों संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहन दिया गया है जिनके लिए भारत का पूंजीगत माल तथा कच्चा माल प्रतियोगी होगा।

मलयेशिया को निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं और किये जा रहे हैं। इनमें ये शामिल हैं : मलयेशियाई विकास योजनाओं का अध्ययन करना, निर्यात संभाव्यता वाली मदों को अभिज्ञात करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा किये गये सर्वेक्षण, प्रतिनिधि मंडलों तथा गैरसरकारी व्यवसायियों के दौरों को प्रोत्साहन देना तथा उनका समर्थन करना, प्रदर्शनियां

आयोजित करना, इच्छुक निर्यातकों के लिए वाणिज्यक जानकारी एकत्र करना तथा उससे उनको अवगत कराना, भारत-मलयेशियाई संयुक्त उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें सुकर बनाना आदि।

मलयेशिया को 1967-68 में 6.90 करोड़ रुपये के निर्यात हुए थे, जो बढ़कर 1971-72 में 11.73 करोड़ रुपये के हो गये, मलयेशिया में आयात की संभाव्यता वाली मदें ये हैं: लोहे तथा इस्पात की वस्तुएं, इंजीनियरी वस्तुएं, रासायनिक तथा संबद्ध उत्पाद, वस्त्र अनिर्मित तथा निर्मित तम्बाकू, मछली तथा मत्स्य उत्पाद और प्याज। तथापि चूंकि यह एक मुक्त बाजार है अतः हमारा वास्तविक निर्यात निष्पादन काफी हद तक प्रतियोगी कीमतें रखने, स्वीकार्य क्वालिटी और सुपुर्दगी कार्यक्रमों का अनुपालन करने पर निर्भर करेगा।

भारत सरकार ने 28 भारत-मलयेशियाई संयुक्त उद्यमों की मंजूरी दी है जिनमें से आठ ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है।

भारतीय फिल्मों का निर्यात और विदेशी फिल्मों का आयात करने के लिए सरकारी निगम की स्थापना करने के बारे में निर्णय

4483. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्मों का निर्यात और विदेशी फिल्मों तथा चलचित्र बनाने वाली कोरी फिल्मों का आयात करने के लिए सरकारी निगम की स्थापना करने के बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) फिल्मों के आयात निर्यात तथा कच्ची फिल्म के स्टाक के आयात तथा वितरण का कार्य सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, जो इन उद्देश्यों के लिए स्थापित किये जाने वाले बहुकार्य राष्ट्रीय निगम के ब्यौरे तैयार कर रहा है।

ब्याज की रियायती दर पर ऋण देने की योजना को ऋणदाताओं पर लागू करना

4484. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्याज की रियायती दर पर ऋण देने की योजना के अंतर्गत अब तक लाये गये ऋणदाताओं के वर्ग, उनकी संख्या और उनके द्वारा दी गई कुल धनराशि और वे जिन जिलों में हैं उनका राज्य-वार नाम क्या है तथा इस सम्बन्ध में भावी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (1) 31 दिसम्बर 1972 को कुल बकाया राशि 87.06 लाख रुपये

(2) खातों की कुल संख्या 26142

(3) ऋणकर्ताओं की श्रेणी।

समाज का कमजोर वर्ग जो उस योग्यता मापदण्ड पर पूरा उतरता है जिसका उल्लेख 25 मार्च 1972 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा दिये गये नीति विवरण में है। इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशकों की प्रतिलिपि 23 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 690 के उत्तर के साथ संलग्न की गई थी।

(4) इस योजना के अन्तर्गत आने वाले जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4580/73]

(5) भविष्य के लिए वित्त मंत्री के बजट भाषण के पैरा 28 और 29 के अनुसार योजना में संशोधन किया गया है।

करेंसी का विमुद्रीकरण

4485. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रास्फीति को रोकने तथा बड़ी मात्रा में लेखाबाह्य धन निकालने के लिए 100 रुपये तथा इसके अधिक मूल्य की करेन्सी का विमुद्रीकरण करने का बिचार है;

(ख) यदि हाँ तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) सरकार का मत हैं कि करेन्सी नोटों का विमुद्रीकरण महगांई और लेखाबाह्य धन की समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन सरकार ने काले धन की उत्पत्ति और इसके चलन को रोकने के लिये पिछले कुछ वर्षों में प्रशासनिक और वैधानिक दोनों प्रकार के कई कदम उठाये हैं। वैधानिक उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:—

(1) पूर्त और धार्मिक न्यासों की आमदनी और सम्पत्ति को छूट देने से सम्बन्धित उपबन्धों को कड़ा बनाना ;

(2) आकस्मिक और अनावर्तक आमदनी पर जिसमें लाटरियों, वर्ग पहेलियों, ताश के खेलों आदि से होने वाली आमदनी शामिल है, कर लगाना ;

(3) सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, सांविधिक निगमों और कम्पनियों द्वारा ठेकेदारों को अदा की जाने वाली रकमों में से कर राशि की, स्रोत पर कटौती ;

(4) कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1970 के जरिये, जो 1 अप्रैल, 1970 से लागू हुआ था, उन मामलों में, जहाँ देय कर की शुद्ध राशि 3,000 रुपये से अधिक हो, विवरणी के प्रस्तुत करने में विलम्ब होने पर, एक वर्ष के कठोर कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है।

(5) जानबूझ कर बहीखातों तथा कागजात को पेश न करने के मामलों को दण्डनीय अपराध बना दिया गया है जिनमें एक साल की बामुशक्कत कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।

प्रशासनिक उपायों में ये शामिल हैं : आयकर विभाग द्वारा अधिक संख्या में तलाशियों का लिया जाना और जब्तियाँ किया जाना ; छिपाने के मामलों में अधिक संख्या में मुकदमें चलाये जाना, गहन सर्वेक्षण करना और देश के बड़े घरानों के कर निर्धारण के मामलों पर नजर रखने के उद्देश्य से निरीक्षण निदेशालय (अन्वेषण) में एक विशेष कक्ष की स्थापना करना ।

प्रत्यक्ष कर जाँच समिति ने कुछ और प्रस्ताव भी किये हैं । जहां तक वित्त मंत्रालय का सम्बन्ध है, संसद के चालू सत्र में एक विधेयक पेश करने का विचार है जिसमें समिति की सरकार को स्वीकार्य सिफारिशें शामिल होंगी । इन उपायों से लेखाबाह्य धन पर रोक लगाने में काफी सहायता मिलेगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रबन्धक सेवा

4486. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये स्थापित सरकारी क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के स्थाई सम्मेलन के कार्यकारी बोर्ड ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह सरकारी क्षेत्र के एककों के लिए एक संयुक्त प्रबन्धक सेवा बनाने के लिए तत्काल कार्यवाही करें ।

(ख) क्या एक मंत्रि मण्डल समिति ने जिसने सरकारी क्षेत्र में प्रबन्धक सेवा के सम्बन्ध में विचार किया था, औद्योगिक प्रबन्ध पूल को समाप्त करने का सुझाव दिया है ;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के संवर्ग पर इन भिन्न भिन्न विचारों पर विचार किया है और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकारी उद्यमों के स्थायी सम्मेलन के कार्यकारी बोर्ड ने सरकार से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है । परन्तु स्थाई सम्मेलन के अध्यक्ष ने सरकारी उद्यमों की कार्यवाही समिति के अध्यक्ष को कुछ सुझाव लिखकर भेजे थे जिनमें आम अखिल भारतीय प्रबन्धकीय संवर्ग का गठन भी शामिल है ।

(ख) सरकारी उद्यमों की कर्मचारी सम्बन्धी नीतियों की लगातार समीक्षा की जाती है, और इस सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं, ये प्रस्ताव उच्चतम और वरिष्ठ प्रबन्धकों की चुनाव प्रक्रिया में सुधार कर्मचारी सम्बन्धी नीतियों के क्षेत्र में सरकारी उद्यमों के प्रबन्ध को और अधिक शक्तियां प्रदत्त करने, वैज्ञानिक प्रबन्धक विकास आयोजनाओं को अपनाने और इस सम्बन्ध में औद्योगिक प्रबन्ध निकाय की समीक्षा से संबंधित है । सरकार द्वारा इन विषयों पर अन्तिम निर्णय अभी लेना है ।

(ग) सरकार के विचाराधीन जो प्रस्ताव है उन पर अन्तिम निर्णय लेते समय सरकार सभी संबंद्ध बातों को ध्यान में रखेगी ।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

Trade Agreement signed in 1972-73 with other Countries

4487. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the names of the countries with which India entered into trade agreements during 1972-73 ; and

(b) the names of the commodities to be imported and exported under these trade agreements ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) Greece. Spain and Peru.

(b) The Commodities o' exports and imports have been indicated in Lists (A) & (B) and Annexures I & II of the Trade agreements with Spain and Greece, which have already been placed in the Parliament Library.

As regards Peru, no specific commodity for export/import has been indicated.

Production and Sale of Headloom Cloth by Handloom Weavers

4488. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) Whether the weavers, who weave cloth with handloom and power loom in the rural areas, have to carry the same on their heads for sale elsewhere; and

(b) if so, the arrangements being made by Government for the marketing of the cloth woven in the rural areas ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) & (b) : Marketing of cloth produced by weavers on powerlooms and handlooms is the concern of the State Governments.

Abolition of Special Rebate given to Textile Mills on the Sale Price of Cotton

4489. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Commerce be pleased to state

(a) whether Government import cotton through Cotton Corporation of India ;

(b) whether Government give special rebate to the textile mills in the sale price of cotten and if so the percentage of special rebate given to the textile mills and the reasons for constant increase in the prices of cloth ; and

(c) whether Goverment propose to abolish special rebate being given to textile mills ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) (a) : Government by themselves do not import cotton.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Allegations against a Certain Controller of Defence Accounts.

4491. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether some Members of Parliament and legislators of Bihar have made allegations against a certain Controller of Defence Accounts ;

(b) whether Government have got these charges investigated ; and

(c) if so, the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) It is presumed that the reference is to the controller of Defence Accounts, Patna. Several letters had been received from Members of Parliament and Members of Bihar Vidhan Sabha. While some of the letters are critical of the administration of the Controller of Defence Accounts, Patna, others are in support of it.

(b) & (c) The Government is seized of the matter.

Alleged Bungling in the Office of Controller of Defence Accounts, Patna.

4492. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether large scale bungling has been going on in the office of the Controller of Defence Accounts, Patna and action has been taken against several employees for raising their voice against it ;

(b) whether complaints have been received in this regard ; and

(c) if so, the action taken by Government there on ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Presumably, the reference is to complaints against the administration of the Controller of Defence Accounts, Patna.

(b) Several letters has been received from Members of Parliament and Members of Bihar Vidhan Sabha. While some of the letters are critical of the administration of the Controller of Defence Accounts, Patna, others are in support of it.

(c) The Government is seized of the matter.

Profit/loss of Indian Airlines since its Establirhement

4493. **Shri M. C. Daga** : Will the Ministry of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the total capital investment in the Indian Airlines at present ; and

(b) the total amount of profit earned or loss suffered by the Corporation since its establishment ?

The Minister of Tourism & Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The present capital of Indian Airlines is Rs. 4928.36 lakhs which is equally divides between Equity and loan capital.

(b) As per the balance sheet of Indian Airlines on the 31st March, 1972, the accumulated net loss sustained by Indian Airlines since its inception in 1953 is Rs. 1456.16 lakhs.

Central Government Loans Outstanding Against Persons Besides State Governments.

4494. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of the persons besides the State Governments against whom Central Government loans were outstanding on 31st March, 1972 indicating the date since when outstanding together with the amount of interest also outstanding against them : and

(b) the particulars of the terms on which loans or advances were given to them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Value or Licences for Importing Raw Material

4495. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of Commerce be pleased state :

(a) the value of licences given to the industrialists for importing raw material from foreign countries in 1972-73 ; and

(b) the value of the raw material imported through State Trading Corporation during 1972-73 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) Information relating to value of licences issued for import of raw materials is not maintained separately as in terms of the provisions of import policy. licences are issued to different categories of importers and certain categories of importers are allowed to put up composit applications for import of raw materials, spares, components etc, However, a statement showing total value of each category of import licences issued during April-72/January-73 (upto 27-1-1973) is laid on the Table of the House.

(b) The value of raw materials imported through State Trading Corporation during April, 72-January. 73 (upto 25-1-1973) is Rs. 112.38 crores.

Total Value of each Category of Import Licences Issued During April, 1972—January. 1973 (upto 27-1-1973)

(Value : Rs. Crores)

CATEGORY	April..72-January, 1973 (Upto 27-1-1973)
1. Established Importers.	47.99
2. Actual Users (Non-DGTD, Non-SSI)	301.61
3. Raw Materials for Scheduled Industries (DGTD Units)	135.07
4. Small Scale Industries.	58.31
5. Registered Exporters.	103-51
6. Export Prommotion Schemes (Erstwhile)	Neg.
7. Capital Goods.	195.13
8. Heavy Electrical Plants.	14.85
9. Ad hoc (All categories)	15.80
10. Customs Clearance Permits.	49.19
11. State Trading Agencies.	455.92
12. Director General, Supply and Disposals.	4.11
13. Raiiway Contractors.	15.16
14. Government or against Government Contractors.	24.27
15. Co-operative Societies.	Neg.
16. Replacement Licences.	1.37
17, Blanket Licences.	3.22
18. New Comers.	3.21
TOTAL:—	1428.72

Constitution of All India Handicrafts Boards

4496. **Shri M. C. Daga :** Will the Ministry of Commerce be pleased to state :

(a) the rules under which the All India Handicrafts Boards has been coustituted;

(b) the names of the members of the Board and the functions of the Board;

(c) whether the decisions of the Board are of advisory nature or mandatory nature for Government ; and

(d) the number of meetings held by the Board during the last year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) The all India Handicrafts Boards constituted under a Government of India Resolution.

(b) A copy of the Government of India Resolution dated 7th January, 1971 containing names of the members of the Board together with its functions is attached, [Placed in Library. See No. L.T. 4581/73]

(c) The Board acts in an advisory capacity and its recommendations and not mandatory.

(d) The Board met thrice in the year 1972.

नागर विमानन विभाग में जमीन पर और विमानों में काम करने वाले बेरोजगार तकनीकी व्यक्तियों को सेवा में रखना

4497. श्री धर्मराव अफजलपुरकर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमानन विभाग में जमीन पर और विमानों में काम करने वाले कितने प्रशिक्षित तकनीकी व्यक्ति अब भी बेरोजगार हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें नागर विमानन विभाग में नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यद्यपि इस संबंध में पूरी-पूरी सही सूचना उपलब्ध नहीं है, तथापि 31 जनवरी 1973 को 1268 विमानचालकों के पास व्यावसायिक वर्ग के विमानचालक लाइसेंस थे, जिनमें से 894 रोजगार पर लगे बताए जाते हैं। अन्य वर्गों में बेरोजगार तकनीकी कार्मिकों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) जहां तक वाणिज्यक विमानचालकों से बेरोजगारी की समस्या का संबंध है, उससे निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं.—

(1) नागर विमानन विभाग में सहायक विमान क्षेत्र अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए नियमों में संशोधन कर के उनमें वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस को एक स्वीकार्य योग्यता के रूप में सम्मिलित किया गया। पिछली भर्ती में, संघ लोक सेवा आयोग ने सहायक विमान क्षेत्र अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए 82 अभ्यर्थियों की सिफारिश की, जिनमें 61 वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंसधारी थे।

(2) इस मंत्रालय के अनुरोध पर, कृषि मंत्रालय बेरोजगार वाणिज्यिक विमानचालकों

को फसल पर छिड़काव करने संबंधी परिचालनों के लिए संपरिवर्तन प्रशिक्षण (कन्वर्शन ट्रेनिंग) प्रदान करने के लिए विचार करने पर सहमत हो गया है ।

(3) इण्डियन एयरलाइंस तथा एयर इण्डिया को परामर्श दिया गया है कि वे जहां संभव हो ग्राउंड ड्यूटी पर बेरोजगार विमानचालकों की सेवाओं का उपयोग करें । इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष एक विज्ञापन के आधार पर इंडियन एयरलाइंस ने कारपोरेशन में नियुक्ति के लिए 55 उम्मीदवारों का चयन किया । उनमें से 28 अप्रेंटिस विमानचालकों के प्रथम बैच की नियुक्ति की जा चुकी है तथा शेष 27 को वर्ष की अवधि के दौरान नियुक्ति के लिये बुला लिया जाएगा ।

दिल्ली से मद्रास को वाया बंगलौर नई उड़ान सेवा शुरु करना

4498. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-मद्रास तथा दिल्ली-बंगलौर हवाई मार्गों पर भारी यातायात होता है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार दिल्ली से मद्रास को वाया बंगलौर उड़ान सेवा शुरु करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) दिसम्बर 1972 से दिल्ली-मद्रास तथा दिल्ली-बंगलौर मार्गों पर अत्याधिक यातायात अधिकांश आन्ध्र प्रदेश में गड़बड़ तथा रेल और सड़क परिवहन में अस्थायी बाधा के कारण था । परिस्थिति अब लगभग सामान्य है । बढ़ी हुई माँग को आवंटन में संशोधन कर के, यात्रियों को अन्य स्थानों के मार्ग से भेजकर तथा कभी कभी अतिरिक्त उड़ानों का परिचालन कर के पर्याप्त रूप से पूरा किया गया था ।

उत्पादन शुल्क विभाग में हिन्दी आफिसरों का चयन

4499. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय के अधीन उत्पादनशुल्क विभाग में हिन्दी आफिसरों के गत चयन के लिए लिखित परीक्षा में और साक्षात्कार के लिए कितने अधिकतम अंक नियत किये गए थे;

(ख) उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार और लिखित परीक्षा के लिये अंक नियत करने के मामले में समान महत्व दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस नीति पर इस प्रकार के पदों के चयन के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के अनुरूप बनाने के लिए पुन: विचार करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों में से प्रत्येक के लिये 100 अंक निर्धारित किये गये थे ।

(ख) लिखित परीक्षा उम्मीदवारों के हिन्दी और अंग्रेजी के ज्ञान और विशेष योग्यता

का पता लगाने के लिये ली गई थीं ताकि इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर (उम्मीदवारों का) प्रारम्भिक चयन किया जा सके। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उनकी बाद में निजी विशेषता एवं पद के दायित्वों को सम्भालने की क्षमता का पता लगाने की दृष्टि से, साक्षात्कार-परीक्षा ली गई। अन्तिम चयन, उम्मीदवारों द्वारा लिखित साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों के योग के आधार पर किया गया।

(ग) वर्तमान नियुक्तियां केवल एतदर्थ आधार पर की गई है। नियमित नियुक्तियाँ भरती संबंधी नियमों के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके की जायेंगी। ये नियम कार्मिक विभाग संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके बनाये जा रहे है।

चाय का आयात करने वाले दक्षिण-अमरीका के देश

4500. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण अमरीका के उन देशों के नाम क्या हैं जो चाय पैदा करते हैं और आयात भी करते है और गत तीन वर्षों में भारत और श्री लंका ने दक्षिण अमरीकी देशों को कितनी चाय का निर्यात किया है।

(ख) अमरीका में चाय संवर्धन सम्बन्धी चाय बोर्ड के निदेशक ने, जिसका मुख्यालय न्यूयार्क में है, गत तीन वर्षों में दक्षिण अमरीका के चाय आयात करने वाले किन्हीं देशों का दौरा किया था; और यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) दक्षिण अमरीकी देशों को भारतीय चाय का निर्यात करने के लिए चाय बोर्ड ने क्या विशेष उपाय किये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) दक्षिण अमरीका में अर्जेन्टीना, ब्राजील तथा पेरु चाय उत्पादक देश है जबकि चिली, उरुग्वे तथा बोलिविया प्रमुख आयातक देश है। दक्षिण अमरीका के इन देशों को भारत तथा श्रीलंका द्वारा चाय के लिए किये गए निर्यात नीचे दिये गए हैं:—

(हजार किग्रा में)

	भारत			श्रीलंका		
	चिली	**ऊरग्वे**	**बोलिविया**	**चिली**	**उरुग्वे**	**बोलिविया**
1969	76	—	—	781	163	147
1970	36	—	—	783	214	161
1971	116	—	—	977	156	87
1972	41	—	—	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य

(ख) जी नहीं।

(ग) दक्षिण अमरीकी देश मुख्य रूप से काफी पीने वाला क्षेत्र है। चाय का आयात कुछ देशों तक ही सीमित है और बाजार का कुल आकार छोटा ही है।

वित्तीय संस्थानों द्वारा मारुति एण्ड कम्पनी, हरियाणा के प्रत्येक निदेशक के अन्त-

गंत कम्पनियों को दिया गया ऋण

4501. **श्री ज्योर्तिमय बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वित्तीय संस्थानों ने मारुति एण्ड कम्पनी के प्रत्येक निदेशक के अन्तर्गत कम्पनियों को कुल कितना-कितना ऋण दिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : अखिल भारतीय दीर्घावधिक वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय उद्योगिक ऋण और निवेश निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम से मांगी गयी सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी। युनिट ट्रस्ट आफ इंडिया कोई ऋण स्वीकार नहीं करता।

Silk Production Capacity of India

4503. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the Silk production capacity in the country during the last two years; and

(b) the action taken by Government to increase the production of silk ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Silk production in 1970-71 and 1971-72 is as below:-

1970-71	29.14 lakh kg.
1973-72	26.00 lakh kg'

(b) The following measures have been taken to increase the production of silk :

(1) Research programme for improving productivity of silk has been given a high priority.

(2) A crash programme for stepping up of production of raw silk in Mysore State at a cost of Rs. 85,5 lakhs has been taken up.

(3) A project for a large scale production of tasar silk from Oak plantation in Manipur has been started.

(4) A scheme for organising production of 800 metric tons of bivoltine silk in Mysore, Jammu & Kashmir and West Bengal is being organised with the assistance of FAO experts.

(5) A scheme for conversion of cottage basins into small viable filatures has been drawn up.

(6) Fulfledged extension wings have been set up at Research Station at Mysore, Berhampore, Ranchi for translating the results of the research to the fields.

Efforts made at International Level to Check Skyjacking of Aeroplanes

4504. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Tourism and civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether India have held discussions with the International Air Companies in regard to problem of skyjacking of the planes belonging to different countries;

(b) if so, the broad outlines of the decisions arrived at; and

(c) the efforts made at international level to meet this increasing menace ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karrn Singh) : (a) Yes, Sir.

Discussions have been held from time to time by the Civil Aviation authorities with representatives of airlines on anti-hijacking measures at our international airports.

(b) Various security measures such as frisking of passangers search of hand baggage, installation of metal detectors, etc. have been implemented.

(c) ICAO and UN have condomned acts of unlawful interference with international civil aviation, including hijacking. The following three conventions have been formulated by ICAO :

(i) The Tokyo Convention, 1963 (Convention on offences and other acts on board aircraft)

(ii) The Hague Convention, 1970 (Convention for Suppression of Unlawful Seizure of aircraft)

(iii) The Montreal Convention, 1971 (Convention for Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation).

India has co-operated with international efforts to fiind a soluation to the problem posed by the growing menace of hijacking and unlawful interference with civil aviation.

युनाइटिड बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता की भरती करने की नीति

4505. श्री अर्जुन सेठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता के मुख्यालय प्रति वर्ष अधीनस्थ ग्रेड के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए बनाया गया पैनल रद्द कर देता है तथा उड़ीसा में स्थानीय उम्मीदवारों को इसमें कोई अवसर नहीं देता है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया ने सूचना दी है कि अधीनस्थ कर्मचारियों के पदों के लिए सभी पात्र उम्मीदवार जो साक्षात्कार के बाद सुयोग्य पाये गये थे, उसके द्वारा 1969, 1970, 1971 और 1972 के वर्षों के दौरान नियुक्त कर लिये गये हैं और चुने हुए उम्मीदवारों की कोई सूची रद्द नहीं की गयी है। बैंक ने यह भी सूचना दी है कि वह स्थानीय उम्मीदवारों को चुनने के सिद्धान्त का पालन कर रहा है और इस सम्बन्ध में बैंक को उड़ीसा ने इस सिद्धान्त का उल्लघन करने की न तो कोई सूचना और न ही कोई शिकायत प्राप्त हुई है।

कनाडा से ऋण लेने सम्बन्धी करार

4506. श्री के० लकप्पा :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 दिसम्बर, 1973 को नई दिल्ली में, विकास सम्बन्धी ऋण और अनुदान के लिए कनाडा के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो ऋण और अनुदान की कुल धनराशि कितनी है ; और

(ग) इस धन राशि का उपयोग किन-किन परियोजनाओं के लिए किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री के० आर गणेश) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस करार के अन्तर्गत 17.42 लाख कनाडी डालर (1.22 करोड़ रुपये) की रकम का ऋण और 250,000 कनाडी डालर (0.17 करोड़ रुपये) की रकम का अनुदान शामिल है ?

(ग) इस रकम का उपयोग, उत्तर प्रदेश में देहरादून नामक स्थान पर दूसरे उपग्रह सन्चार भू-केन्द्र की स्थापना पर विदेशी मुद्रा के रूप में होने वाले खर्च का वित्त पोषण करने के लिए किया जायेगा ।

इंसूलेटिड तार और केबल का निर्यात

4507. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनको इंसूलेटेड तार और केबल का निर्यात किया गया था ; और अब दो वर्षों में इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ;

(ख) भारत में उन स्थानों के नाम क्या है, जहां उक्त तार और केबल बनाने की कम्पनियां हैं ; और

(ग) गत दो वर्षों में उक्त तार और केबलों के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गत दो वर्षों के दौरान इन्सूलेटेड तार तथा केबल के निम्नांकित निर्यात हुए है :

1970-71	2,70,52,739 रु०
1971-72	),07,62,986 रु०

इस मद के प्रमुख आयतक देश ये हैं ; सोवियत्र संघ, सिंगापुर, कुवैत, मलयेशिया, ईरान, सूडान कतार, मिस्र का अरब गणराज्य, इराक, टी० ओमान, जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य, जमन संघीय ग.राज्य, हांगकांग, आबू धाबी श्री लंका अर्जेन्टीना ।

(ख) तार तथा केबल विनिर्माण कम्पनियां सारे देश में फैली हुई हैं, प्रमुख कम्पनियां, कलकत्ता, बम्बई, पूना, कुरुकुट्टी, कोटा, फरीदाबाद आदि स्थानों पर स्थित है ।

(ग) 1971-72 में इन्सूलेटेड तार तथा केबलों के निर्यातों में 1970-71 में हुए निर्यातों की तुलना में 187 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

गैर-राष्ट्रीयकृतों बैंकों द्वारा ऋण सुविधाओं का दिया जाना

4508. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके मंत्रालय ने देश में गैर-सरकारी बैंकों से कहा है कि वे ऋण सुविधायें देने के सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली नीति का अनुसरण करें ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारतीय

रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दी जाने वाली सहायता को और अधिक बढ़ाने पर जोर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष रूप से कृषि और विशेष ऋण योजनाओं पर जो कि नियोजन क्षमताशील भी हों, को वित्तीय सहायता हेतु सभी वाणिज्यिक बैंकों को मार्गदर्शक हिदायतें भेज दी हैं। उसी को आधार मान कर गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भी योजनाएं बनाई हैं तथा कृषि और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

व्यापार परामर्शदात्री परिषद

4509. श्री पी० गंगादेव :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या व्यापार परामर्शदात्री परिषद सरकार द्वारा पुनर्गठित की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठित परिषद के सदस्यों के नाम क्या हैं ; यह परिषद कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी और इसके कृत्य क्या होंगे?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) परिषद के सदस्यों के नाम, इसकी कार्यविधि तथा कार्य भारत सरकार विदेश व्यापार मंत्रालय के संकल्प सं० 1-19-71 एण्ड सी दिनांक 20 जनवरी, 1973 में, जो पहले ही भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, समाविष्ट किये गये हैं।

सरकार द्वारा रुई व्यापार अपने हाथ में लिया जाना

4510. श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के रुई व्यापार को गैर सरकारी संस्थाओं से अपने नियंत्रण में लेने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी मूल्य की रुई आयात की गई ;

(ग) आयातित रुई किन एजेन्सियों द्वारा वास्तविक उपभोक्ताओं को वितरित की गयी ; और

(घ) उन कताई व बनाई मिलों के नाम क्या हैं जिन्हें आयातित रुई सप्लाई की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार द्वारा घरेलू रुई व्यापार को पूरी तरह अपने अधिकार में लेने की कोई प्रस्थापना नहीं है। तथापि भारतीय रुई निगम घरेलू रुई के क्रय/विक्रय का कार्य पहले ही करने लगा है और इस दिशा में उसके कार्यकलाप में उपयुक्त रूप से बढ़ोतरी होने की आशा है।

(ख) रुई वर्ष	परिमाण लाख गाँठों में	कीमत करोड़ रु० में
1969-70	9.1	112.5
1970-71	8.4	99.5
1971-72	6.3	94.0

(ग) विदेशी रुई का आवंटन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वितरण नीति के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा किया जाता है।

(घ) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 45॰2/73]

दिल्ली से बाहर रहने वाले आवेदकों को स्टेट बैंक आफ इंडिया की दिल्ली और नई दिल्ली शाखाओं द्वारा ऋण दिया जाना

4511. श्री सूरज पांडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफइंडिया की दिल्ली और नई दिल्ली की विभिन्न शाखाओं को उन आवेदकों को ऋण देने का अधिकार है जो संघशासित दिल्ली प्रदेश से बाहर रह रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे ऋण को देने के नियम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) दिल्ली और नई दिल्ली स्थित स्टैट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं में दिल्ली संघीय क्षेत्र से बाहर रहने वाले आवेदकों को अग्रिम देने की कोई मना ही नहीं है। बैंकों और ऋणकर्ताओं के कार्य संचालन सम्बन्धी सुविधाओं का ध्यान रखना सर्वोपरि है। व्यावहारिक विचारानुसार ऐसे अग्रिम देने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित मानदण्ड अपनाये जाते हैं।

(1) अनुवर्ती कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए लघु व्यापार वित्त के अन्तर्गत आने वाली पार्टियों को अग्रिम दिये जाते हैं यदि सम्बन्धित शाखाओं से उनके स्थान की दूरी 10 मील से अधिक नहीं हैं।

(2) गांवों में शाखाओं द्वारा कृषि अग्रिम 10 मील के क्षेत्र में रहने वालों को दिये जाते है। महानगर केन्द्रों की शाखाएं सामान्यतः कृषि अग्रिम नहीं देती।

(3) कम्पनियों को अग्रिम देने के सम्बन्ध में सामान्य परिपाटी यह है कि जिस मुख्य कार्यालय के क्षेत्राधिकार में कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित और आंवहित है, वही कार्यालय कम्पनी की आवश्यकताओं के अनुसार एक अथवा अधिक कार्यालयों को अग्रिमों का भुगतान करता है।

1971 में बैंक में धोखा-धड़ी करने के बारे में स्टेट बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप

4512. श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1971 के 60 लाख रुपये की धोखा-घड़ी के मामले में स्टैट बैंक आफ

इंडिया के चार और अधिकारियों को आरोप पत्र दिये गये हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो सम्बद्ध अधिकारियों के नाम तथा पद क्या हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने यह सूचना दी है कि बैंक की पार्लिमेंट स्ट्रीट स्थित शाखा के तत्कालीन मुख्य खजांची श्री वी० वी० मल्होत्रा द्वारा करेंसी चैस्ट से अनधिकृत रूप से 60 लाख रुपया निकाल लिये जाने के सम्बन्ध में बैंक के 5 और पदधिकारियों। कर्मचारियों को अभियोग पत्र दिये गए हैं। विवरण इस प्रकार है:—

क्र० सं०	नाम	पदनाम	अभियोगों की स्थल रूपरेखा
1.	एच० आर० खन्ना	अधिकारी ग्रेड-1 (नकदी का प्रभारी अधिकारी और उस समय करेंसी चैस्ट के संयुक्त अभिरक्षक)	कि 24-5-1971 को लगभग 12 बजे दोपहर उसने रकम निकालने की आवश्यकता अथवा प्रयोजन के सम्बन्ध में अथवा निकाली जाने वाली रकम की अदायगी के लिए वैध प्राधिकार के सम्बन्ध में अपने आपको सन्तुष्ट किये बिना करेंसी चैस्ट से 60 लाख रुपया निकालने की श्री आर० पी० पतरा. उप-मुख्य खजांची को अनुमति दी एवं उसकी सहायता की और यह कि उक्त रकम के निकाल लिये जाने के बाद भी जब उसने श्री वी० पी० मल्होत्रा, मुख्य खजांची से रकम निकालने के प्रयोजन के सम्बन्ध में पूछताछ की और श्री मल्होत्रा ने कुछ नहीं बताया तो भी उन्होंने इस मामले में और पूछ-ताछ नहीं की अथवा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले की सूचना नहीं दी और इस प्रकार उसने श्री वी० पी० मल्होत्रा को वह रकम निकालने में सुविधा प्रदान की जो उसकी सहायता से करेंसी चैस्ट से निकाली गयी और बिना किसी प्राधि-कार के बैंक के अहाते से बाहर ले जायी गयी।
2.	श्री ए० सी० सिन्हा	सुरक्षा अधिकारी	यह कि 24-5-1971 को लगभग 012 बजे दोपहर जब वी० पी०

		मल्होत्रा को दी गयी गाड़ी के ड्राइवर ने उसे यह सूचना दी कि श्री मल्हौत्रा ड्राइवर के बिना कार को बैंक से ले गये हैं तो उसने इस मामले में न तो कोई पूछ ताछ की और नाही उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी और इस प्रकार श्री मल्होत्रा से पूछ ताछ के बिना बैंक के अहाते से अनाधिकृत रूप से 60 लाख रुपया बाहर ले जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करने दिया।
3. श्री आर० पी० पतरा	अधिकारी ग्रेड-11 (उप-मुख्य खजांची और उस समय पर करैंसी चैस्ट के संयुक्त अभिरक्षक)	यह कि 24-5-1971 को लगभग 12 बजे दोपहर उन्होंने श्री वी० पी० मल्हौत्रा के अनुरोध पर 60 लाख रुपये की रकम निकाली और रकम निकालने की आवश्यकता और प्रयोजन के सम्बन्ध में अथवा उस रकम की अदायगी के लिए वैध प्राधिकार के न होने के सम्बन्ध में अपने आप को सन्तुष्ट नहीं किया और यह कि उसने 60 लाख रुपये की उक्त रकम को एक बक्स में रखा जिसे उसने रवेल सिंह उप-मुख्य खंजाची के हाथ श्री वी० पी० मल्होत्रा को सौंपने के लिए दे दिया और उस के लिये उसने उन मुख्य खजांची भी रवेल सिंह से चेस्ट जोटिंग रजिस्टर में रसीद ले ली और उप-मुख्य खजांची से बक्से में रखी वस्तु का सत्यापन नहीं करवाया। यद्यपि उसे यह ज्ञात था कि उक्त 60 लाख रुपये वाला संदूक श्री वी० पी० मल्होत्रा द्वारा बैंक की कार में पारगमन बीमा, मार्गरक्षव हथियार बंद अंग अंगरक्षक अथवा ड्राइवर के बिना बैंक की कार में बैंक के आहाते से बाहर ले जाया गया है फिर भी बैंक की प्रचलित प्रथा प्रक्रिया और नियमों का उलघंन करते हुए वह इस मामले

		की रूचना वरिष्ठ अधिकारियों को न दे सके अथवा किसी और तरह से मामले में पूछताछ करने या बैंक के हित का संरक्षण करने में असमर्थ रहे इसके अतिरिक्त इस तथ्य के बावजूद कि श्री मल्होत्रा उस कार में बैंक लौटे और उन्होंने उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्य की देख रेख के लिए श्री बतरा को विशेष रूप से बाहर बुला कर हिदायत दी और फिर उस गाड़ी में नकदी के संदूक सहित किसी मार्ग-रक्षक हथियार बंद अंगरक्षक अथवा ड्राइवर के बिना बैठकर बाहर चले गए, फिर भी उसने इस मामले की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी और इस प्रकार उसने श्री वी० पी० मल्होत्रा को बिना किसी प्राधिकार के बैंक के अहाते से बाहर ले जाने दिया।
4. श्री रवेल सिंह	उस समय उप-मुख्य खंजाची	यह कि 24-5-1971 को 12 बजे मध्याह्न या उसके आस-पास उसने उप मुख्य खजांची श्री आर० पी० बत्ना से एक सन्दूक प्राप्त किया जिसमें 60 लाख रुपया रखा हुआ बताया गया और उसने मुख्य खजाँची चैस्ट जोटिंग रजिस्टर में उस सन्दूक में रखी वस्तुओं या उसमें बतायी गयी राशि की मौजूदगी की पुष्टि किये बिना रसीद पर हस्ताक्षर कर दिये। उसने उक्त सन्दूक को, जिसमें 60 लाख रुपया रखा हुआ था उचित वाउचर या उक्त राशि के लिये अन्य अदायगी अधिकार प्राप्त किए बिना श्री वी० पी० मल्होत्रा के सुपुर्द कर दिया और राशि के लिए उन्होंने श्री वी० पी० मल्होत्रा से रसीद भी नहीं ली। तथा परिस्थितियों के आवश्यकता के विरुद्ध उन्होंने उसके बाद श्री मल्होत्रा को, नकदी के भुग-

		तान, मार्गस्थ बीमा, सशस्त्र अंगरक्षक और नकदी गाड़ी ड्राइवर की आवश्यकता से सम्बन्धित बैंक की प्रचलित प्रथाओं, प्रक्रिया और नियमों का पालन किये बिना, वह सन्दूक जिसमें 60 लाख रुपया था, बैंक की गाड़ी में, वहां से हटाने तथा बैंक के आहते से बाहर ले जाने की अनुमति दे दी। यह उसने इस जानकारी के बावजूद किया कि श्री वी० पी० मल्होत्रा बैंक सम्बन्धी प्रचलित प्रथा, प्रक्रिया और नियमों के विरुद्ध बैंक सें 60 लाख रुपये कीराशि ले गये तथा उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश या कार्रवाई के लिए इसकी सूचना भी नहीं दी और इस प्रकार उन्होंने श्री वी० पी० मल्होत्रा को बैंक अहाते से 60 लाख रुपये की राशि ले जाने दी।
5. श्री सन्तोष कुमार	ड्राइवर	यह कि 24-5-73 को लगभग 12 बजे दोपहर जब उसे बैंक की कार के ड्राइवर के रूप में श्री वी० पी० मल्होत्रा के साथ ड्यूटी करने को कहा गया था तो उसने इस सम्बन्ध में स्थायी प्रथा तथा उसे ड्यूटी सौंपते हुए सुरक्षा अधिकारी द्वारा दी गयी विशिष्ट हिदायतों के विरुद्ध और उसके बाद भी जबकि उस कार के बूथ में 60 लाख रुपये वाला सन्दूक रखा गया था उसने श्री मल्होत्रा को उक्त कार पर कब्जा करने दिया और उसें अपने आप चला कर ले जाने दिया। इस प्रकार श्री वी० पी० मल्होत्रा को 60 लाख रुपये की रकम बिना किसी प्राधिकार के बैंक के आहते से बाहर ले जाने में समर्थ बनाया।

जीवन बीमा निगम द्वारा उड़ीसा में अधिक पूंजी निवेश करने के लिए की गई कार्यवाही

4513. श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के उद्देश्य से जीवन बीमा निगम से उड़ीसा राज्य में अधिक पूंजी निवेश हेतु कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निवेश सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा उड़ीसा राज्य में निवेश के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम के मानदंड अपनाये हैं ।

(ग) क्या जीवन बीमा निगम ने राज्य में नलों द्वारा पानी की सप्लाई की योजनाओं के लिए ऋण दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) समस्त समुदाय के हित को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा निगम, उपलब्ध निवेश अवसरों के अन्तर्गत यथासंभव, देश भर में अपने निवेश का सम्यक् प्रसार करना चाहता है और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना चाहता है । किसी राज्य में निवेश करते समय जीवन बीमा निगम, उस राज्य में हुए कारोबार और एकत्रित प्रीमियर को भी ध्यान में रखता है । हाल के वर्षों में उड़ीसा में किये गये नए निवेशों में और वृद्धि हुई है ।

(ग) और (घ) : उड़ीसा राज्य में शहरी जल व्यवस्था और जल निकास योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम ने 31 मार्च 1972 तक 75.08 लाख रुपये के ऋण दिये हैं ।

चिल्का झील पर पर्यटकों के लिये प्रदान की गई सुविधायें

4514. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या पर्यटन और नगर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी योजना में अत्यन्त सुन्दर चिल्का झील को पर्यटकों के आकर्षण के एक राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत अब तक क्या क्या सुविधायें दी गई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : पहली योजनाओं के दौरान पर्यटन विभाग ने संस्था में एक पर्यटक बंगले के निर्माण के लिए योजना के भाग II के अन्तर्गत निर्माण व्यय में अपना अंशदान किया था । रंभा के पर्यटक बंगले का विस्तार तथा चिल्का झील में मनोरंजक सुविधाओं की व्यवस्था चौथी योजना के दौरान राज्य सरकार की पर्यटन स्कीमों में सम्मिलित किए गए हैं । साधनों के अत्यन्त सीमित होने तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण चिल्का झील के विकास के लिए चौथी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं ।

तूफान राहत कार्य के लिए उड़ीसा को वित्तीय सहायता

4515. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1972-73 में उड़ीसा के लिए तूफान राहत कार्यों हेतु 14 करोड़ रुपये मंजूर किये थे;

(ख) क्या उक्त राशि दे दी गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त राशि किस-किस शीर्ष के अन्तर्गत कहां-कहां पर किन-किन मदों पर खर्च की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनों के लिए अपनायी गयी 14.66 करोड़ रुपये की कुल अधिकतम सीमा के मुकाबले राज्य सरकार ने दिसम्बर 1972 के अन्त तक 10 12 करोड़ रुपये के खर्च की सूचना दी है जो इस प्रकार है:—

	(करोड़ रुपयों में)
राहत की मदें	7.09
मरम्मत की मदें	2.09
ऋण की मदें	0.94

खच की सूचना के आधार पर, केन्द्रीय सहायता के रूप में अब तक राज्य सरकार को 8.87 करोड़ रुपये की रकम दे दी गयी है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली खर्च की प्रगति की सूचना के आधार पर और रकम दी जायेगी। वर्तमान प्रतिमान के अनुसार यह सहायता सारे राज्य में खर्च करने के लिए दी जाती है। खर्च करने के लिए क्षेत्रों के चुनाव का मामला प्राथमिक रूप से राज्य सरकार को निर्धारित करना पड़ता है ।

आसाम में पटसन की खेती

4516. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में पैदा होने वाले पटसन की स्थिति जानने के लिये तथा भविष्य में पटसन की खेती का विकास करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या विशेषज्ञों के अनुसार आसाम में उपलब्ध पटसन 6 कारखानों से भी अधिक के लिये पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आसाम में 3 पटसन मिलें स्थापित करने वाले आसाम सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पटसन उत्पादन के लिए सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा करवाये जाते हैं। वर्ष 1972-73 से नवगाँव में सघन पटसन मिला कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया था और इसे पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान चालू रखने का विचार है। इसके अतिरिक्त, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमाशुल्क सेवा तथा उदार ऋणों की व्यवस्था करके पटसन की खेती के अन्तर्गत लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि लाने के लिए गांलपारा, कामरूप और दारंग जिलों में पटसन की खेती का विकास करने की संभाव्यताओं के बारे में प्रस्थापनाएं की गई है ।

(ख) यह पटसन मिलों के आकार पर निभर करेगा ।

(ग) केन्द्रीय सरकार असम में एक नई पटसन मिल स्थापित करने के लिए सहमत हो गई है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से ठोस प्रस्थापनाएं प्रतीक्षित हैं ।

उत्पादन शुल्क की भिन्न-भिन्न दरों के कारण आसाम तथा दार्जिलिंग के चाय बागानों का बन्द होना

4517. श्री विश्वानरायण शास्त्री : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय पर उत्पादन शुल्क की भिन्न-भिन्न दरें होने के कारण दार्जिलिंग तथा अपर आसाम जोन के चाय बागानों के लिए एक गम्भीर संकट पैदा हो गया तथा कुछ चाय बागान तो बन्द होने को हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार निर्यात के लिए रियायत की व्यवस्था करते हुए उत्पादन शुल्क को समान करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) से (ग) सामान्यतः दार्जिलिंग तक अपर आसाम जोन में स्थित चाय बागान बन्द होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। परन्तु कुछ के बारे में सूचना मिली है कि वे वित्तीय तथा अन्य विभिन्न कठिनाइयों के कारण बन्द पड़े हैं । दार्जिलिंग तक आसाम चाय द्वारा होने वाली औसत कीमतों को देखते हुए इन चायों पर उत्पाद शुल्क की निवल दर क्रमशः 75 पैसे तथा 58 पैसे प्रति कि०ग्रा० है । चाय के निर्यातों को बढ़ाने के प्रसंग में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दर को संशोधित करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा निरन्तर विचार किया जाता है ।

विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले चाय तथा पटसन उद्योगों पर संकट

4518. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क क्या पटसन उद्योग में इस समय गम्भीर संकट व्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात को उच्चतम स्तर पर बनाये रखने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) इस समय उद्योग दो मुख्य समस्याओं का सामना कर रहा है, अर्थात

(1) चालू मौसम में कम फसल होने के फलस्वरूप कच्चे पटसन की कमी, तथा

(2) संश्लिष्ट उत्पादों तथा बंगला देश से विदेशी बाजारों में उनकी प्रतियोगिता ।

रेशे की वर्तमान कमी को पूरा करने के उद्देश्य से, बंगला देश से पटसन की 2 लाख गाँठे आयात करने के लिए एक संविदा सम्पन्न की गई है । और अधिक आयात करने का भी

विचार है। सरकार ने पटसन प्राइमरी कालीन अस्तर पर लिये निर्यात शुल्क में 400 रु० प्रति मे० टन की पहले ही कमी कर दी है ताकि वह मंश्लिष्टी से प्रतियोगिता कर सके। सोचे गये अन्य उपचारात्मक उपाय ये हैं: (क) गवेषणा तथा उत्पाद विकास (ख) संवेदन तथा प्रचार और (ग) मद (क) तथा (ख) के अन्तर्गत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था।

विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा अपना लेन-देन भारत से बाहर किया जाना

4519. श्री **एम० एस० पूरती**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी विमान कम्पनियां अपना लेन-देन भारत के बाहर जा कर करती हैं तथा इस प्रकार भारत को विदेशी मुद्रा से वंचित रखती है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) ऐसा अमान्यता विश्वास किया जाता है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां भ्रष्ट तरीके अपनाती हैं और जिसके परिणामस्वरूप यातायात उनकी ओर बदल जाता है और हमें विदेशी मुद्रा की हानि होती है।

(ख) इस परिस्थिति का सामना करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:-

(i) अमरीका तथा भारत के बीच रियायती वापसी भ्रमण किराये चालू किये गये हैं।

(ii) भारत और फ्रांस के बीच घटी दरों पर वापसी युवा किराये चालू किये गये हैं।

(iii) एयर इण्डिया द्वारा सस्ते किरायों पर चार्टरों के परिहालन के लिए एक चार्टर कम्पनी की स्थापना की गई है।

(iv) वायुयान नियमों में एक नये नियम का समावेश कर दिया गया है जिसमें विमान कम्पनियों द्वारा नागर विमानन के महानिदेशक से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उसके पास अपनी शुल्क दरें (टेरिफ) प्रस्तुत करने की अनिवार्य व्यवस्था की गई है।

उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात संघ के प्रवर्तन संगठन तथा विदेशी मुद्रा के विनियमों के उल्लंघन के मामलों से सम्बन्धित हमारे सरकारी प्राधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

इंडियन एयर लाइन्स द्वारा कलकत्ता से अगरतला तक मालवाही सेवा चलाने का प्रस्ताव

4520. **श्री बीरेन दत्त**: क्या **पर्यटन और विमानन नागर** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस द्वारा कलकत्ता से अगरतला तक कोई मालवाही सेवा चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब से आरम्भ कर दी जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम द्वारा त्रिपुरा में आवासीय निर्माण हेतु ऋण दिया जाना

4521. श्री बीरेन दत्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने त्रिपुरा में आवासीय निर्माण हेतु कोई ऋण दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम ने त्रिपुरा में मकान बनाने के लिये चार पार्टियों को दिसम्बर, 1972 तक 66,000/- रुपये ऋण मंजूर किये हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा 75 एकाधिकार-गृहों को दिये गए ऋण

4522. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री 8 दिसम्बर 1972 के अन्तरांकित प्रश्न संख्या 3591 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में एकाधिकार जाँच आयोग द्वारा घोषित 575 एकाधिकारगृहों को विभिन्न सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया ; और

(ख) उन फर्मों, कंपनियों तथा व्यक्तियों के नाम क्या है जिन्हें सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा 50 लाख रुपये से अधिक की धनराशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 1970-71, 1971-72 और 1972-73 (दिसम्बर 1972 तक) औद्योगिक लाइसैंसिंग नीति जाँच समिति द्वारा बनायी गयी सूची में शामिल औद्योगिक गृहों के अधिकार में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम (8-12-1972 के अन्तरांकित प्रश्न संख्या 3591 में बताये गये वित्तीय संस्थान) द्वारा स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता की कुल राशि (ऋण, हामीदारियां, प्रत्याभूतियां) इस प्रकार हैं :—

लाख रुपयों में

संस्था का नाम	वित्तीय सहायता	
	स्वीकृत	वितरित
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	3199.37	1630.18
औद्योगिक वित्त निगम	1131.54	785.00
जीवनबीमा निगम	3196.00	1796.00
जोड़	7526.91	4111.18

टिप्पणी : इस भुगतान में पहले की स्वीकृतियों के भुगतान भी शामिल हैं ।

(ख) बड़े औद्योगिक गृहों के औद्योगिक प्रतिष्ठानों, जिन्हें उपर्युक्त प्रत्येक वित्तीय संस्थानों द्वारा उसी अवधि में 50 लाख से अधिक वित्तीय सहायता दी गई है के नामों की सूचना सम्भव सीमा तक इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय बैंकों में व्यापक आधार वाली सलाह-कार समितियों का गठन

4523. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री 25 दिसम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 574 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किन्हीं राष्ट्रीय बैंकों ने विभिन्न स्तरों पर ऐसी व्यापक आधार वाली सलाह-कार समिति गठित की है, अथवा गठित करने जा रहे हैं जिनमें मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी तथा अन्य प्रतिनिधि, शामिल हों और

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबन्ध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 14 के आधार पर पांच राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया, कनारा बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया और देना बैंक ने सलाहकार समितियो के गठन की सूचना दी है । शेष बैंकों में इसी प्रकार की समितियों के गठन का प्रश्न विचाराधीन है ।

उत्तर बिहार और बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया प्रति व्यक्ति ऋण और उनमें प्रति व्यक्ति जमा राशि

4524. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री 1 दिसम्बर, 1972 के अन्तरांकित प्रश्न संख्या 2724 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार के 9.5 तथा शेष बिहार के 16.1 के प्रति व्यक्ति,ऋण स्तर को 84.10 के अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति ऋण स्तर तक होने और उत्तर बिहार के 14.5 के तथा

शेष बिहार के 66.5 के प्रति व्यक्ति जमा राशि स्तर का 111.8 के प्रतिशत भारतीय प्रति व्यक्ति जमा राशि स्तर तक लाने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ख) उत्तर बिहार के दरभंगा तथा अन्य जिलों में गत तीन वर्षों में कितनी नई शाखाएं खोली गई तथा आगामी वर्ष में कितनी शाखाएं खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) देश में बैंकिंग सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रादेशिक असन्तुलन को कम करने के लिए सरकार की नीति के अंग के रूप में शाखाएं खोलने और जमा के लिए रकमें जुटाने और विशेष रूप से अब तक उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण वितरित करने के संबन्ध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों पिछड़े और कम बैंकों वाले क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं हैं जिनमें बिहार राज्य के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। नेतृत्व बैंक योजना में भी, जो बिहार राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है ऐसी व्यवस्था है कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए बैंक अधिक से अधिक भाग ले सकें। राज्य स्तर पर समन्वय समिति भी स्थापित कर दी गयी है जिसमें राज्य सरकार के विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, तथा वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग लेते हैं ताकि कृषि संबन्धी कार्यक्रमों का वित्त प्रबन्ध करने के लिए अधिक ऋण प्राप्त किये जा सकें। किये गये विभिन्न प्रयत्नों के परिणामस्वरूप बिहार राज्य में शाखाओं की संख्या जो राष्ट्रीयकरण के समय 274 थी 31 दिसम्बर, 1972 को बढ़कर 541 हो गई है जबकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋण जून, 1969 को 4.62 करोड़ रुपये से बढ़ कर जून, 1972 में 30.27 करोड़ रुपये हो गये हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में खातों की संख्या भी जून, 1969 में 1853 से बढ़कर जून, 1972 में 42580 अर्थात 23 गुना से भी अधिक हो गई है।

(ख) वांछित सूचना इस प्रकार है :-

जिला	1970, 1971 और 1972 के दौरान खोले गये कार्यालयों संख्या	विचाराधीन लाइसेंस की संख्या*	आवंटित केन्द्रों की संख्या +
1. चम्पारन	32	—	4
2. दरभंगा	16	3	3
3. मुजफ्फरपूर	22	6	5
4. पूर्णिया	20	1	12
5. सहरसा	5	—	5
6. सारन	11	2	11
जोड़	106	12	40

*इन केन्द्रों में 1973 के दौरान ही बैंक कार्यालय खोल दिये जाने की सम्भावना है।

+आवंटित 40 केन्द्रों में से, 24 केन्द्रों में 1973 के दौरान और शेष 16 केन्द्रों में 1974 के दौरान कार्यालय खोल दिये जाने की सम्भावना है।

Opening of New Branches of Nationalised Banks in Bihar

4525. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The number of branches of nationalised banks proposed to be set up by Government in Bihar during 1973 and 1974 indicating the names and number of branches of each bank;

(b) the number of branches to be set up in Gaya District and the time by which they will start functioning ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohtagi) : (a) The nationalised banks have 34 licences pending with them for opening offices in Bihar. These offices are exnected to be opened in the current year; Apart from this 116 unbanked centres have been allotted to six nationalised banks. Offices at 75 of these centres are expected to be opened during 1973 and at the remaining 41 centres in 1974. The names of these 150 centres together with the names of the banks, which are to be open offices there, are given In Annextures I & II. [Placed in Library. See No. L.T. 4583/73]

(b) Canara Bank is holding a licence for opening a branch in Gaya District and this office is expected to be opened in the current year. In addition, 2 centres have been allotted in this district to 5 nationalised banks and one centre to State Bank of India and offices are expected to be opened at these centres in the current year and in 1974.

Repayment of Loan Under PL. 480

4526. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Einance** be pleased to state :

(a) the amount of money which has to be paid to the USA by the Government of India under PL. 480; and

(b) the time by which this amount has to be paid and whether the payment is to be made in Rupees or in Pounds ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) A statement giving the information is attached.

STATEMENT

Amonnts payable to U. S. A. under PL. 480

(Figures as on 31.12.1972)

Description	Amount (Rs. crores)	Remarks
1. (a) PL. 480 rupee loans to Govt. of India.	1501	These are long term loans repayable upto 2012 A. D. They are repayable in rupees.
(b) Non-PL. 480 loans to Govt. of India:	222	These are long-term loans repayable upto 1998. They are repayable in
2. PL. 410 convertible local currency credit to Govt. of India.	314 ($ 418 m.)	These loans are repayable in dollars over a period of 40 years including a grace period of 10 years. The payment will be made upto 2011 A. D.

3. U. S. rupee funds held in Special Securities at the Reserve Bank of India, New Delhi.	611	These comprise mainly repayments of PL. 480 and non PL. 480 loans and interest on U. S. rupees funds held in Special Securities. These funds are available for US· use expenditures and are payable in rupees.

Shortage of Hotels and Tourist Rest Houses in the Country

4527. **Dr. Luxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there is a shortage of good hotels and tourist rest houses in big cities and important places in the country for the convenience of the touriss; and

(b) If so, the steps taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir. It is recognised that there is a general shortage of good hotels and other supplementary accommodation at almost all places of tourist importance in the country.

(b) In the public sector, the India Tourism Development Corporation and Air-India have plans for the construction of a number of hotels/motels. The Department of Tourism itself is putting up a number of projects as supplementary accommodation for middle & low income group tourists in the form of Rest Houses in Wild Life Sanctuaries, Tourist Bungalows, Reception Centres-cum-Motels, and Youth Hostels at several places in the country. The private sector is encouraged to set up more hotels by means of various incentives offered in the form of tax and fiscal reliefs, financial assistance under the Hotel Development Loan Scheme, priority consideration for essential requirements, etc.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में

RE : CALLING ATTENTION

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : सम्बद्ध मंत्री इस समय राज्य सभा में इसी विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दो बजे विचार किया जाय।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हम इससे सहमत हो चुके हैं परन्तु फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन को राज्य सभा के तुल्य महत्व नहीं दिया जा रहा। में आप का ध्यान अनुच्छेद 75(3) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : हर बात को विचार का विषय न बनाएं। मंत्री महोदय ने सुबह मेरी अनुमति चाही थी परन्तु मैंने इसे स्वीकार नहीं किया था परन्तु जिन अन्य सदस्यों का उसमें नाम था वह सब सहमत हो गये हैं। अतः मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु भविष्य में मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा।

Shri Shanker Dayal Singh (Chatra) : Matters relating to Delhi are being discussed dially in the House. It has created on impression in the Country that matters relating only Delhi are discussed in Parliament. This impression should not gain ground. Matter

relating to Draught, expulsion of Indians from Fizi etc. should be discussed in the House also

Mr. Speaker : We would allof time for discussion if incidents similar to Delhi, if they happen at other places,

श्री पी०जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारी जनसंख्या भी काफी बड़ी है और समस्याएं भी बहुत जटिल हैं। अत: हमें केवल दिल्ली की समस्याओं पर ही विचार नहीं करना चाहिए अन्यथा देश में यह भावना फैल जायेगी कि संसद केवल मात्र दिल्ली का संसद है।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विषय के बटवारे अथवा क्षेत्र के आधार पर स्वीकार नहीं किये जाते। अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों के लिए समय आवंटित किया जाता है। हर रोज 30-40 विषय उठाए जाते हैं जिनमे से कुछ राज्यों से भी सम्बन्धित होते हैं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, वित्त अधिनियम, 1972 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :-

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सा० नि० 1634, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०सा०नि० 57(ड), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०सा०नि० 74 (ड) से 87 (ड) और 89 (ड), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) वित्त अधिनियम, 1972 की धारा 62 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 88(ड) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी—4564/73]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) संख्या सा. सा. नि. 90(ड) से 124 (ड), 126(ड) से 135(ड),

137(ड) से 142(ड), 145(ड) से 147(ड) और 150(ड) से 154(ड) की एक-एक प्रति, भारत के राजपत्र, दिनांक 1 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी-4565/73]

श्री पी० वैंकटा सुब्बया (नन्दयाल) : हमने आंध्र प्रदेश में बिजली की बहुत अधिक कमी के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी परन्तु उसे स्वीकार नही किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कल आन्ध्र प्रदेश बजट पर चर्चा हुई। उसमें कोई भी विषय उठाया जा सकता था।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : मैं निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रक और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नारियल रेशा निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 3 मार्च, 193 में अधिसूचना संख्या सा० आ० 625 में प्रकाशित हुए थे।

(2) नारियल जटा उत्पाद निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 197-, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०आ० 626 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी-4566/73]

सभा की बैठकों में अनुपस्थिति की अनुमति

Leave of abesences from the Sittings of the House

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने नवें प्रतिवेदन में निम्नलिखित सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों के प्रतिवेदन में उल्लिखित अवधियों के लिए अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :

1. श्रीमती कृष्णाकुमारी—जोधपुर
2. श्री वी, के. एम. : थेवर
3. श्री तुलसीदास दासप्पा

मैं समझता हूँ कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है।

माननीय सदस्य : जी हाँ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को तदनुरूप सूचित कर दिया जायेगा।

याचिका समिति

The Committee on Petitions

दसवां प्रतिवेदन

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा (बक्सर) : मैं याचिका समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत

करता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं कुछ अनुरोध करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय है । आपने जो कहना हो अपना लिखित रूप से मुझे भेज सकते हैं ।

सभा का कार्य

Business of the House

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के. रघु रमैया) : मैं घोषणा करता हूँ कि सोमवार, 26 मार्च 1973 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :—

(1) आज की कार्यवाही के शेष सभा के कार्य पर विचार ।

(2) (I) आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1973 राज्य सभा द्वारा पास किये रूप में गये ।

(विचार तथा पास करना)

(II) दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षा विधेयक, 1972, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

(विचार तथा पास करना)

(3) गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

(4) औद्योगिक विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की माँगों पर चर्चा तथा मतदान ।

(5) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के नियंत्रणाधीन अनुदानों की माँगों पर चर्चा तथा मतदान ।

(6) भारी उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

अस्पृश्यना (अपराध संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध विधेंयक

Untouchahility (Offlecs) Amendment and Miscellaoeous Prienies Bill)

संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति

श्री एस० एम० सिद्धया : (धामराजनगर) मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1901 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में, प्रो० एस० नूरुल हसन द्वारा उक्त संयुक्त समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए

स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा उक्त संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में, प्रो० एस० नूरुल हसन द्वारा उक्त संयुक्त समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा उक्त संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गए सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

उड़ीसा के सम्बन्ध में उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में साँविधिक संकल्प और उड़ीसा बजट, 1173–74—सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की माँगें, 1973–74 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें 1972-73—जारी

Statutony Resolution re Approval of Proclamation in relation to Orisa and Orissa Budget, 1973-74 Genlral Discussion, Demnands for Grants on Account, and Supplementary Demands for grants 1972-73

अध्यक्ष महोदय : अब हम उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 3 मार्च, 1973 की उद्घोषणा के अनुमोदन प्रस्ताव पर चर्चा 1973-74 के उड़ीसा राज्य के बजट पर सामान्य चर्चा, 1973-74 के लिए उड़ीसा राज्य के बजट सम्बन्धी लेखा अनुदानों की माँगों पर आगे चर्चा तथा मतदान, 1972-73 के लिए उड़ीस के बजट सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान करेंगे।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मैं उड़ीसा के रायज्पाल द्वारा किये गये स्थिति के मूल्यांकन से मूलतः सहमत हूं। परन्तु मैं जिस तरीके से राज्यपाल का वक्तव्य प्रस्तुत किया गया है। उस पर अपना रोप प्रकट करता हूं उसमें नीलमणि क्षेत्र के विरुद्ध व्यक्तिगत मामले उठाए गये हैं। यह लोकतन्त्रीय मर्यादा तथा गरिमा के अनुकूल नहीं है।

गवर्नर के प्रतिवेदन में परिस्थितियों का निर्धारण दल-बदल, राजनैतिक सौदे-बाजी आदि बातों का ठीक वर्णन है । कुछ लोगों द्वारा स्थिरता की बातें उठाई जा रही हैं । परन्तु क्या प्रगति शील दल, जो कि प्रतिक्रियावादियों का समूह है के अन्तर्गत स्थिरता प्राप्त हो सकती थी ? क्या उड़ीसा की प्रगति सम्भव थी ? कुछ समय पूर्व श्री बीजू पटनायक उत्कल कांग्रेस को समाप्त करके कांग्रेस में उनके विलयन की बातें कर रहे थे परन्तु अब उनका कथन है कि उड़ीसा में कांग्रेस श्रीमती इन्दिरा गाँधी तथा श्रीमती नन्दिनी सत्पथी के नेतृत्व के अन्तर्गत स्थिरता नहीं हो सकती । पहले वह स्वतन्त्र पार्टी के विरुद्ध थे परन्तु अब उसके साथ मिल गये हैं । आज वह उड़ीसा में औद्योगिक क्रान्ति की बात कर रहे हैं परन्तु वास्तव में वह उड़ीसा की औद्योगिक क्रांति के सबसे बड़े शत्रु हैं ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : यह एक व्यवस्था का प्रश्न है । जो व्यक्ति सभा में उपस्थित नहीं उसके बारे में सदन में कैसे कुछ कहा जा सकता है ? राष्ट्रपति की उदघोषणा पर चर्चा हो रही है मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : वह नीतियों की चर्चा कर रहे हैं । आप भी तो श्रीमती नन्दिनी सत्पथी का नाम लेते रहे हैं जब कि वह यहां उपस्थित नहीं ।

श्री डी०के० पंडा : जब शासन स्वतन्त्र पार्टी के हाथ में था उन्होंने श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध आयोग का गठन किया । खन्ना आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशें सर्वविदित हैं । श्री बीजू पटनायक जो कि 1942-43 में एक साधारण केपटन थे अब वह लखपति हैं । उन्हें यह धन कहां से मिला । मैं यह भी कहूंगा कि जब वह कांग्रेस शासन में मुख्य मंत्री थे तो कांग्रेस ने ही उन्हें उत्साहित किया । अब भी केन्द्र में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो श्री बीजू पटनायक की सहायता करना चाहते हैं ।

कटक के चुनाव में उन्हें कांग्रेस में फिर से लाने के प्रयास किए गये । अत: मैं इस बारे में कांग्रेस को भी चेतावनी देता हूँ । स्वतन्त्र पार्टी आज लोकतन्त्र के हनन की बात कर रही है । परन्तु मैं उनसे पूछता हूं कि केन्द्र ने उद्योगों के लिए 13 लाइसेंस दिये उनका कार्य क्यों नहीं प्रारंभ हुआ वह परादीप के उर्वरक संयंत्र को सरकारी क्षेत्र के स्थान पर श्री जैन को देना चाहते थे । वह पार्टी जन-विरोधी, श्रमिक विरोधी, औद्योगिकीकरण-विरोधी है । (**अन्तर्बाधाएं**) । आज स्वतन्त्र पार्टी दलबदल की बात कर रही है परन्तु वह बीजू-बीरेन हटाओ, उड़ीसा बचाओ का नारा लगाते थे । अब वह उसी 'बीजू' के साथ हैं । स्वतन्त्र पार्टी वाले भूमि सुधार उपायों का विरोध करते रहे हैं । इसको देखते हुए उन्हें लोकतन्त्र के हनन व दल बदल की बातें करने का कोई अधिकार नहीं । स्वतन्त्र पार्टी, श्री बीजू पटनायक या उनका दल उड़ीसा को स्थिरता नहीं दे सकते । कांग्रेस को भी महताब तथा बीजू के कांग्रेस में फिर से मिलने की कोई आशाएं नहीं रखनी चाहिये ।

सरजू प्रसाद आयोग का प्रतिवेदन सरकार के सामने है और अब अवसर भी हैं कि केन्द्र सरकार उस पर कार्यवाही कर सकती है । उड़ीसा के दुर्भिक्ष एवं तूफान पीड़ित गरीब लोगों के लिए केन्द्र को इस अवसर पर कुछ न कुछ करना चाहिये लोकतन्त्र की बातें करने वाले इन सभी नेताओं के विरुद्ध जांच आयोग गठित करके धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिये । श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध लगाये गये सभी आरोपों की भी केन्द्र को जाँच करानी चाहिये केन्द्र

पत्तों के सम्बन्ध में स्वतन्त्र तथा उत्कल कांग्रेस की मिली जुली सरकार पर आरोप है। इस सम्बन्ध में भी केन्द्र को जाँच आयोग गठित करना चाहिये। कम्यूनिस्ट पार्टी प्रारम्भ से ही इस बारे में अपनी आवाज उठाती रही है। जिस समय उत्कल कांग्रेस के विधायक दल बदल कर कांग्रेस में सम्मिलित हुए कम्यूनिस्ट पार्टी ने उस समय चेतावनी दी बाद में इन्हीं दल बदल विधायकों ने भूमि सुधार विधेयक का विरोध किया। अंत: लोकतन्त्र तथा उड़ीसा के आर्थिक विकास के हित में इस राजनैतिक सौदेबाजी को समाप्त किया जाना चाहिए।

जहाँ तक उड़ीसा के बजट का सम्बन्ध है यह बिल्कुल ही उत्साहजनक नहीं है। उड़ीसा मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। परन्तु कृषि के विकास के लिए इसमें कोई भी कार्यक्रम नहीं है। इस प्रयोजन के लिए धन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। सिंचाई के लिए 40 प्रतिशत धन राशि नियत की गई है जो कि अपर्याप्त है क्योंकि यह केवल सिंचाई के विद्यमान स्रोतों के रख रखाव मात्र के लिए ही पर्याप्त है। उठाऊ सिंचाई के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

कलिंगा ट्यूब्स तथा पटनायक खानों सहित सभी बन्द कारखानों तथा मिलों को केन्द्र को अपने अधिकार में लेना चाहिए। लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जराउ-हर-भंगी परियोजना और मरुआ परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया जाए जिससे कि गजम जिले के तीन चौथाई भाग के लिए पानी उपलब्ध हो सके। जिन 13 उद्योगों के लिए लाइसेन्स दिये गये हैं उनका कार्य प्रारम्भ होना चाहिए।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) उड़ीसा बजट पर, जिसे सभा पटल पर रखा जाता है, भारत सरकार के सचिव श्री एम० जी० कौल के हस्ताक्षर हैं। वह सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। उस पर मंत्री महोदय के हस्ताक्षर होने चाहिये थे और उन्हें सदन में प्रस्तुत करना चाहिये था। इसी प्रथम केन्द्रीय बजट पर भी श्री एम० जी० कौल के हस्ताक्षर हैं। केन्द्रीय बजट पर भी सम्बद्ध मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये। यह बहुत आपत्तिजनक बात है।

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : बजट सम्बन्धी कागजात के बारे में वित्त मंत्रालय में मेरे सहयोगी उत्तर देंगे। जहां तक मुझे जानकारी है सभा पटल पर रखे जाने वाले ऐसे दस्तावेजों को जिन पर अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं, मंत्रियों द्वारा प्रमाणीकृत किया जाता है।

मुझे इस बारे में विशेष जानकारी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) आंध्र बजट पर न तो किसी अधिकारी और ना ही किसी मंत्री के हस्ताक्षर हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में सही स्थिति का पता लगाउंगा।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजपुर) : पिछली लोक सभा में भी हम अनेक राज्यों के बजट पास कर चुके हैं। इस बारे में हमने पहले भी कोई प्रतिक्रिया अपनाई होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में जाँच कर रहा हूँ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं दोनों बजट की प्रमाणीकृत प्रतियाँ प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय ने प्रमाणीकृत किया था तो उस बारे में मुद्रित प्रतियों में एक स्लिप लगी होनी चाहिये। उन मामलों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में हम भविष्य में विचार करेंगे। जिस प्रक्रिया का हम अनुकरण कर रहे हैं उसके अन्तर्गत विधेयक मंत्री द्वारा प्रमाणीकृत किये जाने चाहिये सचिव द्वारा नहीं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बड़ागरा) : उड़ीसा राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में लेने तथा बजट के बारे में जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा का मैं स्वागत करता हूँ। उड़ीसा राज्य में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डाली गई है वह राज्यपाल की कार्यवाही से नहीं डाली गई है। बल्कि इस लिये कि संवैधानिक दृष्टि से ऐसा करना ही उचित था। कुछ लोगों ने जानबूझ कर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिससे प्रशासन ठप हो जाये।

उड़ीसा, आंध्र और अन्य स्थानों पर उस महान गठ-बन्धन ने फिर सिर उठाया है और उड़ीसा में उसके नेता श्री बीजू पटनायक हैं। जब तक उड़ीसा के लोग इसे समझ नहीं लेते राज्य में अस्थिरता बनी रहेगी। (अन्तर्बाधाएं)

सर्वश्री हरे कृष्ण मेहताब, बीजू पटनायक और सिंह देव ने उड़ीसा के लोगों की आकांक्षाओं पर तुषारापात किया है। श्री नन्दिनी सत्पथी द्वारा भूमि सुधार विधेयक और केन्दू पत्तों का राष्ट्रीयकरण करने जैसे ठोस कदम उठाए गये थे। केन्दू पत्तों से भ्रष्ट राजनीतिज्ञ बहुत पैसा बना रहे थे। इस कारण उन्होंने सरकार को गिरा दिया। आशा है प्रतिक्रियावादियों के विरुद्ध छेड़ा गया संघर्ष केन्द्रीय सरकार तथा आने वाली सरकार जारी रखेगी।

उड़ीसा एक बहुत बड़ा राज्य है, यहां अधिकाँश आदिवासी लोग रहते हैं। आशा है केन्द्रीय सरकार उड़ीसा की पिछड़ेपन से सम्बन्धी समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देगी। उड़ीसा राज्य में प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होने की बहुत सम्भावना है आशा है केन्द्रीय सरकार इस ओर भी ध्यान देगी।

जहाँ तक राज्य में राज्यपाल द्वारा की गई कार्यवाही का सम्बन्ध है मैं नहीं कह सकता कि वह इससे अधिक और क्या कर सकते थे। उन्होंने केवल लोकतांत्रिक ढाँचे के मूल सिद्धान्तों की रक्षा की है और इससे अधिक कुछ नहीं किया है। राज्यपाल द्वारा की गई कार्यवाही संवैधानिक और लोकतांत्रिक दृष्टि से उचित है। आशा है राज्य में श्री पीलू मोदी और बीजू पटनायक जैसे क्षेत्रीय लार्डों का खेल सदा के लिए समाप्त हो जायेगा और उड़ीसा का बहुत उज्जवल भविष्य होगा।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) संविधान के लागू होने के बाद उड़ीसा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। राज्यपाल ने केन्द्रीय सरकार के पिट्ठु के रूप में काम किया है। इससे पहले कभी किसी राज्यपाल ने इस ढंग से व्यवहार नहीं किया।

हरे कृष्ण मेहताब के नेतृत्व में बनी सरकार ने 25 जनवरी, 1961 को त्यागपत्र दिया। उस समय विधान सभा को 12 दिन तक रखा गया और राज्यपाल ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या कोई वैकल्पिक सरकार बनाई जा सकती है अथवा नहीं। चूंकि वहाँ कोई दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था अत: राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 11 जनवरी, 1971 में जब श्री अंसारी राज्यपाल थे तब भी इसी प्रकार के प्रयास किये गये थे। लेकिन वर्तमान मामले

में राज्यपाल श्री जेंटटी ने प्रगति दल के नेता को वैकल्पिक सरकार बनाने का अवसर दिये बिना ही पहले विधान सभा का अवसान किया और फिर उसे भंग कर दिया।

राज्यपाल का प्रतिवेदन वास्तविक रूप से गलत है। इस मामले में सरकार ने दोहरा मानदण्ड अपनाया है। इस मामले में राज्यपाल ने केन्द्रीय सरकार पिट्ठू के रूप में काम किया है और इसके लिये केवल प्रधान मंत्री ही जिम्मेवार हैं क्योंकि ऐसा प्रधान मंत्री की सलाह से किया गया।

उत्कल कांग्रेस ने कुछ शर्तों पर कांग्रेस में मिल जाने का प्रस्ताव रखा था लेकिन इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया गया था अतः उत्कल कांग्रेस में बिना शर्त कांग्रेस में मिलना अस्वीकार कर दिया। अतः यह कहना गलत और शरारतपूर्ण है कि उत्कल कांग्रेस कांग्रेस में शामिल हो गई थी।

राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि श्री मुरलीधर कोनार को दल के विरुद्ध कार्यवाही करने के कारण दल से निलम्बित कर दिया गया।

इसी प्रकार डा० हरेकृष्ण मेहताब ने एक वक्तव्य में सरजू प्रसाद आयोग के निष्कर्षों के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही का स्वागत किया था। लेकिन प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि डा० मेहताब सरकार द्वारा उनके बारे में की जाने वाली अनुवर्ती कार्यवाही से असन्तुष्ट थे।

राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि "मन्त्रिमण्डल ने निर्णय किया है कि मुख्य मंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए" लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया। राज्य तथा उपमंत्रियों को भी सरकार के पतन की जानकारी नहीं थी। अतः यह स्पष्ट है कि ऐसा प्रधान मंत्री के निदेश पर किया गया।

प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि प्रगतिदल को 72 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था वास्तव में इसे 75 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था।

उड़ीसा के लोग इसे लोक तन्त्र की हत्या समझते हैं। हम यह चाहते हैं कि राज्य में मानसून से पहले चुनाव कराये जाने चाहिए जिससे उड़ीसा के लोगों को केन्द्रीय शासन को अधिक समय तक सहना न पड़े।

श्री बनमाली पटनायक : (पुरी) यदि राज्यपाल श्री जैट्टी ने प्रगति दल को सरकार बनाने की अनुमति दी होती तो वह 15 दिन से ज्यादा नहीं टिकती।

उत्कल कांग्रेस के किसी भी सदस्य को काँग्रेस में शामिल होने से मना नहीं किया गया उन्होंने स्वतन्त्र दल के लगभग 10 सदस्यों के काँग्रेस में शामिल होने का उल्लेख किया है। उनमें अधिकाँश आदिवासी लोग थे और उनको दबाया जा रहा था तथा उनकी उपेक्षा की जा रही थी। वे ऐसी पार्टी में शामिल होना चाहते थे जिसका व्यापक दृष्टिकोण हो।

मंत्रिमंडल को त्याग पत्र नहीं देना चाहिये था। मैं आरम्भ से ही यह कहता रहा हूं।

उड़ीसा में अभी शीघ्र चुनाव नहीं किये जाने चाहिए।

जहां तक विधान सभा में सीटों की संख्या में वृद्धि करने का प्रश्न है, परिसीमन आयोग ने स्थानों की संख्या में वृद्धि करने की सिफारिश की है। चूंकि यहां विधान सभा भंग हो चुकी

है अत: इस प्रश्न पर संसद भारत सरकार को विचार करना होगा ।

हाल ही में उपचुनाव आयुक्त ने राज्य का दौरा किया था और उन्होंने स्वयं सब दलों से विचार विमर्श किया था सब दल इस बात पर सहमत थे कि राज्य में अभी शीघ्र चुनाव नहीं कराये जाने चाहिए ।

राष्ट्रपति के शासन के दौरान उड़ीसा राज्य विकास के लिए कुछ कार्यवाही की गई है । सुकिन्दा में निकल संयंत्र और सरगीपाली में लैंड स्मैल्टर संयंत्र की स्थापना की जानी चाहिये । केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार द्वारा की गई सब सिफारिशों को स्वीकार करना चाहिये ।

राज्य डेल्टा परियोजना वर्ष 1957 में आरम्भ की गई थी जिसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है । इस परियोजना पर अभी आधा काम ही पूरा किया जा सका है । राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास की बहुत आवश्यकता है ।

उड़ीसा को एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व की आवश्यकता है जिसका दृष्टिकोर्ण बहुत व्यापक हो और जो वहां की जनता का पूरा सहयोग प्राप्त कर सकता हो । राज्य में इस प्रकार की अस्थिरता हमेशा के लिए समाप्त की जानी चाहिये ।

श्री सेझियान : उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने और विधान सभा भंग किये जाने से अनेक ऐसे मूलभूत और मूल मामले उठ खड़े हुए हैं जिनकी सदन में अभी तक चर्चा नहीं की गई है । मूल प्रश्न यह उठता है कि राज्य पाल ने मनमाने ढंग से विधान सभा को भंग करने की जो प्रक्रिया अपनाई थी क्या वह उचित थी और क्या संसदीय विकास के वातावरण को बल मिलेगा ।

राजनीतिक दलों के मन में यह भय है कि राज्यपाल केन्द्र में कांग्रेस पार्टी के हितों की रक्षा करने के स्वविवेक के अधिकार का दुरुपयोग करते हैं । राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारों के विफल होने पर अन्य दलों को अपनी सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया जाता ।

1967 में केरल में राज्य पाल ने अन्य दलों को अपनी सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया । उस सम्बन्ध में पी० सी० आई० के प्रतिनिधि ने कहा था कि इससे सब को वास्तविकता का पता चल गया है । 1967 में ही श्री इन्द्रजीत ने कहा था कि सभी राज्यों में कांग्रेसी दल की सरकार न होंने से इस बात की परीक्षा हो जायेगी कि क्या राज्यपाल संवैधानिक व्यवस्था के समर्थक है अथवा वे केन्द्रीय सरकार के एजेंट मात्र हैं।

यह समस्या केवल उड़ीसा से ही सम्बन्ध नहीं रखती है । समस्या यह है कि किसी विधान सभा में किस पार्टी का बहुमत हैं इसका निर्णय राजभवन या राष्ट्रपति भवन में क्यों किया जाता है । मुझे इस बात का दु:ख है कि अन्य दलों को अपनी सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया ।

उड़ीसा में मुख्य मंत्री को बहुमत प्राप्त नहीं रहा तथा उन्होंने राज्य पाल को यह सलाह दी कि विधान सभा को भंग कर दिया जाए । मेरा प्रश्न यह है कि जब मुख्य मंत्री को सदन में बहुमत ही प्राप्त नहीं है तो वह राज्यपाल को सलाह कैसे दे सकता है ।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उड़ीसा के बारे में जितनी तेजी से कदम उठाए गये हैं क्या अन्य राज्यों के बारे में भी इस स्थिति में उतनी ही तेजी से कदम उठाये गये है ? केरल और पश्चिम बंगाल का उल्लेख न करे इस बारे में मैं उत्तर प्रदेश का उल्लेख करना चाहता हूँ । 1968 में उत्तर प्रदेश में श्री चरण सिंह की सरकार ने त्याग पत्र दिया । किन्तु वहां के राज्यपाल ने उनका त्यागपत्र तो स्वीकार कर लिया किन्तु विधान सभा भंग नहीं की तथा राष्ट्रपति के आदेशों की 11 अप्रैल तक प्रतीक्षा की । ऐसा क्यों ? उस मामले मे अन्य दलों को सरकार बनाने का अवसर क्यों नही दिया गया ? इस स्थिति में राज्यपाल ने इस बात की सम्भावना भी व्यक्त की कि कांग्रेस सरकार बना सकता है । यह दोहरी नीति अपनाए जाने के क्या कारण हैं ? अतः मेरी मांग है कि नई सरकार बनाने अथवा मुख्य मंत्री द्वारा सभा को भंग किये जाने की सलाह के अवसर पर बहुमत का निर्णय सदन में किया जाना चाहिए तथा राज्यपाल के लिए ऐसी परिस्थितियों में कार्य करने के लिए स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए जाने चाहिए ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उड़ीसा के बजट में भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों और भत्तों के लिए 2.2 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है । मैं जानना चाहता हूँ कि जब संविधान में संशोधन करके निजी थैलियों को समाप्त कर दिया गया है तो इस मद में धनराशि की व्यवस्था क्यों की गई हैं ।

वर्ष 1973-74 के लिए सरकार ने केवल 12 लाख रुपयों की व्यवस्था की है जिससे विदित होता है कि सरकार 31 मार्च 1974 से पहले आम चुनाव नहीं कराना चाहती ।

राज्यपाल की रिपोर्ट में श्री नीलमणि रोट्रे तथा उनकी पत्नी की मृत्यु के बारे में किया गया उल्लेख अच्छा नहीं है । राज्यपाल द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के बारे में टिप्पणी करना तथा उस पर उसकी पत्नी की हत्या का संदेह करना उचित नहीं लगता ।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोटापुर) : मैं उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन का समर्थन करता हूं ।

{**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए । / **Mr. Speaker** *in the Chair*}

उड़ीसा में अत्यंत दूषित राजनीति है तथा उड़ीसा की जनता इसी कारण पिछड़ी हुई है । स्थाई सरकार न होने पर देश प्रगति नहीं कर सकता । उड़ीसा में राज्यपाल ने पूर्ण संवैधविक व्यवस्था के अन्तर्गत कदम उठाये हैं ।

उत्कल कांग्रेस के सदस्यों ने एक मत से यह निर्णय किया कि कांग्रेस में सम्मिलत हुआ जाए । किन्तु हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उत्कल कांग्रेस के नेता श्री बीजू पटनायक और अन्य 6 मंत्रियों को इसकी अनुमति नहीं दी क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया । उन्होंने उड़ीसा की जनता की प्रगति के लिए कोई कार्य नहीं किया ।

उड़ीसा राज्य में सूखा और अकाल के कारण वहां की जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । सरकार ने राहत के लिए धनराशि मंजूर की है । मंत्री महोदय को उड़ीसा के पिछड़े जिलों के विकास के लिए कदम उठाने चाहिए । 13 में से 10 जिले तो अत्यंत पिछड़े हुए हैं तथा वहाँ केवल 2 या 3 प्रतिशत जनता शिक्षित है ।

मेरा सुझाव है कि सरकार को आदिवासी जिलों में आश्रम स्कूलों की बजाय होस्टल स्थापित करने चाहिए तथा कालेज और हाई स्कूल बनाने चाहिए जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सके तथा उनमें सांस्कृतिक आदान-प्रदान हो सके ।

व्यापारी तथा राजनीतिज्ञ हमारा शोषण कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जिन अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है वे समझते हैं जैसे उन्हें दण्ड दिया जा रहा है । इस धारणा का क्या उन्मूलन किया जाना चाहिए । तथा वहां उन अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जिनमें सेवा भावना है ।

Shri Jagannathrav Joshi (Shajapur) : Sir, I rise to oppose the ordinance importing President's Rule in orissa. It has become quite clear that ruling party at the centre could not control the desire of matching power. Government are prepared to sacrifice the constitutional provision, dignity of the office of Governor and every thing else at the alter of the best for power they have not laid dowd any guide lines for the Governor to decide the majority in the Assembly.

I know the Governor of Orissa personally. He is a very good man. But I am surprised at the decision taken by him. He much have at least tested the strength of the opposition and the Government and only then he should have given his decision.

I have come to the conclusion that government is interested only in having power It dose not at all case for the means. It is they who are encouraging defections. Sometimes they go with Communist and at the other time with other party.

I understand that the government of United Legislators Party cannot last long but it must be given a chance. Constitutionally we cannot do any thing against the Governor. But we can criticise the conduct of the President. This time conduct both of the Governor and the President has attracted criticism. With these words I appose the step taken in Orissa.

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : अपने कुछ सहयोगियों के असहयोग करने और त्यागपत्र देने के कारण उड़ीसा की मुख्यमंत्री श्रीमती नन्दनी सतपथी ने 1-3-1973 को अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दिया । उसी दिन प्रगति दल के नेता श्री बीजू पटनायक ने अपने दल के 72 सदस्यों की एक सूची पेष करके सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किये जाने की प्रार्थना की । पर उसी दिन दो सदस्यों ने समर्थन न देने के सम्बन्ध में राज्यपाल को पत्र लिखे और बताया कि वे अब भी कांग्रेस के साथ हैं तथा उन पर दबाव डाल कर उनसे हस्ताक्षर कराए गये हैं । और अब क्योंकि प्रगति दल को केवल 70 सदस्यों का ही समर्थन प्राप्त होने के कारण और सदस्यों के बार-बार अपनी निष्ठा एक दल से दूसरे में प्रकट करने के कारण राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति प्रशासन की सिफारिश की । उनका यह कदम सही था ।

उड़ीसा में वर्ष 1972-73 में आबकारी कर में ढाई गुना वृद्धि हुई, जबकि जमीन के लगान की राशि 2.96 करोड़ रुपये से घट कर 1.8 करोड़ रुपये रह गई ।इसका कारण यह था कि विरोधी दल की सरकार ने अपने समय में लगान समाप्त कर दिया और शराब बन्दी समाप्त कर दी । फलस्वरूप बड़े-बड़े जमींदार लगान देने से बच गये और गरीब आदिवासियों पर आबकारी

कर का भार बढ़ गया क्योंकि अधिकतर शराब की दुकानें कोरापुर जिले में हैं जहाँ अनुसूचित जातियों और जन जातियों का अधिक्य है। अतः मंत्री महोदय से इस स्थिति पर ध्यान देने की प्रार्थना करता हूँ और विरोधी सरकार को इस नीति को समाप्त करने का अनुरोध करता हूं।

घाटे को पूरा करने के लिए सरकार का बकाया करों को वसूल करने के लिए ठोस प्रयत्न करने चाहिए। इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि उड़ीसा के सूखा और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों पर उचित ध्यान दिया जाये।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

श्री डी० के० पण्डा (भंजनगर) : श्रीमान मैं निर्माण और आवास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दें।

"सफदरगंज पुल पर्यन्त पहुच सड़क के नींव स्तम्भ विशिष्ट विवरणों से बहुत कम होना"

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : सफदरगंज हवाई अड्डे के समीप महरोली रोड पर ओवर ब्रिज के निर्माण का कार्य नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा सर्वश्री दीवान सूरज प्रकाश चोपड़ा एण्ड संस को सौंपा गया है। 18 मार्च, 1973 को कार्य के निर्माण-कार्य में कुछ खामियों की सूचना मिलने पर, कमेटी के तकनीकी अधिकारियों ने स्थल पर खुदाई की तथा यह मालूम हुआ कि ब्रिज की दक्षिणी ओर की पुश्ता दीवार के दो पाइल वास्तव में 0.57 मीटर पर ही छोड़ दिये गए थे जबकि विशिष्टयों के अनुसार उन्हें 3.5 मीटर गहराई तक ले जाया जाना था। ठेकेदार ने इन पाइलों के निर्माण से सम्बन्धित कार्य के लिए अदायगी मांग इस आधार पर की थी तथा उसने यह अदायगी ले ली थी, मानो कि यह विशिष्टियों के अनुसार अपेक्षित गहराई तक इन पाइलों को ले गया हो, अतः इसे दण्डनीय अपराध माना गया तथा तदनुसार मुख्य इंजीनियर, नई दिल्ली नगर पालिका ने 18 मार्च और 19 मार्च, 1973 के बीच की रात को डिफेन्स कालोनी पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच चल रही है। पुलिस ने अब तक ठेकेदारों की फर्म के श्री सूरज प्रकाश चोपड़ा और उनके पुत्र तथा नई दिल्ली नगर पालिका के कनिष्ठ इन्जीनियर, श्री एस० के० टंडन को गिरफ्तार कर लिया है।

नई दिल्ली नगर पालिका ने सम्बन्धित म्यूनिसिपल इंजीनियर, सहायक इंजीनियर तथा कनिष्ठ इंजीनियर को निलम्बित कर दिया है।

श्री डी० के० पण्डा : समाचार पत्रों में ऐसा समाचार छपा है कि इस ठेकेदार के विरुद्ध पहले भी कई शिकायतें की गई थी और नई दिल्ली नगरपालिका में इस पर चर्चा हुई थी। पर केवल गिरफ्तारी किये जाने से समस्या का हल नहीं निकलता क्योंकि ठेकेदार इस प्रकार श्रमिकों और सरकार को धोखा देते रहे हैं। राजस्थान नहर के सम्बन्ध में भी इस ठेकेदार ने ऐसी ही कोई धांधली की थी और काम को रोकना पड़ा था। अतः इसका कोई स्थायी हल होना चाहिए। दूसरे नियमतः प्रत्येक स्थल पर इन्जीनियरों द्वारा ठेकेदारों के काम की जांच की जानी चाहिए। इतने साल में वे क्या करते रहे? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? तीसरे नई दिल्ली नगरपालिका में इस ठेकेदार के विरुद्ध किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई?

श्री ओम मेहता : निर्माण कार्य दो वर्ष पहले शुरू न होकर अप्रैल, 1972 में ही शुरू हुआ था। प्राप्त हुई शिकायतों के सम्बन्ध में हमारे अधिकारी जांच कर रहे हैं। हम ठेकेदार से खराबियों को दूर करने को कह रहे हैं।

इस कार्य के सम्बन्ध में इन्जीनियरों ने लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुसार उसकी जाँच करने में निःसन्देह ढील की है। जूनियर इंजीनियर, सीनियर इन्जीनियर, कार्यकारी इन्जीनियर तथा नगरपालिका इन्जीनियर को मुअत्तिल कर दिया गया है। उनके विरुद्ध मामला दर्ज करा दिया गया है और उनमें से एक को गिरफ्तार किया जा चुका है, अन्य की खोज जारी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : उन्होंने पूछा था कि इस सम्बन्ध में किस प्रकार की शिकायत मिली थी तथा पहले भी किस प्रकार की शिकायतें इस ठेकेदार के बारे में आती रही हैं।

श्री ओम मेहता : इस सम्बन्ध में यह शिकायत थी कि खम्बे की नींव 12 फीट के बजाय 1.5 फीट गहरी रखी गयी थी तथा पहले दीवार के निर्माण में घटिया माल लगाने की शिकायत थी।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय उस स्थिति की कल्पना कीजिए कि यदि 15 फीट के बजाय 2 फीट गहरी नींव रखने पर यातायात के दबाव से यदि यह पुल बैठ जाता तो कितनी जानें जातीं। क्या इससे भी कोई अन्य महत्व का विषय हो सकता है (व्यवधान)।

जिस किसी भी व्यक्ति अथवा इन्जीनियर ने इस खराबी को पकड़ा है उसने बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि निरीक्षक कर्मचारी निर्माण स्थल पर कितनी बार गये और उन्होंने क्या रिपोर्ट दी? क्या उन्होंने "सब ठीक है" की रिपोर्ट नहीं दी थी? क्या ठेकेदार को पूरा भुगतान किया गया था। क्या कारण है कि एक कनिष्ठ इन्जीनियर श्री एस० के० टण्डन को गिरफ्तार किया गया है। अन्य इन्जीनियरों को गिरफ्तार करने के बजाय मुअत्तल ही क्यों किया गया। क्या यही एक इन्जीनियर इसके लिए जिम्मेदार था। ऐसा इसलिए किया गया है कि सबकी मिली भगत (व्यवधान) मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ।

इस मामले में अभी और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जायेगा? क्या नगरपालिका

के उच्च अधिकारी भी इस मामले में कुछ करेंगे। इससे बड़ा और इससे घृणित अपराध और कोई नहीं हो सकता क्योंकि पुल निर्माण के कुछ ही महीने बाद इस देश के अनेकों नागरिकों की जानें ले लेता।

श्री ओम मेहता : प्रश्न किया गया है कि छोटे-छोटे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाए बड़े-बड़े मगरमच्छों, अर्थात इन्जीनियरों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नही की गई। चैक पर हस्ताक्षर करने वाले इन्जीनियर को मुअत्तल कर दिया गया है और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 5 के अधीन इसके विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। पता लगा है कि वह भाग गया है और पुलिस उसका पीछा कर रही है। और इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार किसी भी इंजीनियर को नहीं छोड़ा गया है, उनके विरुद्ध मामले दर्ज कर दिए गए हैं और वे भागे हुए हैं।

जहां तक संविदा प्रणाली का सम्बन्ध है, हम इस पद्धति के स्थान पर सरकारी क्षेत्र में एक संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निर्माण और आवास मन्त्रालय में ऐसा एक संगठन है। किन्तु हमें इन ठेकेदारों के साथ उस समय तक निभाना पड़ेगा जब तक कोई एजेन्सी सरकारी क्षेत्र में नहीं बनती।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने प्रश्न किया है कि क्या किसी उच्च अधिकारी ने इसका निरीक्षण किया था, और यदि हां तो क्या उसने अपनी रिपोर्ट पेश की ?

श्री ओम मेहता : नगरपालिका के मुख्य इन्जीनियर सतर्कता अधिकारी और केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं तकनीकी एग्जामिनर ने इसका निरीक्षण किया था। त्रुटि निकलने के पश्चात कोई भुगतान नहीं किया गया है। और भुगतान रोक लिया गया है।

Shri Jagannath rao Joshi (Shajapur) : Government should remain firm. The workof the Government should also be solid. But even the Constructions by the C. P. W. D. are faulty and defective. The Chambal bridge gave way and has depressed. Inspite of the repeated questions the hon Minister has not replied as to whether the cheif technical Examiner, Just before two months had given an O. K. report and how all of sudden this has crept in.

उपव्रध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

श्री सन्त साठे (अकोला) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि नियम 352 के अनुसार कोई माननीय सदस्य अपने भाषण के दौरान किसी प्रकार के अनुचित, द्रोही और निन्दात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय नियम 353 के अनुसार किसी सदस्य को ऐसे आरोप को लगाने से रोक सकते हैं जो सदन की गरिमा का अनादर करते हों। और ऐसे आरोपों को भी जो जनसाधारण के हित में हों। समाचार पत्र से जो उल्लेख किया जा रहा है उसका विचाराधीन विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य समाचार पत्र से कोई बात पढ़ता है तो मैं उसे रोक नहीं सकता।

Shri Jagannath Rao Joshi : Contractor Chopra, who has been arrested had contacts with Maruti Ltd. I want to know the reasons why the contractor has broken the contract. There must be some reason behind all this. So there must be some reason for the contractor to break his contract with estab'i-hed from like Maruti Ltd. especially when the work was joing on for the last two years, why the only two piers were selected for checking ? Therefore what is the specific nature of the complaint scondly has the chief technical Examiner given on O.K. report only two months earlier, and what action has been taken against him ? I want that no person responsible for this lapse should be spared but Condign punishment should be maked out to him.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय चम्बल परियोजना के बारे में कोई उत्तर नहीं देंगे क्योंकि मैंने केवल इसका उल्लेख मात्र करने की अनुमति दी है।

Shri Jagannath Rao Joshi : There should be a thorough probe into this matter. All the persons responsible for the lacrrity should be punished. I want this assurance from the hon. Minister.

Shri Om Mehta : I can only give this assurance to the hon. members that there shall be a thorough investigation into this case and no person who found responsible shall be spared. Apart from this if it is found that the officers has calculated with the contractors in using rule standard material, They too shall not be spared,

A reference has been made about the chief technical Examiner. He is under central Vigilance Commission and he has not given any G. K. report. Our Officers have been going there. Prompt action has been taken on the defects found therein.

कहा गया है कि उनके प्राईवेट ठेकेदार भी थे। सरकार के इनसे कोई सम्बन्ध नहीं हैं। मुझे पता लगा है कि वह एक पंजीकृत प्रथम श्रेणी की फर्म है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की स्वीकृत सूची में हैं। उन्होंने सब से कम दर की निविदा दी थी इस लिए उन्हें यह काम सौंपा गया था।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि 18 मार्च, '973 को इस कार्य में कुछ त्रुटियों के बारे में सूचना मिलने पर नगर पालिका के तकनीकी अधिकारियों ने स्थल पर जाकर वहां खुदाई की और यह पाया कि पुल के दक्षिणी ओर पर सहारा देने वाली दीवार की दो खुंटियों की जिनकी गहराई विशिष्ट विवरणों के अनुसार 3·5 मीटर की जानी थी किन्तु उसे वास्तव में 0·75 मीटर गहरी ही रखा गया है। इस सम्बन्ध में कुछ शंकाएं अवश्य ही उत्पन्न हो जाती हैं।

वक्तव्य के एक अन्य भाग में बताया गया है कि भुगतान कर दिया गया है क्योंकि यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा नई दिल्ली नगर पालिका के विशिष्ट विवरणों के अनुसार किया गया है। किन्तु अब सरकार ने अचानक एक या दो खम्बों के निकट खुदाई क्यों की और उस रिपोर्ट पर वस्तुतः किन लोगों ने हस्ताक्षर किये और भुगतान के रूप में चैक दिया।

यह भी बताया गया है नई दिल्ली नगर पालिका के तीन इंजीनियरों को मुअत्तल किया गया है और एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। किन्तु वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। इस बात को मंत्री महोदय ने स्पष्ट नहीं किया है। इस मामले में करोड़ों

रुपये का घोटाला है और सरकार के साथ धोखाधड़ी का मामला है। ऐसी स्थिति में भुगतान करने के लिए कौन कौन वरिष्ट अधिकारी जिम्मेवार हैं। हो सकता हैं ये वरिष्ट अधिकारी उनके मंत्रालय या वित्त मंत्रालय का हो।

प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया है कि उनके पास गम्भीर शिकायतें आती रही हैं। उन शिकायतों का व्यौरा क्या है : क्या ये शिकायतें पाई गई त्रुटियों के बारे में थी या इस बारे में थी कि वहां घटिया किस्म की सामग्री प्रयोग में लाई गई है। मंत्री महोदय को इन शिकायतों के स्वरूप के बारे में कुछ और अधिक व्यौरे वार उत्तर देना चाहिए। समाचार पत्रों में प्रदर्शित समाचारों के अनुसार यह बताया गया है कि नई दिल्ली नगर पालिका के मुख्य इंजीनियर इसकी जांच करने जा रहे हैं। मेरे विचार से मुख्य इंजीनियर ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसे अब तक मुअत्तल क्यों नहीं किया गया।

श्री ओम मेहता : मुख्य इन्जीनियर ने पिछले महीने में ही कार्यभार सम्भाला है। अतः ऐसी त्रुटियां निकालने में उनका यह पहला कार्य है। इस कार्य से सीधा सम्बन्ध रखने वाले सब इन्जीनियरों को मुअत्तल कर दिया गया है। यह कोई इतना बड़ा कार्य नही था इसलिए कुछ विशेष इन्जीनियर ही इसके लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने भुगतान किया और रिकार्ड पूरे किये थे, उन सबको मुअत्तल कर दिया गया है।

प्रश्न किया गया है कि दो खम्बों के बारे में ही कैसे पता लगा। हमें वहां काम करने वाले व्यक्तियों ने सूचना दी और उन्होंने ही किसी प्रकार से हमारे सतर्कता अनुभाग को सूचना दी कि इन दो खम्भों में कुछ त्रुटियां हैं। अतः हमारे मुख्य इन्जीनियर और नई दिल्ली नगर पालिका के सतर्कता अधिकारी स्थल पर गए और खुदाई करने के पश्चात उन खम्भों में वे कमियाँ पाई सूचना मिलने पर पुलिस उप ठेकेदार के जो वास्तव में इस खुदाई के लिए जिम्मेदार है, पास गई और कुछ दोषपूर्ण कागजात बरामद किए।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इन इंजीनियरों के अतिरिक्त क्या आपके मंत्रालय के सर्वोच्च अधिकारी भी इस मामले में ग्रस्त हैं। सेवानिवृत अधिकारियों को क्या छोड़ा गया है।

श्री ओम मेहता : जांच की जा रही हैं और यदि वह भी इसमें शामिल हुआ पाया गया तो उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : प्रसन्नता की बात है कि यह मामला प्रकाश में आया है। आश्चर्य का विषय है कि मंत्री महोदय ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर इतना साधारण सा वक्तव्य दिया है।

बताया गया है कि दीवान सूरज प्रकाश चोपड़ा एन्ड संस को नई दिल्ली नगरपालिका ने महरोली रोड पर उंचाई पुल का निर्माण कार्य सौंपा हैं और कहा गया है कि उनकी निविदा सबसे कम पाई गई थी इसलिए उन्हें ही यह ठेका दिया गया है। उनकी निविदा कम राशि की कैसे बनी मैं यह जानना चाहता हूँ? यह सूचना किसने दी कि हो रहे कार्य में कुछ त्रुटियां हैं? यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उसी रात अर्थात 18 और 19 मार्च की रात को पुलिस में भी यह रिपोर्ट

की गई और उसी समय जाँच कार्य किया गया। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से पता लगा है कि सूरज प्रकाश चोपड़ा हरियाणा की एक प्रसिद्ध फर्म के ठेकेदार थे। इस फर्म ने अचानक ही उस समय में ठेकेदार का ठेका रद्द कर दिया जब कि निर्माण कार्य आधा हो चुका था। इस ठेकेदार ने उस फर्म के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री पीलू मोदी : एक और आश्चर्यजनक मामला है जो पूर्णत: तकनीकी है। ·57 मीटर गहरा खम्भा खोदना कोई बुनियाद नही कहला सकती। इस पर सम्पूर्ण भवन का भार पड़ता है। अत: यह तो आरम्भ से ही गलत है और यह सारा मामला जानबूझ कर तैयार किया गया है। मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य से शंका ही होती है। इस विशेष खम्भे में ही ऐसी त्रुटि कैसे निकल गई, मैं यह जानना चाहता हूं क्योंकि यह तो भूमिगत था। इस बात का तो कई वर्षों तक पता नहीं लगता। अतः इससे स्पष्ट है कि इस मामले का अधिकारियों को पहले से पता था और इसके लिए न केवल सूचना देने वाला ही अपराधी है अपितु सूचना प्राप्त करने वाला भी उतना ही अपराधी है।

अत: ठेकेदारों के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह सब सच होता है कि जो कुछ वे करते हैं उसका किसी को पता ही नही लग पाता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा की कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री पीलू मोदी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह जांच का मामला काल्पनिक आधारों पर बनाया गया है या इसमें कोई तथ्य है। क्योंकि नई दिल्ली नगर पालिका इतनी कम अवधि में जांच नहीं कर सकती यह सारी स्थिति हास्यप्रद हैं। क्या इस ठेकेदार को फाँसने के लिए चाल चली गई हैं क्योंकि संजय इससे नाराज है।

श्री श्रोम मेहता : मेरे माननीय मित्र पीलू मोदी द्वारा लगाए गए आक्षेपों का मैं खण्डन करता हूं क्योंकि इस मामले में किसी प्रकार की कोई चाल नही चली गई हैं।

कहा गया है कि सूर्य प्रकाश चोपड़ा की निविदा कम राशि की नहीं थी किन्तु अन्य ठेकेदारों से प्राप्त की गई निविदा से इम ठेकेदार की निविदा सबसे कम राशि की है।

मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सतर्कता अधिकारी को किसी सूचना देने वाले जो उस कम्पनी में काम करते हैं से शिकायत मिली थी। हमारे पास भी सूचना आई थी कि विशेष गहराई तक खोद कर बनाए 200 खम्भों के लिए भुगतान माँगा गया है किन्तु वह खम्भे उतने गहरे नहीं जितने होने चाहिए। हमने यह सूचना नई दिल्ली नगरपालिका के मुख्य इन्जीनियर के पास भेज दी थी। उसने नगरपालिका के अधिकारियों के एक दल द्वारा स्थल पर संयुक्त जाँच का आदेश दिया और इसमें ठकेदार को भी शामिल किया गया था। खुदाई करने से यह पता लगा कि इन खम्भों की गहराई बहुत कम है। ठेकेदार के प्रतिनिधियों ने और कुछ अधिकारियों ने, जो इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित थे, जाँच पत्रों पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में पुलिस में मामला दर्ज कराने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहा ताकि बाद में वे लोग इससे मुकर न जाएं हमने ऐसा करने में समय नष्ट नहीं किया।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

इस पुल से सम्बन्धित सारे विशिष्ट विवरणों की जाँच की गई है और परिवहन मंत्रालय के पुल अनुभाग ने उनकी पड़ताल की है। मंत्रालय को सारी स्थिति से अवगत रखा गया है।

नूनडीह जीतपुर कोयला खान में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच के बारे में वक्तव्य

Statement be. Enquiry into Noondih Jitpur colliery Accident

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : खान अधिनियम 1952 की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने नूनदीह जीतपुर कोयला खानों (बिहार राज्य के धनबाद जिले) में 18 मार्च, 1973 को हुई दुर्घटना की जांच करने के लिए भारत सरकार के सेवा निवृत्त सचिव श्री आर० सी० दत को नियुक्त करने का निर्णय किया है, इस दुर्घटना में कुछ कामगरों की मृत्यु हुई है।

केन्द्रीय सरकार ने जाँच करने के लिए श्री कांति मेहता, महासचिव, इण्डियन नेशनल माइनवर्कर्स फैडरेशन और श्री ललित बर्मन, सचिव इण्डियन माइन वर्कर्स फैडरेशन तथा दो तकनीकी विशेषज्ञों को मूल्यांकन कर्ताओं के रूप में कार्य करने का भी निर्णय किया है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही है।

न्यायिक जांच की स्थापना करने के सम्बन्ध में आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी जायेगी। यह न्यायालय खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 उपधारा (4) के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर देगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों की कार्यवाही को प्रारम्भ करेंगे।

(हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन) विधेयक

Hindu Succession (Amendment) Bill

नई धारा 24 क का अन्तःस्थापन

Shri Jogannath Rao Joshi : I beg to move "That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Hindu succesion Act, 1956".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री जगन्नाथ राव जोशी : श्रीमान् जी, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

मृत्यु दण्ड उत्सादन विधेयक (जारी)
Abolition of capital Punishment Bill (contd.)

उपाध्यक्ष महोदय : 9 मार्च 1973 को श्री नरेन्द्र कुमार सांघी द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत किए गए विधेयक पर चर्चा करेंगे। पिछली बार श्री राम निवास मिर्धा बोल रहे थे। अब उनके स्थान पर श्री मोहसिन बोलना चाहते हैं। परन्तु मेरे विचार में, एक मंत्री दूसरे के भाषण के बीच में से बोलना शुरु नहीं कर सकता। इसलिए श्री मिर्धा के भाषण को मैं समाप्त मान लेता हूं और अब श्री सांघी चर्चा का जबाव देंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालोर) : यह एक अशिष्टाचार का मामला ही कहा जायगा कि जब एक गैर सरकारी सदस्य का विधेयक सदन के समक्ष विचाराधीन है तो मन्त्री महोदय उत्तर देने के लिए उपस्थित नहीं है मन्त्री महोदय ने अपने अपूर्ण भाषण में यह कहा था कि यह मामला बहुत अधिक विवादास्पद है। मन्त्री महोदय की अनुपस्थिति के कारण हम सरकार के विचार जानने से वंचित हो गये हैं।

मैं उन सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया। केवल तीन सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्यों ने मृत्यु दण्ड समाप्त करने का समर्थन किया है।

श्री भट्टाचार्य, श्री राम रतन शर्मा और श्री वसन्त साठे ने मृत्यु दण्ड समाप्त करने का व्यापक तौर पर समर्थन किया है। श्री साठे के विचार में राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाकर लोगों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए मृत्यु दण्ड का प्रावधान रहना चाहिए।

श्री पी० जी० मावलंकर ने कानूनी और नैतिक पहलुओं पर विचार करते हुए मृत्यु दण्ड की समाप्ति का समर्थन किया।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार ने कहा कि मृत्यु दण्ड बदले की भावना से नहीं दिया जाना चाहिए। आज के समाजिक मान्यताओं में परिवर्तन हो रहा है जेलें सुधार गृह है। मृत्यु दण्ड की समाप्ति भी आज की आवश्यकता है।

श्री डी० एन० तिवारी के अनुसार एक निरपराध व्यक्ति को मृत्यु दण्ड देने की अपेक्षा 12 अपराधियों को छोड़ देना कहीं अधिक बेहतर है। बिहार के रोहतास केस में डाक्टर और पुलिस के सब इस्पैक्टर की सांठ गांठ से एक निरपराध व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया गया, परन्तु सच्चाई का पता बाद में चला।

श्री बी० के० दास चौधरी और श्री रायजीराय ने भी मृत्यु दण्ड की समाप्ति का समर्थन किया।

विधेयक का विरोध करने वाले सदस्यों के नाम हैं (1) श्री मोहम्मद कोया (2) श्री नाथूराम अहिरवार और (3) श्री स्टीफन। श्री मोहम्मद कोया ने कहा कि नक्सलपंथियों द्वारा राजनैतिक हत्यायें की जा रही हैं और बंगाल में कई लोगों की हत्या की जा चुकी है। इन्हें बिना मृत्यु दण्ड दिए नहीं छोड़ा जा सकता। कुछ वर्ष पहले बंगाल में सक्रिय नक्सलपंथियों को क्या दण्ड दिया गया। आन्ध्र प्रदेश में रेल सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और अनेक निरपराध व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, परन्तु कितने अपराधियों को अब तक पकड़ा जा सका है

और मृत्यु दण्ड दिया गया है। राजनैतिक अपराध करने वालों को फांसी नहीं दी जा सकती। मेरे विचार में सरकार का भी यह दृष्टिकोण नहीं है कि डाकखाने जलाने या अन्य प्रकार से सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों को मृत्यु दण्ड दिया जाए।

मैं श्री मूलचन्द डागा का आभारी हूँ, जिन्होंने यह संशोधन दिया हैं कि विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। श्री कृष्णन ने इस बात का समर्थन किया है कि विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। अगर इनमें से एक भी सुझाव मान लिया जाता, तो मुझे प्रसन्नता ही होती।

प्रधान मन्त्री ने इस सदन में कहा था कि यह बहुत विवादास्पद मामला है और हमें इस बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए।

देशद्रोह के बारे में मैं आपका ध्यान बंगला देश की घटना की ओर आकर्षित करुंगा। शेख मुजीबुर्रहमान को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उन्हें फांसी की सजा दी जाने वाली थी, परन्तु नये राष्ट्रपति ने उन्हें मुक्त कर दिया।

हत्याओं का मृत्यु दण्ड की समाप्ति से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वह देश में मृत्यु दण्ड को समाप्त करे। इसरायल में मृत्यु दंड समाप्त कर दिया गया है। तो मिर्धा ने कहा था कि श्री लंका ने पहले मृत्यु दण्ड समाप्त कर दिया था और उसे अब पुनः लागू कर दिया हैं। श्री लंका में मृत्यु दण्ड फिर से लागू करने के राजनैतिक कारण थे, क्यों कि मृत्यु दण्ड की समाप्ति के तत्काल बाद श्री भंडार-नायके की हत्या कर दी.गई और इस वजह से मृत्यु दण्ड फिर से लागू कर दिया गया।

विधि आयोग की रिपोर्ट से में कुछ आंकड़े उद्धृत करना चाहता हूँ जिससे हत्याओं की वृद्धि अथवा कमी का मूल्यांकन किया जा सके। त्रावणकोर और कोचीन में वर्ष 1944 में मृत्यु दंड समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 1951 में त्रावणकोर कोचीन का भारतीय संघ में विलय हो गया, तब मृत्यु दंड फिर से फिर लागू कर दिया गया। आंकड़े इस प्रकार है।—

1944	—	123
1945	—	133
1946	—	148
1947	—	168
1948	—	203
1949	—	140
1950	—	164
1951	—	188

वर्ष 1952 से 1955 तक आंकड़े क्रमशः 165, 200, 171, 129 और 114 हैं। इससे पता चलता है कि हत्याओं की संख्या में कमी नहीं हुई है।

इन शब्दों के साथ में सरकार को सुझाव देता हूं कि वह मृत्यु दंड की समाप्ति सम्बन्धी विधेयक को स्वीकार करे और सदन से मेरा अनुरोध है कि वह इस विधेयक को पारित करे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब में नियम 358 (3) के अनुसार श्री मोहसिन को बोलने का अवसर देता हूं।

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मुझे आपने बोलने के लिए जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं श्री मिर्धा की अनुपस्थिति के लिए उनकी ओर से सदन से क्षमा मांगता हूं।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा यह एक विवादास्पद विधेयक है।

यह मामला अनेक वर्षों से चर्चा का विषय रहा है। वर्ष 1956 में श्री मुकन्दलाल अग्रवाल ने इस आशय का एक गैर-सरकारी विधेयक पेश किया था। वर्ष 1958 में श्री पृथ्वी राजकपूर के विधेयक पर राज्य सभा में चर्चा हुई थी। वर्ष 1961 में दीवान चमनलाल ने इसीआशय का एक संकल्प राज्य सभा में प्रस्तुत किया था। वर्ष 1962 में श्री रघुनाथ सिंह ने लोक सभा में इसी आशय का संकल्प प्रस्तुत किया था। इसलिए इस समस्या पर समय समय पर चर्चा होती रही है।

विधि आयोग ने भी इस बारे में विचार किया था। उन्होंने अपनी 35 वीं रिपोर्ट में जो मुख्य सिफारिश की है, उसके अनुसार भारत की परिस्थितियों, निवासियों के सामाजिक रहन-सहन क्षेत्र की विशालता और इस समय कानून और व्यवस्था बनाये रखने की अत्यधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मृत्यु दण्ड समाप्त करने या परीक्षण करने की जोखिम नहीं उठाई जा सकती। किसी क्षेत्र विशेष के लिए जो तर्क और कारण सही हो सकते हैं, वह दूसरे क्षेत्र के लिए सही नहीं हो सकते। अतः भारत में मृत्यु दण्ड को समाप्त करने का समर्थन नहीं किया जा सकता।

यह सच है कि कुछ देशों में मृत्यु दण्ड समाप्त कर दिया गया है, परन्तु वहां आबादी और हत्याओं का अनुपात निश्चित रूप से कम है। स्वीडन में मृत्यु दण्ड समाप्त करने के समय प्रति 45 लाख की आबादी के लिए हत्याओं का अनुपात 4 था। नीदरलैण्ड में यह अनुपात 3 था। ग्रेट ब्रिटेन में शताब्दी के पहले पचास वर्षों के लिए यह अनुपात 3.89 था। इन आँकड़ों की तुलना में भारत में प्रति दस लाख की आबादी के लिए हत्याओं का अनुपात 30 से भी ज्यादा है। रूस में मृत्युदंड केवल हत्या के लिए ही रखा गया है। आस्ट्रिया ने मृत्यु दंड समाप्त कर दिया था, परन्तु बाद में इसे फिर से लागू कर दिया और आगजनी को मृत्यु दण्ड वाले अपराधों में शामिल कर लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के छः राज्यों में मृत्यु दण्ड की व्यवस्था नहीं है और 9 राज्यों ने 2 से 28 वर्ष तक की अवधि के लिए इसे समाप्त करके फिर से लागू कर दिया। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सभी देशों में, क्वीन्सलैंड को छोड़कर मृत्युदंड की व्यवस्था लागू है। न्यूजीलैंड ने 1941 में इसे समाप्त कर दिया था; परन्तु 1950 में फिर से लागू कर दिया। श्री लंका में मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया था और बाद में उसे फिर से लागू कर दिया गया। ब्रिटेन में 1965 में मृत्युदंड को पांच साल के लिए निलम्बित कर दिया गया था, परन्तु बाद में वर्ष 1969 में अनिश्चित काल के लिए इसे फिर से लागू कर दिया गया।

देश में वर्ष 1951 में 9,802 हत्यायें हुई थी और 1969 में हत्याओं की संख्या बढ़कर 14,732 हो गई थी 1951 में 558 व्यक्तियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी, वर्ष 1956 और

1966 में क्रमशः 533 और 457 व्यक्तियों को मृत्युदण्ड को सजा सुनाई गई थी। जितने व्यक्तियों को मृत्युदण्ड दिया गया उनके आंकड़े इस प्रकार हैं :—

1951—62
1956—25
1959—77
1960—98
1961—48
1962—52
1963—66
1964- 68
1966—11 केवल

एक वर्ष में 14 000 व्यक्तियों की हत्याओं की संख्या को देखते हुए 100 से कम अपराधियों को ही एक वर्ष में फांसी की सजा दी गई।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या उपमन्त्री महोदय को पता है कि संयुक्त समिति के विचाराधीन जो दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक हैं, उसमें गृह मन्त्री ने मृत्यु दंड को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं केवल आंकड़े दे रहा हूं, अभी कोई राय प्रकट नही कर रहा।

सदस्यों को यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय दंड संहिता में ये सभी दंड खराब तत्वो से समाज की रक्षा करने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

हम फांसी की सजा भुगतने के लिए जा रहे व्यक्ति के प्रति तो सहानुभूति प्रकट करते हैं, परन्तु उस व्यक्ति को क्यों भूल जाते हैं, जिसकी हत्या हो जाने से एक परिवार ही बरबाद हो जाता है। ऐसी घटनायें भी देखने में आई है, जिनमें अदालत द्वारा अपराधी को दोष मुक्त करने पर या कोई दंड न देने की स्थिति में भरी अदालत में अपराधी को मार करके हत्या का बदला लिया गया। यह तथ्य भी हमें ध्यान में रखना चाहिए ।

सरकार भी इस बारे में विचार करती रही है कि जो व्यक्ति अपराधी वृत्ति का नहीं है, उसके लिए क्या सुधारात्मक उपाय अपनाये जांय। हम इस सिद्धांत में विश्वास ही नहीं रखते कि मनुष्य जन्मजात अपराधी वृत्ति का होता है। लेकिन रंगनाथन जैसे व्यक्तियों को, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने बम्बई में सैकड़ों हत्यायें की, मृत्यु दंड से कम कोई सजा नहीं दी जा सकती।

सदन में दंड संहिता को संशोधित करने सम्बन्धी एक विधेयक पहले ही पेश किया जा चुका है। दंड संहिता में धारा 302 के अलावा 121, 132 194, 303, 307 और 391 में उल्लिखित अपराधों के लिए भी मृत्युदंड का उपबन्ध है। धारा 302 के अलावा अन्य धाराओं के लिए मृत्यु दंड समाप्त करने का प्रस्ताव है । भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति को प्रेषित किया गया है। सदस्यों को विचार करने का काफी अवसर मिलेगा।

श्री नरेन्द्रकुमार सांघी : क्या उक्त धाराओं के बारे में समिति को कोई निर्देश दिया गया है ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : कोई निर्देश नहीं दिया गया है । समिति जो चाहे, वह निर्णय ले सकती है । संयुक्त समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाने के पश्चात उस पर व्यापक चर्चा होगी और सदन द्वारा निर्णय लिया जायेगा । इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह विधेयक पर जोर नहीं दें ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मन्त्री महोदय के इस उत्तर को ध्यान में रखते हुये कि भारतीय दंड संहिता को संशोधित करने सम्बन्धी विधेयक संसदीय समिति के विचाराधीन है, मैं सदन की अनुमति से विधेयक वापस लेना चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 1 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री नरेन्द्र कुमार सांघी को विधेयक वापस लेने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : श्रीमान् जी मैं विधेयक वापस लेता हूं ।

लोक प्रतिनिधित्व [संशोधन] विधेयक

Representation of the people (Amendment) Bill

धारा 8 का संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्रीमती सुभद्रा जोशी के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार प्रारम्भ करेंगे ।

Shrimati Subhadra Joshi (Chandni chowk) : I move, "That the bill further to amend the Representation of the People Act. 1951, be taken into consideration"

Mr. Deputy Speaker. Sir, The Lok Sabha has already passed a legislation i. e. Criminal Law (Amendment) bill. A new section 153(B) was added, according to which the definition of unlawful activities was changed and it was said that if the people indulge in such a drill, excrcise on other activity which is likely to endanger peaceful atmosphere in the community, it may be dealt with under this section. The Home Minister had also said at that time that if an individual indulged in that compaign or such a propaganda, he or she could be punished, but if a group of people commited such a crime, they could not be punished.

Keeping in view this fact, the above legislation was passed.

[श्री के०एन० तिवारी पीठासीन हुये
Shri K. N, Tiwary *in the Chair*]

According to section 152 (A), a person indulging in activities, mentioned therein. Could not contest any election to an Assembly or Parliament for a period of six years. Simi larly, the people found quilty under section 153(B) should also be disqulified under People's Representation Act for a period of six years.

Lok Sadha has done its duty by passing the necessary legislation. Now it is the duty of the govornment to impliment the same. The main objective behind the ag tations in the name of language, religion, region or province is to come to power. If this legistlation is passed and such people are disqualified to cintest any election, these people would not be able to come to power.

These tacitics used for Coming to power are cgainst the democracy, against unity of the Country. If these people are defeated in election, these chemies of nevocracy. indulge in such a propaganda that it becomes evry difficult for the duly elected person to function.

Riots have taken place in Assam over the language issue, in Andhra Pradesh over some other issue and in Bombay before the elections and after the elections.

Mr. George Reddy was murdered in Assamia University. It is a well known fact that it was an act of R.S.S. Agitation has been going on in Delhi University and Aligarh University. The Government is fully cognizant of these elements but I do not understand as to why it has not been taking any action against such elements.

B.H.U. is being discussed here almost daily. According to an editorial of a newspaper, which is not a Congress paper, it is not a secret that these organisations the R.S.S., Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad and Samajwadi Yuvjan Sabha. have been opposing every ettempt to case their strangle hold over the University and are making every effort to disrupt its working. They drew up a list of over 30 demands, many of them were blatantly unreasonable.

R.S S. was behind the Andhra Pradesh agitation. These people are making preparation for a fresh riots in Jalagaon. As no ban has been imposed on these organisations, they are encouraged to indulge in such unlawful activtites. I would, therefore, request that People's Representation Act should be amended and these persons should be disqualified.

The reactionaries, the persons who want to maintain status quo are oppos d to progress and development, make use of communal organisations like R.S.S., Muslim League and Shiv Sena etc.

Former C I.A. head in Asia and Africa, Jean Kurain and a former official in U.S. Embassy in Delhi, on. Craig Bextor had jointly written a book for which they have thanked three leaders of Jansangh. Shri Lal K. Advani, Shri Balraj Modhok and Shri Jagdish Mathur. I request that this book should be examined. R.S.S. had formed Jan Sangh after this book was written by these U.S. Officials. The grand alliance was formed after Mr. Craig Bextor had written his book, U.S. A. could not pressurise the gevernment of India ; though. It rtied its best to do so. Now their agent's here want to embarass this Government by starving the people, by opposing the whole sale trade in food grains.

The parliament had performed its duty by passing a legislation empowering the government to ban the communal organisations like R.S.S. and Jamait--eislami. Now it is

the duty of the government to use that power. This amendement put forward by me is simply a step towards its implementation.

Persons indulging in such activities should be disqualified to represent the people.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन सं० 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य : लोगों में घृणा फैलाने की गतिविधि को समाप्त करने वाले विधेयक की भावना का मैं समर्थन करता हूं । परन्तु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन करने का जो तरीका सदस्य महोदय ने अपनाया, उसे मैं पसन्द नहीं करता । मेरे विचार में ऐसी बातें हमारे देश में बहुत समय से चली आ रही हैं और लोगों में लोकतन्त्र की भावना ही देश को इस समस्या से बचा सकती है ।

वेदी कानून बनाये जाने चाहिए जिन्हें क्रियान्वित किया जा सके । विभिन्न प्रकार के कानून लागू होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में अनेक हरिजनों की हत्या की जा चुकी है ।

रूपास्पुर ग्राम, जिला पुर्णिया में अनुसूचित जातियों के लोगों के मकान जला दिये गये हैं । परन्तु कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है । केवल अधिनियम में संशोधन करके ही देश को अमानवीय भावनाओं से बचाया नहीं जा सकता । पुलिस विभिन्न वर्गों का शासक दल के हित में उपयोग कर रही है । पश्चिम बंगाल में अधिनियमों का उपयोग सामान्य हित में नहीं किया जाता है ।

श्रीमती गीता चटर्जी के पति की हत्या कर दी गई थी, वह प्रधान मंत्री से मिली थी । परन्तु अभियुक्तों को पकड़ा नही जा सका । केवल अधिनियमों से प्रजातन्त्र की रक्षा नहीं की जा सकती । अतएव में विधेयक का विरोध करता हूं ।

Shri Shashi Bhushan [South Delhi] I whole hearted by suppent this Bill, I am not satisfied with my party as it has facted to the communel fences.

Certain communal organizations the parading morning in the name of religion. During British regime they served them as washman. Now at least they should come forward to help in the regeneration of a new India. After freedom they tried to help the rullers at the lost of the poor people. But that organisation is of such a type that which ever side, it favoured that side was doomed,

श्री एम० ए० कदार पीठासीन हुए

Shri S. A. Kadur in the chalr

Recently wheat trade was taken over by government. The black marketrs of the entire country organised **a** strike. That strike was supported by the party which arranges parades. Two members of Municipal Corporation of Delhi, Shri Brider jain and Shri Goeal,

Mr. Chairman : Why do you mention the names ?

Shri Shashi Bhushan : These people who were in favour of unity of India are new preaching far its division. These people appose all the activities of the government which are lickly to help the Common people My complaint is only againist my own party for tolerating them

Recently eight Jansangh M.L. As were disqualified in Madhya Pardesh for distributing leafects saying that congres in responsible for caw saughter I think that the peoples representation Act should provide pünishment far such Communal acts.

They should not be allowed to cantest elections. They may not do any thing far the protection of the country. But they should at least remain secular. In the country where black markiters and capitalists take resent to the path of satyagrah, our fate can be well imagined The so-called satyagrahies should be severlly punished. The communals should not be given licences by government. Even the licences already, issued should be with drawn,

The government should take steps to stop these people from getting any money from abroad. The assests of R. S. S. in India are worth 60 crores of Rupees. There should be investigated.

Shri M. Satyanaryan Rao (Karim Nagar): I agree to the objects of the bill. But the prohibition on drills and exercises would be of no use. Attempts should be made to prohibient of the communal activities.

If the prograssive persons like Shri Shashi Bhushan do not understand the feeling of people. They would have to go to can Sangh on Savta tra. I shall request the morer of the Bill not to insist upon this Bill.

Shri M. Ramgopal Ready (Nizamabad): At no time in our Country there has been cammunaism But at times certain selfish people have been practising Communaism. Musli-leauge is still there in India while it is dead in Pakistan.

I do not agree to the proposal for banning communal parties can not the secular parties fear them ?

Our people are very intelligent and they know wnich party thay can trust upon. In our fight against the commuunal parties we should prepare the masses. in fortune these parties would not have any support from the people.

श्री वी० आर० शुक्ल (बहुराइच) : श्रीमती सुभद्रा जोशी का उनके इस सामयिक संशोधन लाने पर धन्यवाद देता हूं। प्रजातन्त्र में जनता को अपने विचारों संस्कृति अपने दर्शन को प्रसारित करने का अवसर मिलता है। जब इस प्रकार की कार्यवाहियां की जाती हैं जिसमें विभिन्न धार्मिक, जातीय और भाषायी ग्रुपों द्वारा जातीय अथवा भाषायी उपद्रव पैदा किए जाते है तो यह धारा 153 (ख) के अन्तर्गत आता है। तो इस प्रकार की कार्यवाहियों में संलग्न होने वाले व्यक्तियों को दंड दिया जाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को चुनावों में खड़ा होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। हाल ही में आसाम में लज्जाजनक उपद्रव हुए थे। आसाम और आन्ध्र प्रदेश में घटी घटनाओं की हमें सूचना है। ऐसी कार्यवाहियों से स्पष्टत: संसद और विधान सभा के कुछ सदस्य संबद्ध है। वे लोग समझते हैं कि यदि वे ऐसी कार्यवाहियों में भाग नहीं लेते तो वे चुनाव नहीं जीत सकेंगे। अतएव यह आवश्यक है कि दोषी पाए गए सदस्यों को अगामी चुनावों के लिए अयोग्य घोषित किया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का पूर्णत: समर्थन करता हूं।

Shri Ebrahim Sulaiman sait (Kazhi Kade): This important bill has a limited object But its object has been sported in the discussions. It has been clearly stated that restrictions should be impased on these who impart military training. such training is being imported in the name of R. S. S, this sent of activities create tratred among the people if such activities are stapped it would be good for the country. Muslim league is not a cammunal body non it has any military organisation to import military training. We want protection of our culture and valves in life Neither the mover non any other mamber has sad anything against our party.

The ruling party on the one hand treat our party as a National party and extends hand of friendship towards us and on the other hand we are branded as communals. This is a shameful state of affairs. The parties who actually in dulge in military training and spread hatred in the county.

Shri Md. Jamilurmahan (Kishanganj) : I feel Shrimari Subhdra joshi deserves hearteast congratulation for bringing this Bill. Artical 153 was amended in order to bring aboul harmony among the various rolls.

It is cannot to say that we have a big majority here. But at the same time we our friend of loving dare so many things for the betterment of the common man.

The wars have taken place in Hindu period and Muslim period and during the freedom struggle of 1857. The British Rullers tried to creat and maintain tensions any among the Hindus and the Muslims.

Various persons were killed in Bande due to cammunal riots and many more in Assam in language riots. The peaple who indulge in such riots do not have any place in the country.

I feel that the amendment should be accepted and artical 153 implementation.

Shri Maha Deepak Singh Shakya (Kasgang) : Sir, the Bill brought by Shrimati Subhdra joshi in baseless and it has the motivation of party politics behind it It is not in the intrests of the country as a whole. Disintegration through : or religious feelings is a metter of great concern every body indeed. But there should be proper certain to detect the persons engaged in nefarious activities. If oner particular person belonging to a party commits such as acts, It dose not meen that the whole party to which be belongs in corrupt or Comnunal.

Refaning to gondi insident Shrimati Subhdra joshi has blamed R. S. S. for commnunal disturbances there. But she did not maention the atrocities Perpcpsated upon the Harijans by the ruling party at Sahavan in Uttar Pardesh, It is quite strange that when Jansangh Opposes Pakistan it is said that Jan Sangh wats to creat disunity between Hindus and Muslims but when we launch satyagraha dimanding recognition to Bangla Desh. not credit is given what is this ?

I can not agree to the proposition that certain political parties commit such aimes to gain political power. This view is baseless.

I view of the existance of several laws and rules in the Indian penal code to deal with the persons invo!oved in anti Social and immoral activities, I do not find any justificatioan for bringing this bill in the House. Besides ours in a secular country and every body here has the right to adopt any religion he likes. He should not be deprised of this freedom with there wards gappose this Bill.

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (मंजेरी) : श्रीमती सुभद्रा जोशी द्वारा प्रस्तुत किए गए इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका गम्भीरता से विरोध किया जाए। उन्होंने अपने भाषण में तथा उद्देश्य के विवरण में विधेयक लाये जाने के उद्देश्यों का स्पष्ट उल्लेख किया है

श्री रेड्डी ने मुस्सलिम लीग पर आरोप लगाए हैं जबकि मुसलिम लीग निर्दोष हैं। स्वयं उनकी पार्टी हैदराबाद में प्रथक्ता वादी कार्यों में लगी है किन्तु वे एकतावादी रहते हैं। धर्म-निर्पेक्ष कहलाने वाली बहुत सी पार्टियां चुनावों के दौरान साम्प्रदायिकता का अनुसरण करती हैं।

प्रस्तावक महोदय ने विधेयक के सीमित उद्देश्यों का वर्णन किया है किन्तु कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया हैं कि ऐसी पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए कितने सदस्य केवल कुछ सम्प्रदायों के व्यक्ति ही बन सकते हैं।

किसी पार्टी के नाम को नहीं वरन् उसकी गतिविधियों को देखना चाहिए। मुस्लिम लीग ने इंद्रागाँधी सरकार की सभी प्रगतिशील नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन किया है। हमने बैंक राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया तथा निजी थैलियों की समाप्ति का भी समर्थन किया। हम अब भी उसका समर्थन करते हैं। जहाँ तक खाद्यान्न को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने का सम्बन्ध है हमने केवल इतना ही कहा कि इस कार्य के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए अन्यथा उनके मूल्य इसी भांति बढ़ जाएंगे जैसे कोयले के बढ़ गए।

श्री रेड्डी ने यह भी सुझाव दिया है। कि मुस्लिम लीग को अपना नाम बदल देना चाहिए। किन्तु मेरे विचार से उससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि शैक्सपियर के शब्द में गुलाब का नाम कुछ भी रखलो उसकी सुगंधि वही रहेगी।

मैं इस विधेयक के उद्देश्यों का समर्थन करता हूं किन्तु मुझे आशंका है कि कहीं इसके उपबन्धों का दुरुपयोग न होने लगे। यदि भारतीय दड संहिता और संविधान में इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था नहीं है तो मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूँ।

अंत में मैं श्री एम० राम गोपाल रेड्डी द्वारा मुस्लिम लीग के बारे में की गई टिप्पणियों का विरोध करता हूं। वह आंध्र प्रदेश से आये हैं जहाँ पृथकतावादी गति विधियां जोरों पर है। किन्तु उन्होंने मुस्लिम लीग पर आरोप लगाए हैं।

Shri M.C. Daga [Pali] I find no reason to oppose this Bill. This bill seeks to insert sub-section (b) in section 153 of the Represantion of people act. I suppose the hon. Minister would also support it.

I think there is no grond for the political parties to fabe exception to this Bill. Narrow mindedness is a vice and communalism is more than that. We should not treat a person as a Hindu or a Muslim, but should treat him as a man. The people of our country are Indians and all Indians should have full faith in our constitution.

I would like to drow the attention of the Government to the statement of the Shankaracharya of Puri creating feeling of disunity among the people. Action should be taken against such people

In view of the fact that we are committed to bring economic equlity, we can not bear the burden of social inequality in the country. In India every one has a right to follow any religion within the frame work of the constitution.

India produced great poets like Rahim, Raskhan, Jayasi who a made great constitutions towards the unity and culture of the country. We will have to discard old values of communal feelings and scholarly whelem persons the no matter how so ever intelligent and scholarly who create communal feelings among the people.

May I know from the hon. Minister the number of persons convicted under Representation of People Act by the courts ? May I also know whether the number of persons engaged in spreading hatred among the people has increased or decreased after Represantion of People Act came into force ? I would also like to know whether High Court has interprated 153 A in than judgement.

The Minister of state in the Ministry of Low, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : Sir, the objective of this Bill is very limited. It seeks to insert section 153 (b) in the Representation of People Act. The hon. Members have pointed out several things which have no relevance to the Bill. I don't intend to reply these points.

Section 153 (b) has already been added to the Indian Penal Code as a result of which activities waiting anti-social and communal feelings have been described as panishable offense. The main objective of the Bill under discussion in that the person convicted under the above mentioned section should be declared unsuitable for contesting elections for a period of six years.

I would like to inform the House that Joint Commit ee constituted by the House on 22 nd June, 1971 regarding the amendment in the Reprsentation of People Act has submitted its Report. In first part of the Report they have presented a draft Bill. Government are going to bring forward a Bill according to the Report of the Joint committee. I would also like to inform the House that in section of section 153 (b) has been incorporated in the proposed Bill. I would, therefore, request the mover of this Bill to withdrow it because the purpose of this Bill has been served as the Government itself is bringing forward a similar Bill.

Shrimati Subhadra Joshi : Sir, I do not want to say any thing on this Bill after the assurance given by the hon. Minister to the effect that the Bili proposed to be drought would include the amendment moved by me through this Bill. I am greatful to the hon. Members who have supported this Bill. Now I seek leave of the House to withdraw the Bill.

श्री मूल चन्द डागा : महोदय! मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया

The amendment was, by leave withdrawn

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है।

"कि श्रीमती सुभद्रा जोशी को विधेयक को वापस लेने की अनुमति दीजिये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्रीमती सुभद्रा जोशी : मैं विधेयक को वापस लेती हूं।

संविधान का (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(सांतवी अनुसूची का संशोधन)

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : महोदय! मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

खेद की बात यह है कि प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा का विषय राज्यों के अधीन है जबकि शिक्षा के ये दोनों स्तर महत्वपूर्ण हैं तथा पर्याप्त धनराशि के अभाव में राज्य सरकारें बच्चों को उपयुक्त शिक्षा नहीं दे पाती।

1964 में शिक्षा आयोग ने शिक्षा के स्तर पर अत्यंत बल दिया था तथा बताया था कि देश की समृद्धि कल्याण और सुरक्षा शिक्षा पर ही निर्भर करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा सम्बन्धी नीति में पूर्ण सुधार किये जाने की अत्यंत आवश्यकता बताई गई थी क्योंकि राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का महत्व अत्यधिक है।

(**श्री के० एन० तिवारी** पीठासीन हुए
Shri K.N. Tiwary *in the Chair*)

सामाजिक और राष्ट्रीय एकता लाने में शिक्षा का बहुत महत्व है। खेद की बात है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली देश की पुरानी संस्कृति के अनुरुप नहीं हैं। शिक्षित जनता अपनी संस्कृति को भुलाकर देश की एकता में विश्वास नही रखती उनमें प्रादेशिक, क्षेत्रीय और भाषा ही भावना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है जिससे हड़ताल भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिक तनाव में वृद्धि होती जा रही है।

इन सब बातों के बावजूद भी भारत में प्रजातंत्र का इतिहास अभी तक अच्छा रहा है। किन्तु इसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण भारतीय जनता को सुशिक्षित करना होगा। सर्व विदित है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली का राष्ट्रीय विकास के उद्देश्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित किये जाने में विद्यमान संवैधानिक बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में एक अवसर पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने यह कह कर विवशता प्रकट की थी कि शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया कि सविधान निर्माताओं ने सम्भवतः राष्ट्रीय एकता में शिक्षा का महत्व न समझते हुए शिक्षा को राज्यों का विषय निर्धारित किया। मेरा विचार है कि सामाजिक और राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस बारे में संविधान संशोधन किया जाना अनिवार्य है।

शिक्षा मंत्री प्रो० नूरुल हसन ने भी संवैधाकि कठिनाईयों का उल्लेख करते हुए राज्यों को केन्द्रीय शिक्षा नीति का अनुसरण करने के लिए अदेश दिए जाने में विवशता प्रकट की है। अतः मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्र की प्रगति के लिए मेरे विधेयक को स्वीकार करलें।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : महोदय विधेयक प्रस्तुत कर्ता ने यह सुझाव दिया है कि शिक्षा को राज्य का विषय न रखकर केन्द्र का विषय बनाया जाए। मेरा सुझाव है कि निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा दिये जाने के लिए राज्यों को अवश्य सहायता दी जानी चाहिए। शिक्षा के सम्बन्ध में राज्यों को स्वायतत्ता मिलनी चाहिए। अन्यथा देश की एकता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः मेरा सुझाव है कि राज्यों से शिक्षा का विषय केन्द्र द्वारा अपने हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा के विकास के लिए राज्यों को अपेक्षित आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : आप आगामी अवसर पर अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

---

*संपूर्ण राजस्थान को अकाल–ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव

Proposal to declare whole of Rajasthan As Famine attected

Shri M. G. Daga (Pali) : Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister the deplorable condition of 1.49 crore people of Rajasthan. Rajasthan ower Rs. 824 crores to the central Government and it speaks the seriousness of economic condition of the state.

I would like to suggest that hon. Minister should himself visit the state Rajsthan to have a clear picture of poverty there. He should not depend upon the reports of the study teams. I am sorry to state that the state of Maharashtra has been provided with Rs. 70 crores to meet the drought situation while we have been given only Rs. 7 crores for the same purpose. It is quite eirdent that the people of Rajasthan are disenminated against.

Population of Rajasthan is 2,57,00,000. We require 84,000 tons of foodgrains for the month of March, 1973 but we have not been given half of the quota- The quantity of foodgrains in Rajasthan decreased from 2,25,738 tons in 1. 10. 72 to 1,65,000 tones in 15. 1. 73 as a result of which the people of Rajasthan have been faring starvation.

There is acute shortage of drinking water in Rajasthan. We requested the Government to supply 100 tractors from Defence Department to solve water problem but all in vain. There are no adequate railway facilities and the number of pucca road also negligible.

The Government should undertake relief measuses in Rajasthan to provide employment to the people. I would like to suggest that Delhi Ahmedabad line and Ajmer-Kotah line should be Converted into broad guage lines. National High way connecting Beawar to Udaipur should also be provided. A bye-pass should be provided near Kishangarh. The Government should also construct a national highway near Bhilwara.

It is my duty to point out that the people in Jodhpur are in great difficulty. There is wide-spread un employment there. Therefore, the central Government should help Rajasthan in a big way. Adequate financial allocation should be made to Rajasthan for relief measures.

Shri Basheshwar Nath Bhargava (Ajmer) : Since 1963 there have been famine conditions in some or the other parts of Rajasthan. May I know what arrangment the Government is making to provide adequate jobs to laboures there. In the Ajmer District 976 villages are famine-stricken. Will the central Government allocate adquate funds to the Rajasthan Government so that jobs can be provided to the people there ?

In view of the shortage of foodgrains. will 95 thousand tonnes of foodgrains be made available to Rajasthan so that each person in Rajasthan can get as much foodgrains as is adequte to sustain him.

श्री नरेन्द्रकुमार सांघी (जालौर) : क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों-राजस्थान. महाराष्ट्र, मैसूर और उड़ीसा की अकाल की स्थिति का मूल्यांकन किया है और क्या वह हमें बता सकती है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक गंभीर रूप मे अकालग्रस्त है तथा उसे कितनी मात्रा में सहायता देने का विचार है ? राजस्थान के साथ इस सम्बन्ध में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और उसकी उपेक्षा की जा रही है ।

*आधे घण्टे की चर्चा

*Half an hour Discussion

राजस्थान ने लगभग 80 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की थी और महाराष्ट्र ने 180 करोड़ रुपये की जिसमें से राजस्थान को 6-7 करोड़ रुपये दिये गये और महाराष्ट्र को 94 करोड़ रुपये क्या राजस्थान झूठी मांग कर रहा है **(व्यवधान)**

मनचन्दा केन्द्रीय समिति ने राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा नहीं किया। मैं चाहता हूं कि स्पष्ट सिद्धान्त होना चाहिए।

क्या रेल मन्त्रालय को सहायता-अनुदान दिया जायेगा ताकि राजस्थान में कुछ रेल लाइनें डाली जा सकें ? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि कुछ रेल लाइनों का काम आरम्भ किया जा सकें और लोगों को बेहतर रोजगार और उचित सहायता मिल सके ? **(व्यवधान)**

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्यों ने कहा कि केन्द्र ने पक्षपात किया है। केन्द्र पक्षपात कैसे कर सकता है **(व्यवधान)** सूखा राहत कार्यों के सम्बन्ध में भी भारत सरकार को कुछ निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करना पड़ता है। श्री सांधी ने कहा कि राजस्थान के साथ केन्द्र का पक्षपात पूर्ण रवैया रहा है। ऐसी बात नहीं है। मैं राजस्थान की कठिनाईयों को समझता हूँ और हमें सभी राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, मैसूर अथवा गुजरात समान रूप से प्रिय हैं।

अब प्रश्न यह है कि केन्द्र इतनी सीमित सहायता क्यों देता है ? इस सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार उस राशि को खर्च क्यों नहीं कर रही है जो उसे उपलब्ध कराई गई है। राजस्थान में 10 जिलों में सूखा से निपटने के लिए स्थायी संरक्षण तैयार करने के लिए योजना हेतु 20 करोड़ रुपये उपलब्ध किये गये थे जिसमें से दिसम्बर तक 8.14 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। इस वर्ष के लिए 7.14 करोड़ रुपये उपलब्ध थे परन्तु 3.43 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमने राजस्थान सरकार से कह दिया था कि वह इस सीमा से अधिक भी खर्च कर सकती है।

ड्रुन कार्यक्रम सम्बन्धी योजना को लिखिए। 3.24 करोड़ रुपये की जो कुल राशि उपलब्ध है उसमें से केवल 2.54 करोड़ रुपये खर्च किए गये हैं। भारत सरकार का सम्बन्ध न केवल राजस्थान से ही रहता है अपितु समूचे देश के साथ रहता है और जब कभी सूखा-राहत कार्य आरंभ किये जाते हैं तो उत्पादनेतर योजनाओं पर भारी राशि खर्च की जाती है।

श्री सांधी ने पूछा कि क्या-क्या योजनायें हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान नहर को ही ले लीजिए। हमारे हिसाब से एक लाख लोगों को राजस्थान नहर में रोजगार मिल सकता है परन्तु केवल पचास हज़ार लोगों को ही रोजगार दिया गया है। हमने उनसे कहा कि अधिकाधिक लोगों को रोजगार देने की कोशिश कीजिए—**(व्यवधान)**

मेरी कठिनाई यह है कि देश की सर्वोत्तम परियोजना, जिससे उस क्षेत्रों के लोगों की समस्यायें सुलझ जायेंगी, को भी पूरा नही किया गया है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि उत्पादन योजनायें भी आरम्भ की जाये तो कोई बाधा मार्ग में नहीं आयेगी। लघु सिंचाई कार्यों के बारे में मेरी जानकारी है कि डेढ लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है परन्तु 28,918 लोगों को रोजगार दिया गया है।

वनरोपण एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिससे वहां के आदिवासी और पिछड़े लोगों को सहायता मिलेगी। केन्द्रीय दल के मूल्यांकन के अनुसार वनरोपण कार्य के लिए 50,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है।

सूखे के सम्बन्ध में हमने पूर्णत: एक नया दृष्टकोण अपनाया है, चाहे राजस्थान हो या गुजरात अथवा महाराष्ट्र, हम उनसे कह देंगे कि यदि उन्होंने धन को उत्पादन के अतिरिक्त अन्य योजनाओं पर खर्च किया तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, राजस्थान में सड़कों के लिए 75 प्रतिशत खर्च किया गया जो अब मिट गई है। भविष्य के लिए जो मेरा विचार है उसे मैं बता चुका हूं।

पिछले कुछ दिनों में राजस्थान सरकार राहत कार्य चला रही है। उसने 2136 राहत कार्य चला रखे हैं और लगभग 6,45,000 व्यक्ति काम कर रहे हैं जबकि दिसम्बर में 75,000 व्यक्ति राहत कार्यों पर काम कर रहे थे।

जहां तक खाद्य का सम्बन्ध है, हमने 65,000 टन खाद्यान्न का आवंटन किया है जो काफी होता है। हमने राज्य के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी। उनकी माँग है कि अधिक खाद्यान्न दिया जाये। पहले जितना खाद्यान्न आवंटित किया गया था वह थोड़ा कम था। हम राजस्थान राज्य की हरेक वाजिब आवश्यकता को पूरा करते रहेंगे।

राज्य सभा से संदेश

Massage from Rajya Sabha

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने 22 मार्च 1973 को अपनी बैठक में आंध्र प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक 1973 पास किया है।

आंध्र प्रदेश राज्य विधान मंडल [शक्तियों का प्रत्यायोजन] विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

Andnra Pradesh State Legislature (Delegation of Power) Bill, as Passed by Rajya Sabha

सचिव : मैं आंध्र प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1973 की एक प्रति, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

Business Advisory Committee

27वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 27वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार, 26 मार्च 1973/5 चैत्र, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The **Lok Sabha then adjourned** till Eleven **of the** Clock on Monday **the 26th March Chaitra** 59 **1895** (Saka)

Sumer Printing Press, New Delhi-18